जनवरी, 2021
I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधान संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक

श्री कमला कान्त
श्री अविनाश शुक्ला
श्री असलम खान

सहायक संपादक

श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक

श्री महीपाल सिंह
श्री जसवन्त सिंह

ISSN-2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2021 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जनवरी, 2021 अंक - 1

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय
संपादक
असलम खान

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2021) 1 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ⟹ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001.
दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

भारतीय दंड संहिता, 1860 ब्रिटिश काल में वर्ष 1862 में लागू हुई थी । इसके बाद समय-समय पर इसमें संशोधन किए गए और भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात् इसमें कई बदलाव किए गए । देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान और बंगलादेश ने भी इसी संहिता को छोटे-मोटे संशोधनों के साथ अपनाया और आज भी उन देशों में भी यह संहिता प्रवृत्त है जहां कभी ब्रिटिश शासन था । इस संहिता के अन्तर्गत कुल मिलाकर 511 धाराएं हैं जिनमें तुच्छ दंड से लेकर मृत्युदंड तक दिए जाने का प्रावधान है । एक आम नागरिक के मन में जब भी मृत्युदंड का नाम आता है तब उसे धारा 302 ही याद आती है । इस संहिता में इस धारा के अतिरिक्त अन्य ऐसी धाराएं भी हैं जिनके अधीन अपराध साबित होने पर मृत्युदंड अधिनिर्णीत किया जा सकता है । एक धारा तो ऐसी है जिसमें केवल और केवल मृत्युदंड का ही प्रावधान है, वह धारा 303 है । इस धारा के अधीन उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति की हत्या कारित करने के लिए मृत्युदंड दिया जाता है जो पहले से आजीवन कारावास का दंड भोग रहा हो । इसके अतिरिक्त दंड संहिता की धारा 121, 132, 194, 305, 364-क, 376-क और 396 के अधीन भी मृत्युदंड का उपबंध किया गया है ।

सती (निवारण) अधिनियम, 1987 के भाग-II में उल्लिखित धारा 4 और स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 31-क के अधीन भी मौत की सजा रखी गई है । इसके अतिरिक्त और भी अधिनियम हैं जिनमें मृत्युदंड का प्रावधान है ।

भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 के अन्तर्गत मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध आते हैं । यदि महत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो अध्याय 16 संपूर्ण दंड संहिता का हृदय कहा जा सकता है । प्रत्येक अपराध समाज के लिए घातक है किंतु वे अपराध जिनका संबंध नागरिकों के शरीर, संपत्ति और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा से होता है, जघन्य प्रकृति के माने जाते हैं जो दंड संहिता के अध्याय 16 के अन्तर्गत

धारा 299 से धारा 377 तक आते हैं और राज्य का कर्तव्य है कि वह किसी भी अपराध को, विशेषकर जघन्य अपराधों को रोकने के लिए अपराधी को दंड दे और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे और अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य है । शरीर की रक्षा किया जाना सर्वोपरि है क्योंकि जीवन से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है । मनुष्य को सर्वोच्च प्राणी माना गया है और किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति को तुच्छ उपहति भी कारित करना दंडनीय माना गया है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता और वहीं प्रत्येक नागरिक को भी चाहिए कि वह विधि के अनुसरण में ही अपना जीवन-यापन करे ।

इस अंक में मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अतिरिक्त अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं । इस अंक में सामाजिक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि-विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि-अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है ।

असलम खान
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जनवरी, 2021

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
कार्तिक मंडल **उर्फ** बाहा **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य	54
गणेशन **बनाम** परमशिवम और अन्य	78
गुजरात राज्य **बनाम** तुलसीगिरी मोहनगिरी गोस्वामी	1
गुजरात राज्य **बनाम** वखतसिंह मानसिंह परमार और अन्य	29
जीतेन्द्र **उर्फ** कल्ली **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य	100
दीपेश तमंग **बनाम** सिक्किम राज्य	129
रमाकांत दास और अन्य **बनाम** त्रिपुरा राज्य	41

संसद् के अधिनियम

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 22

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54)

– धारा 25 और 27 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – विधिविरुद्ध जमाव के दौरान 100-200 गोलियां चलाए जाने का अभिकथन – गोलियां चलाए जाने की आवाज किसी भी ग्रामवासी द्वारा न सुनना – किसी भी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा न कराना – हथियारों का मुहरबंद न किया जाना – किसी भी पुलिस कार्मिक को क्षति न पहुंचना – डकैतों के गैंग ने पुलिस कार्मिकों पर लगभग 100-200 गोलियां चलाईं और आस-पास या ग्राम में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने गोला-बारी की आवाज नहीं सुनी और पुलिस द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई और कि हथियारों को मुहरबंद नहीं किया गया जिससे उनके साथ छेड़छाड़ किए जाने की पूरी संभावना बन जाती है, अत: ऐसी स्थिति में अभियुक्तों की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती ।

जीतेन्द्र उर्फ **कल्ली** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 100

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 302 और 498क [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्तों द्वारा रस्सी से गला घोंटकर हत्या किए जाने का अभिकथन – रस्सी के चिह्नों का गर्दन पर न पाया जाना – दुष्प्रेरण से संबंधित विशिष्ट अभिकथन का अभाव – साक्षियों द्वारा दुष्प्रेरण से संबंधित कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है और मृतका को रस्सी से लटकाने से संबंधित घटनास्थल पर

पृष्ठ संख्या

लकड़ी का कोई भी लट्ठा न पाए जाने और मृतका की गर्दन पर रस्सी का कोई भी चिह्न न पाए जाने के कारण अभियोजन पक्षकथन संदिग्ध हो जाता है, अत: प्रत्यर्थी-अभियुक्तों की दोषमुक्ति न्यायोचित है जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

गुजरात राज्य बनाम **वखतसिंह मानसिंह परमार और अन्य** 29

– धारा 306 और 498क [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32] – हत्या का दुष्प्रेरण और क्रूरता – मृत्युकालिक कथन – विश्वसनीयता – पति और श्वसुर द्वारा की गई क्रूरता के कारण आत्महत्या किए जाने का अभिकथन – मृत्युकालिक कथन में उकसाए जाने का उल्लेख न होना – मृत्युकालिक कथन में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अभियुक्तों ने उसे उकसाया था बल्कि केवल यह कहा गया है कि उसने पारिवारिक झगड़ों के कारण आत्महत्या करने का प्रयास किया है, ऐसी स्थिति में अपराधजन्य परिस्थिति साबित नहीं होती है, अत: अभियुक्तों की दोषमुक्ति न्यायोचित है और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

गणेशन बनाम **परमशिवम और अन्य** 78

– धारा 307 – हत्या करने का प्रयत्न – पीड़ित द्वारा स्वयं अभियुक्त को आमंत्रित किया जाना – दोनों के बीच पीड़ित के अवैध संबंधों को लेकर कहा-सुनी – अभिकथित रूप से अभियुक्त द्वारा पीड़ित की कमर पर चाकू से वार किया जाना – किसी भी पंचसाक्षी द्वारा

पृष्ठ संख्या

अभियोजन के पक्षकथन की इस आधारिक कहानी का समर्थन न किया जाना कि अभियुक्त ने स्वयं स्वैच्छिक रूप से घटना में प्रयुक्त चाकू प्रस्तुत किया था – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने वाले व्यक्ति के कथन के संबंध में संदेह क्योंकि पीड़ित का उसके उपचार के चलते घटना का वर्णन अपने पिता को देना संभव प्रतीत नहीं होता – स्वयं पीड़ित का विसंज्ञन के कारण शल्य-क्रिया के पश्चात् पूर्णतया होशोहवास में न होना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का पक्षद्रोही हो जाना – अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का अकाट्य और पुख्ता न होने के कारण – अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे अपने पक्षकथन को साबित करने में असफल रहा है – इसलिए निचले न्यायालय द्वारा की गई दोषमुक्ति न्यायोचित है जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

गुजरात राज्य बनाम **तुलसीगिरी मोहनगिरी गोस्वामी** 1

– धारा 307 और 149 [सपठित मध्य प्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 की धारा 11 और 13] – हत्या का प्रयास और विधिविरुद्ध जमाव – डकैतों द्वारा आहत का अभिकथित व्यपहरण – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और रोजनामचे में व्यपहरण की सूचना का उल्लेख न पाया जाना – व्यपहृत व्यक्ति और पुलिस साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभास – व्यपहरण से संबंधित सूचना का उल्लेख न तो रोजनामचे में किया गया है और न ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के खण्ड 3(क) में, इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि पुलिस दल द्वारा पैरोल

पृष्ठ संख्या

इयूटी के दौरान कितने वाहनों का प्रयोग किया गया था और उनके रजिस्ट्रेशन नम्बर क्या हैं, ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्षकथन संदिग्ध हो जाता है और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

जीतेन्द्र उर्फ **कल्ली** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 100

– धारा 376(2)(च) (2013 के संशोधन के पूर्व), धारा 377 और धारा 506 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 और धारा 8] – अप्राप्तवय कन्या के साथ बलात्संग – अभियुक्त द्वारा आहत को बहाने से अपने घर बुलाना – लज्जा और धमकी के कारण आहत द्वारा अपने माता-पिता को घटना की जानकारी न दिया जाना – आहत द्वारा अपनी सहेली और सहेली की माता को घटना की जानकारी दिया जाना – आहत द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि अभियुक्त उसे मीठी-गोलियों के लिए पैसे दिया करता था जबकि उस मोहल्ले की उस आयु की अन्य कन्याएं ऐसा कोई लाभ नहीं ले रही थीं, इससे अभियुक्त का आहत जैसे बच्चों के प्रति सहानुभूतिक प्रेम होने का दावा चलने योग्य नहीं है और आहत की चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर यह माना जा सकता है कि अभियुक्त ही बलात्संग के अपराध का दोषी है ।

कार्तिक मंडल उर्फ **बाहा** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 54

– धारा 376(2)(च) – बलात्संग – चिकित्सीय जांच में विलंब – आहत की योनि पर लालिमा का पाया जाना – योनिच्छद का अक्षत पाया जाना – आहत की

योनि पर पाई गई लालिमा से संबंधित अन्य कोई कारण अभिलेख पर नहीं दर्शाया गया है और न ही चिकित्सक की यह राय है कि बलात्संग के लिए योनिच्छद का विदीर्ण होना आवश्यक है, ऐसी स्थिति में आहत का साक्ष्य सत्य प्रतीत होता है और अभियुक्त की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

कार्तिक मंडल उर्फ **बाहा** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 54

– धारा 457, 436 और 426 – गृह अतिचार – गृह को नष्ट करने के आशय से अग्नि द्वारा रिष्टि – अभियुक्तों द्वारा अभिकथित रूप से दरवाजों-खिड़कियों आदि को तोड़कर गृह में प्रवेश किया जाना – आभूषणों, अन्य मूल्यवान वस्तुओं के साथ 50,000/- रुपए नकद का लूटा जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा यह अभिसाक्ष्य दिया जाना कि वे भयवश घर से भाग गए थे और कुछ दूर स्थित एक दीवार के पीछे छिप गए थे – अभियुक्तों और परिवादी के बीच गहरी दुश्मनी – परिवादी या उसके पुत्र द्वारा अन्वेषण अधिकारी के समक्ष इस तथ्य का उल्लेख न किया जाना कि घर में 50,000/- रुपए की नकद राशि मौजूद थी – स्वयं प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा यह अभिसाक्ष्य दिया जाना कि वे शोर-शराबा सुनकर घर के पिछले द्वार से निकलकर भाग गए थे – इन परिस्थितियों में इस बात पर गंभीर संदेह उद्भूत होता है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी वस्तुतः प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और उन्होंने गृह पर हमला करने वाले व्यक्तियों को नहीं देखा था – इस प्रकार अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे अपने

पृष्ठ संख्या

पक्षकथन को साबित करने में असफल रहा है – अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने के हकदार हैं ।

रमाकांत दास और अन्य बनाम **त्रिपुरा राज्य** 41

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32)

– धारा 5(1), 6 और 3 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – अप्राप्तवय कन्या पर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला – आहत के पिता द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराना – आहत की माता द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध कोई शिकायत न किया जाना – आहत द्वारा अभियुक्त के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए जाने का अभिसाक्ष्य दिया जाना – शारीरिक संबंध का अर्थ स्पष्ट न किया जाना – शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में लैंगिक हमला किए जाने का उल्लेख है किंतु न्यायालय के समक्ष ऐसा अभिसाक्ष्य नहीं दिया गया है और आहत की माता ने भी अभियुक्त के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया है और साथ ही आहत ने भी शारीरिक संबंध का अर्थ स्पष्ट नहीं किया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

दीपेश तमंग बनाम **सिक्किम राज्य** 129

गुजरात राज्य

बनाम

तुलसीगिरी मोहनगिरी गोस्वामी

(2013 की दांडिक अपील सं. 1585)

तारीख 21 जनवरी, 2020

न्यायमूर्ति एस. आर. ब्रह्मभट्ट और न्यायमूर्ति ए. पी. ठक्कर

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 307 – हत्या करने का प्रयत्न – पीड़ित द्वारा स्वयं अभियुक्त को आमंत्रित किया जाना – दोनों के बीच पीड़ित के अवैध संबंधों को लेकर कहा-सुनी – अभिकथित रूप से अभियुक्त द्वारा पीड़ित की कमर पर चाकू से वार किया जाना – किसी भी पंचसाक्षी द्वारा अभियोजन के पक्षकथन की इस आधारिक कहानी का समर्थन न किया जाना कि अभियुक्त ने स्वयं स्वैच्छिक रूप से घटना में प्रयुक्त चाकू प्रस्तुत किया था – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने वाले व्यक्ति के कथन के संबंध में संदेह क्योंकि पीड़ित का उसके उपचार के चलते घटना का वर्णन अपने पिता को देना संभव प्रतीत नहीं होता – स्वयं पीड़ित का विसंज्ञन के कारण शल्य-क्रिया के पश्चात् पूर्णतया होशोहवास में न होना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का पक्षद्रोही हो जाना – अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का अकाट्य और पुख्ता न होने के कारण – अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे अपने पक्षकथन को साबित करने में असफल रहा है – इसलिए निचले न्यायालय द्वारा की गई दोषमुक्ति न्यायोचित है जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, तारीख 10 अगस्त, 2011 को अपराह्न लगभग 3.15 बजे घायल

व्यक्ति नरेन्द्रपुरी अभियोजन पक्ष की साक्षी वीनाबेन जितेन्द्र भाई ठक्कर की चाय की दुकान, जो जी. के. जनरल अस्पताल के मुख्य द्वार के समीप और जल सेवानगर द्वार के सामने स्थित है, पर आया और उसने चाय की दुकान की स्वामी वीनाबेन से मोबाइल फोन लेकर प्रत्यर्थी को एक चाय के कप हेतु निमंत्रित किया । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार दोनों व्यक्तियों ने मिलकर चाय का सेवन किया और उसके पश्चात् प्रत्यर्थी ने घायल व्यक्ति श्री नरेन्द्रपुरी से वीनाबेन के साथ उसके संबंधों के बारे में पूछा और इस बात पर उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया और इस दौरान नरेन्द्रपुरी की पीठ की बाईं ओर चाकू से वार किया गया जिसका स्पष्ट आशय उसकी हत्या करना था । अत: महेशपुरी गोस्वामी जो घायल के पिता हैं, ने पुलिस थाना कच्छ-भुज के पुलिस निरीक्षक के समक्ष अभिकथित घटना के संबंध में शिकायत दर्ज की जिसे दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए सी. आर. सं. I-229/2011 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया और इस संबंध में अन्वेषण प्रक्रिया को आरंभ किया गया । अन्वेषण के अनुक्रम के दौरान पुलिस ने साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध किया, आवश्यक पंचनामा तैयार किया और चूंकि प्रत्यर्थी को इस मामले में हुए अपराध के साथ जोड़ने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध था इसलिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भुज के न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया गया जो 2011 के दांडिक मामला सं. 1994 के रूप में संख्यांकित है । चूंकि यह अपराध अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है इसलिए उपरोक्त मामले को छठे अपर सेशन न्यायाधीश, भुज-कच्छ के न्यायालय को सौंप दिया गया और तद्नुसार उसे 2012 के सेशन मामला सं. 4 के रूप में पुन: संख्यांकित किया गया । उसके पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए और अभियुक्त ने आरोप के संबंध में अपराधी न होने का अभिवाक् किया और विचारण का दावा किया । विचारण के दौरान, अभियोजन ने अनेक साक्षियों की परीक्षा की तथा अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया । विचारण के समाप्त होने के पश्चात् विद्वान् न्यायाधीश ने पूर्व में कथन किए गए अनुसार अभियुक्त को अपराध से दोषमुक्त कर दिया । विद्वान् छठे

अपर सेशन न्यायाधीश, भुज-कच्छ द्वारा 2012 के सेशन मामला सं. 4 में तारीख 13 अगस्त, 2013 को पारित उक्त दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर तथा उससे असंतुष्ट होकर गुजरात राज्य-अपीलार्थी द्वारा उक्त आक्षेपित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील फाइल की गई है । विचारण के समाप्त होने के पश्चात् विद्वान् न्यायाधीश ने पूर्व में कथन किए गए अनुसार अभियुक्त को अपराध से दोषमुक्त कर दिया । विद्वान् छठे अपर सेशन न्यायाधीश, भुज-कच्छ द्वारा 2012 के सेशन मामला सं. 4 में तारीख 13 अगस्त, 2013 को पारित उक्त दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर तथा उससे असंतुष्ट होकर गुजरात राज्य-अपीलार्थी द्वारा उक्त आक्षेपित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील फाइल की गई है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – दोनों पक्षकारों के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया । घायल व्यक्ति, नरेन्द्रपुरी महेशपुरी गोस्वामी के साक्ष्य, जो प्रदर्श 15 पर है, के परिशीलन पर यह पाया गया है कि उसने घटना के अनुक्रम का कथन किया है और यह बताया है कि घटना के दिन वह जी. के. जनरल अस्पताल, भुज के आपात द्वार के समीप खड़ा था और वहां एक चाय की दुकान भी विद्यमान है जिसे वीनाबेन नाम की एक महिला चला रही थी । उसके अनुसार उसने वर्तमान अभियुक्त को चाय की दुकान की मालिक वीनाबेन के मोबाइल फोन से काल करके वीनाबेन की चाय की दुकान पर बुलाया था और उसके बुलाने पर अभियुक्त व्यक्ति अपनी रिक्शा से चाय की दुकान पर पहुंचा और उन दोनों ने एक साथ चाय का सेवन किया और उसके पश्चात् उनके बीच कुछ गाली-गलौज हुआ और इसकी वजह वीनाबेन के साथ उसके संबंध थे । उसने यह कथन किया है कि उसके वीनाबेन के साथ संबंध थे जिसके बारे में अभियुक्त ने उसे कहा कि वह इन संबंधों को समाप्त कर दे । इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जिस पर अभियुक्त ने उसके शरीर के बाएं भाग पर चाकू से वार किया जिससे उसकी आंतें बाहर निकल आईं । उस समय वहां पर अन्य रिक्शा वाले भी एकत्रित हो गए और उसके

पश्चात् उसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि वीनाबेन ने इस घटना के संबंध में उसके पिता को भी जानकारी दी थी कि अभियुक्त व्यक्ति ने उस पर चाकू से वार किया है । उसके कथनानुसार उसके पश्चात् अभियुक्त घटनास्थल से फरार हो गया और उसके माता-पिता अस्पताल आए और उसके पश्चात् उसके पिता द्वारा शिकायत फाइल की गई । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने उसके कथन को लेखबद्ध किया और साथ ही उसके उन कपड़ों को भी अभिगृहीत किया जिन्हें वह घटना के समय पहने हुए था । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब उसके माता-पिता अस्पताल पहुंचे थे तो आपातकालीन वार्ड में उसका उपचार चल रहा था और वह तीन घंटे तक शल्यक्रिया कक्ष में था । उसने इस बात को स्वीकार किया कि उससे सारी कहानी जानने के पश्चात् डाक्टर ने पुलिस को बुलाया था । उसने यह कथन किया कि चूंकि उसे ओषधियां दी जा रही थीं इसलिए वह पूर्णतया होश में नहीं था । उसने यह भी कथन किया है कि वह एक दांडिक मामले में पंचसाक्षी था और उसके विरुद्ध एक अन्य दांडिक मामला भी चल रहा था । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने पूर्व में भी जहर का सेवन कर लिया था जिसके पश्चात् उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था । उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसके द्वारा जहर का सेवन करने का कारण वीनाबेन थी । उसके अनुसार चूंकि उस पर अत्यधिक ऋण था और उधार देने वाले व्यक्ति उसे परेशान कर रहे थे इसलिए उसने जहर का सेवन किया था । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उसके विरुद्ध कई मामले फाइल किए गए हैं और उनमें से एक मामला उसकी पत्नी द्वारा फाइल किया गया है । उसने इस बात को स्वीकार किया कि उसके द्वारा जहर का सेवन करने के पश्चात् उसे उधार देने वाले व्यक्तियों ने उसे परेशान करना बंद कर दिया था । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि घटना के पश्चात् डाक्टर ने तुरंत उसका उपचार आरंभ कर दिया था और उसने प्रथमत: घटना के तथ्यों की जानकारी डाक्टर को दी थी और डाक्टर ने ही पुलिस को बुलाया था और उस समय पुलिस ने उसके कथन को लेखबद्ध किया था । उसने यह कथन

किया है कि घटना के अगले दिन उसने पुलिस को घटना के सभी तथ्यों की जानकारी दी थी । उसने यह भी कथन किया है कि उसके पिछले आठ वर्षों से वीनाबेन के साथ संबंध थे और अभियुक्त को इन संबंधों से ऐतराज था । उसने इस बात को स्वीकार किया है कि घटना के दिन उसने उसके स्वयं के पास मोबाइल होने के बावजूद वीनाबेन के मोबाइल फोन से काल करके अभियुक्त को वहां बुलाया था । उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसने स्वयं ही अपने शरीर पर चाकू से वार किया था और पुलिस ने उक्त चाकू की उससे बरामदगी भी की थी । विरोधी दलीलों और ऊपर निर्दिष्ट अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा अभिलेख पर रखे गए अन्य दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह प्रकट होता है कि घायल व्यक्ति को उसके अमाशय के बाईं ओर क्षति कारित हुई है और उस संबंध में उसका उपचार किया गया था और उसके पश्चात् उसकी शल्यक्रिया भी की गई । वीनाबेन के साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि पीड़ित ने स्वयं वीनाबेन के मोबाइल से काल करके अभियुक्त को वहां बुलाया था । यह तथ्य भी प्रकट होता है कि सुसंगत समय पर अभियुक्त और पीड़ित वीनाबेन की चाय की दुकान के समीप मौजूद थे और उन दोनों ने एक साथ चाय पी थी और उसके पश्चात् उन दोनों के बीच पीड़ित के वीनाबेन के साथ संबंधों को लेकर झगड़ा भी हुआ । वीनाबेन के साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि नि:संदेह रूप से उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है किंतु घटना के सुसंगत समय पर चाकू पीड़ित के कब्जे में था और इस तथ्य को अभियोजन पक्ष द्वारा भी विवादित नहीं किया गया है । उसके साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि घटना के दिन एक दरबार नामक व्यक्ति से भी पीड़ित का झगड़ा हुआ था । अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि सभी पंचसाक्षियों को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है और उन्होंने अभियोजन के इस आधारिक पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है कि अभियुक्त ने स्वैच्छिक रूप से उस चाकू को प्रस्तुत किया था जिसका उपयोग घटना में किया गया था । अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि पीड़ित और साथ ही उसका उपचार करने वाले डाक्टर के अनुसार डाक्टर ने पुलिस को इस घटना के संबंध में

सूचना दी थी तथापि, उस सूचना संबंधी संदेश को इस मामले से संबंधित अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है और उसके पश्चात् पीड़ित के पिता द्वारा फाइल की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में माना गया है । यदि डाक्टर ने पुलिस को घायल व्यक्ति को अस्पताल में लाए जाने के संबंध में कोई संदेश भेजा है तो उस दस्तावेज को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में माना जाना चाहिए था । इस मामले में अभियोजन की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । स्वयं पीड़ित के साक्ष्य के अनुसार वह घटना के 15 मिनट के भीतर ही अस्पताल पहुंच गया था जहां उसे अपराह्न लगभग 4.00 बजे आपातकालीन वार्ड में निर्दिष्ट किया गया और उसके पश्चात् लगभग 3 घंटे तक उसकी शल्यक्रिया की गई । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह असंभव है कि उसने अपने पिता को घटना के ब्यौरों की जानकारी दी जिसने उसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं पीड़ित के साक्ष्य के अनुसार शल्यक्रिया और ओषधियों के प्रभाव के कारण वह पूर्ण रूप से होश में नहीं था । पीड़ित के पिता द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत के अनुसार उसे अपराह्न लगभग 5.30 बजे लेखबद्ध किया गया जिसका आधार पीड़ित द्वारा घटना के संबंध में दिए गए ब्यौरे थे किंतु यह तथ्य सुस्थापित है कि उस समय के दौरान पीड़ित पूर्णतया होशोहवास में नहीं था । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि प्रारंभ में पीड़ित ने स्वयं ही अभियुक्त को वीनाबेन के मोबाइल फोन से काल करके घटनास्थल पर बुलाया था यद्यपि उसके स्वयं के पास मोबाइल फोन विद्यमान था । इस तथ्य से यह सुझाव प्राप्त होता है कि पीड़ित द्वारा वीनाबेन के मोबाइल काल किए जाने के कारण ही अभियुक्त वीनाबेन की चाय की दुकान पर आया था और उसके पश्चात् उनके बीच कहा-सुनी हुई थी । इन परिस्थितियों के अधीन यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि अभियुक्त वहां पीड़ित की हत्या करने के इरादे से आया था । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह सुझाव देता है कि पक्षकारों के बीच शत्रुता विद्यमान थी । अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने पर यह तथ्य पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है

कि पीड़ित का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है । इसके अतिरिक्त ऊपर निर्दिष्ट सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने भी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और अन्य साक्षियों, जिनकी अभियोजन की ओर से परीक्षा की गई और जिनमें पंचसाक्षी भी सम्मिलित हैं, ने भी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अकाट्य नहीं है और अभिकथित अपराध के लिए अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराने हेतु विश्वसनीय नहीं है । विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय का परिशीलन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन किया है और उसके आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त करके तथ्य और विधि से संबंधित कोई गंभीर त्रुटि नहीं की है । विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश विधि के अनुसार कायम रखने योग्य है । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह अपील निष्फल होती है और इसे खारिज किया जाता है । (पैरा 5, 6, 6.1, 20, 21, 22, 23 और 24)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2007] 2007 क्रिमिनल ला रिपोर्ट (एस. सी.) 364 =
2007 क्रिमिनल ला जर्नल 2136 (एस. सी.) =
ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 111 :
चंद्रप्पा और अन्य बनाम **कर्नाटक राज्य** । 4

अपीली दांडिक अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील सं. 1585.

अपर सेशन न्यायाधीश, भुज-कच्छ द्वारा 2012 के सेशन मामला सं. 4 में तारीख 13 अगस्त, 2013 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दांडिक अपील ।

याची की ओर से सुश्री करीना कल्ला, ए. पी. पी.

प्रत्यर्थी की ओर से एचसीएल समिति

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ए. पी. ठक्कर ने दिया ।

न्या. ठक्कर – अपीलार्थी गुजरात राज्य ने वर्ष 2012 के सेशन मामला सं. 4 में अपर सेशन न्यायाधीश, भुज-कच्छ द्वारा तारीख 13 अगस्त, 2013 को पारित निर्णय और आदेश, जिसके द्वारा वर्तमान मामले के अभियुक्त-प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया था, के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378(1)(3) के अधीन अपीलार्थी गुजरात राज्य ने उच्च न्यायालय में वर्तमान अपील फाइल की है ।

2. अभियोजन पक्षकथन यह है कि तारीख 10 अगस्त, 2011 को अपराह्न लगभग 3.15 बजे घायल व्यक्ति नरेन्द्रपुरी अभियोजन पक्ष की साक्षी वीनाबेन जितेन्द्र भाई ठक्कर की चाय की दुकान, जो जी. के. जनरल अस्पताल के मुख्य द्वार के समीप और जल सेवानगर द्वार के सामने स्थित है, पर आया और उसने चाय की दुकान की स्वामी वीनाबेन से मोबाइल फोन लेकर प्रत्यर्थी को एक चाय के कप हेतु निमंत्रित किया । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार दोनों व्यक्तियों ने मिलकर चाय का सेवन किया और उसके पश्चात् प्रत्यर्थी ने घायल व्यक्ति श्री नरेन्द्रपुरी से वीनाबेन के साथ उसके संबंधों के बारे में पूछा और इस बात पर उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया और इस दौरान नरेन्द्रपुरी की पीठ की बाईं ओर चाकू से वार किया गया जिसका स्पष्ट आशय उसकी हत्या करना था । अत: महेशपुरी गोस्वामी जो घायल के पिता हैं, ने पुलिस थाना कच्छ-भुज के पुलिस निरीक्षक के समक्ष अभिकथित घटना के संबंध में शिकायत दर्ज की जिसे दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए सी. आर. सं. I-229/2011 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया और इस संबंध में अन्वेषण प्रक्रिया को आरंभ किया गया ।

2.1 अन्वेषण के अनुक्रम के दौरान पुलिस ने साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध किया, आवश्यक पंचनामा तैयार किया और चूंकि प्रत्यर्थी को इस मामले में हुए अपराध के साथ जोड़ने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध था इसलिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भुज के

न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया गया जो 2011 के दांडिक मामला सं. 1994 के रूप में संख्यांकित है । चूंकि यह अपराध अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है इसलिए उपरोक्त मामले को छठे अपर सेशन न्यायाधीश, भुज-कच्छ के न्यायालय को सौंप दिया गया और तद्नुसार उसे 2012 के सेशन मामला सं. 4 के रूप में पुन: संख्यांकित किया गया । उसके पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए और अभियुक्त ने आरोप के संबंध में अपराधी न होने का अभिवाक् किया और विचारण का दावा किया ।

2.2 विचारण के दौरान, अभियोजन ने अनेक साक्षियों की परीक्षा की तथा अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया । विचारण के समाप्त होने के पश्चात् विद्वान् न्यायाधीश ने पूर्व में कथन किए गए अनुसार अभियुक्त को अपराध से दोषमुक्त कर दिया । विद्वान् छठे अपर सेशन न्यायाधीश, भुज-कच्छ द्वारा 2012 के सेशन मामला सं. 4 में तारीख 13 अगस्त, 2013 को पारित उक्त दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर तथा उससे असंतुष्ट होकर गुजरात राज्य-अपीलार्थी द्वारा उक्त आक्षेपित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील फाइल की गई है ।

3. सुश्री करीना कल्ला, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाली विद्वान् ए. पी. पी. ने यह दलील दी है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का आक्षेपित आदेश अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विरोध में है और विद्वान् विचारण न्यायाधीश घायल नरेन्द्रपुरी महेशपुरी गोस्वामी के साक्ष्य का सही-सही मूल्यांकन करने तथा चिकित्सीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए इतिवृत्त को समझने में असमर्थ रहे हैं । उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियोजन पक्षकथन घायल व्यक्ति के पिता के साक्ष्य द्वारा पूर्णरूपेण समर्थित है, जिसने यह कथन किया है कि उसे वीनाबेन के मोबाइल से एक कॉल प्राप्त हुई थी जिसके द्वारा वीनाबेन ने उसे यह सूचना दी थी कि तुलसीगिरी ने उनके पुत्र पर चाकू से वार किया है । विद्वान् ए. पी. पी. ने यह भी दलील दी है कि वीनाबेन जितेन्द्र कुमार ठक्कर ने अपने साक्ष्य जो प्रदर्श-29 के रूप में है, में यह कथन किया है कि घायल नरेन्द्रपुरी और

अभियुक्त तुलसीगिरी के बीच एक झगड़ा हुआ था । उसने यह भी कथन किया कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके त्रुटि की है कि वीनाबेन के साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि घायल व्यक्ति मदिरा पान किए हुए था और वह चाकू से भी लैस था और उसने स्वयं ही अभियुक्त को चाय के लिए निमंत्रित किया था । उन्होंने यह भी दलील दी कि डाक्टर मणिकांत मिश्रा के अभिसाक्ष्य, जो प्रदर्श 32 के रूप में है, के अनुसार जब घायल व्यक्ति उपचार हेतु उनके पास आया था तो उसने उस घटना से संबंधित कहानी उसे सुनाई थी जिसमें उसने यह कथन किया कि अभियुक्त तुलसीगिरी ने चाकू से उसे ये क्षतियां कारित की थीं । विद्वान् ए. पी. पी. ने यह भी दलील दी है कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने एफएसएल रिपोर्ट और सिरम संबंधी रिपोर्ट का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है । अत: उन्होंने यह अनुरोध किया कि विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को उलटते हुए वर्तमान अपील को मंजूर किया जाए तथा अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 307 के अधीन सिद्धदोष ठहराया जाए ।

4. श्री जे. एम. बुद्धभाटी, प्रत्यर्थी-अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और यह दलील दी है कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए अभिकथित अपराध के आरोप से उसे दोषमुक्त करके कोई त्रुटि नहीं की है । उन्होंने यह कथन किया है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन किया है । उन्होंने यह और कथन किया कि परिवादी के साक्ष्य के अनुसार उसे घटना के संबंध में सूचना वीनाबेन से प्राप्त हुई थी और उसके पश्चात् वह अस्पताल गया था और उसने अपने पुत्र द्वारा उसे दी गई जानकारी के अनुसार तारीख 10 अगस्त, 2011 को अपराह्न लगभग 5.30 बजे शिकायत दर्ज की थी । तथापि, डाक्टर के साक्ष्य के अनुसार घायल व्यक्ति को उसके पास अपराह्न लगभग 3.30 बजे लाया गया था जहां उसे आधे घंटे तक आपातकालीन उपचार उपलब्ध कराया गया था और उसके पश्चात् घायल व्यक्ति लगभग 3 घंटे तक शल्यक्रिया कक्ष में था जहां उसकी शल्यक्रिया की गई और इस समय के दौरान उससे किसी भी व्यक्ति ने

मुलाकात नहीं की थी । अत: यह स्पष्ट है कि इस समय के दौरान परिवादी ने घायल व्यक्ति से मुलाकात नहीं की थी और इसलिए घायल व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अपराह्न लगभग 5.30 बजे शिकायत दर्ज करने का प्रश्न ही नहीं उठता । उन्होंने आगे यह और दलील दी कि अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य के अनुसार परिवादी ने स्वयं शिकायत प्रस्तुत की थी, जो प्रदर्श 31 के रूप में है और उसके पश्चात् डाक्टर मिश्रा ने भुज नगर पुलिस थाने में जनवा जोग प्रविष्टि दी थी । यद्यपि जनवा जोग को अपराह्न 4.00 बजे रजिस्ट्रीकृत किया गया है जबकि शिकायत अपराह्न 5.30 बजे दर्ज की गई थी । अत: पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने के संबंध में विरोधाभास विद्यमान हैं । उन्होंने यह भी दलील दी कि चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार भी यह भली-भांति स्थापित है कि अभियुक्त के रक्त के नमूने को विश्लेषण हेतु नहीं भेजा गया था और इसलिए यह स्थापित नहीं किया जा सकता था कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है । उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियुक्त परिवादी के पुत्र की हत्या के मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था और चूंकि उसका साक्ष्य उस मामले में परिवादी की सहायता नहीं कर सका था, इसलिए इस बात पर क्रोधित होकर परिवादी ने अभियुक्त को वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया है । उन्होंने यह भी कथन किया कि दोषमुक्ति की दशा में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधारणाएं हैं । प्रथमत: दांडिक न्यायशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के अधीन उसे उपलब्ध निर्दोषिता की यह उपधारणा कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष समझा जाना चाहिए जब तक कि उसे विधि के किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न कर दिया जाए । दूसरी उपधारणा यह है कि अभियुक्त ने विचारण न्यायालय से दोषमुक्ति प्राप्त की है और इस प्रकार उसके निर्दोष होने की उपधारणा निश्चित रूप से कमजोर नहीं हुई है अपितु विचारण न्यायालय के आदेश द्वारा उसे और अधिक बल, पुष्टि और मजबूती प्राप्त हुई है । अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने उच्चतम न्यायालय के **चंद्रप्पा और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले

---

[1] 2007 क्रिमिनल ला रिपोर्ट (एस. सी.) 364 = 2007 क्रिमिनल ला जर्नल 2136 (एस. सी.) = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 111.

मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है जिसमें निम्नानुसार संप्रेक्षण किया गया है :-

"15. वर्तमान संहिता की धारा 378 (दोषमुक्ति की दशा में अपील) जिसे ऊपर उद्धृत किया गया है, को पढ़ने मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि विधान मंडल द्वारा किसी दोषमुक्ति के विरुद्ध अपीलों पर कार्यवाही के संबंध में अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किए गए हैं । जब ऐसी कोई अपील फाइल की जाती है तो उच्च न्यायालय के पास अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, ऐसी सामग्री, जिसके आधार पर दोषमुक्ति का आदेश पारित किया गया है, का पुनर्मूल्यांकन, पुनर्विलोकन करने और उस पर पुन: विचार करने की पूर्ण शक्ति है और वह ऐसे किसी साक्ष्य के आधार पर अपने स्वयं के निष्कर्ष निकाल सकता है । किसी दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध की गई किसी अपील में उच्च न्यायालय तथ्यों और विधि, दोनों के प्रश्नों के संबंध में अवधारण कर सकता है ।

16. तथापि, इस बात को नहीं भुलाया जा सकता कि दोषमुक्ति के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधारणाएं हैं । प्रथमत: दांडिक न्यायशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के अधीन उसे उपलब्ध निर्दोषिता की यह उपधारणा कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष समझा जाना चाहिए जब तक कि उसे विधि के किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न कर दिया जाए । दूसरी उपधारणा यह है कि अभियुक्त ने विचारण न्यायालय से दोषमुक्ति प्राप्त की है और इस प्रकार उसके निर्दोष होने की उपधारणा निश्चित रूप से कमजोर नहीं हुई है अपितु विचारण न्यायालय के आदेश द्वारा उसे और अधिक बल, पुष्टि और मजबूती प्राप्त हुई है । .....

42. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए हमारे सुविचारित मत में किसी दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में कार्यवाही करते हुए अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित साधारण सिद्धांत अधिकथित किए जा सकते हैं -

(1) किसी अपीलीय न्यायालय के पास ऐसे साक्ष्य का, जिसके आधार पर दोषमुक्ति का आदेश पारित किया गया है, पुनर्विलोकन, पुनर्मूल्यांकन करने और उस पर पुन: विचार करने की पूर्ण शक्ति है ;

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग के संबंध में कोई परिसीमा, निर्बंधन या शर्त अधिरोपित नहीं करती है और कोई अपीलीय न्यायालय उसके समक्ष विद्यमान साक्ष्य के आधार पर तथ्य और विधि, दोनों के किन्हीं प्रश्नों के संबंध में अपने स्वयं के निष्कर्ष निकाल सकता है ;

(3) दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध किसी अपील में 'सारवान् और विवश करने वाले कारण', 'उत्तम और पर्याप्त आधार', 'अत्यंत सबल परिस्थितियां', 'विकृत निष्कर्ष', 'स्पष्ट त्रुटियां' आदि जैसे विभिन्न पद अपीलीय न्यायालय की वृहत् शक्तियों को कम करने के लिए आशयित नहीं हैं । इस प्रकार की भाषा, अपीलीय न्यायालय की दोषमुक्ति के किसी आदेश में हस्तक्षेप करने की हिचकिचाहट पर बल देने के लिए 'अलंकृत भाषा' के रूप में प्रयुक्त की जाती है न कि न्यायालय की साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने की शक्ति को कम करने के लिए ;

(4) तथापि, किसी अपीलीय न्यायालय को दोषमुक्ति के मामले में सदैव यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधारणाएं हैं । प्रथमत: दांडिक न्यायशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के अधीन उसे उपलब्ध निर्दोषिता की यह उपधारणा कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष समझा जाना चाहिए जब तक कि उसे विधि के किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न कर दिया जाए । दूसरी उपधारणा यह है कि अभियुक्त ने विचारण न्यायालय से दोषमुक्ति प्राप्त की है और इस प्रकार उसके निर्दोष होने की उपधारणा निश्चित रूप से कमजोर नहीं हुई है अपितु

विचारण न्यायालय द्वारा उसे और अधिक बल, पुष्टि और मजबूती प्राप्त हुई है ;

(5) यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो युक्तियुक्त निष्कर्ष संभव हैं तो अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति से संबंधित निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।"

4.1 उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उन्होंने वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया है ।

5. दोनों पक्षकारों के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया ।

6. घायल व्यक्ति, नरेन्द्रपुरी महेशपुरी गोस्वामी के साक्ष्य, जो प्रदर्श 15 पर है, के परिशीलन पर यह पाया गया है कि उसने घटना के अनुक्रम का कथन किया है और यह बताया है कि घटना के दिन वह जी. के. जनरल अस्पताल, भुज के आपात द्वार के समीप खड़ा था और वहां एक चाय की दुकान भी विद्यमान है जिसे वीनाबेन नाम की एक महिला चला रही थी । उसके अनुसार उसने वर्तमान अभियुक्त को चाय की दुकान की मालिक वीनाबेन के मोबाइल फोन से काल करके वीनाबेन की चाय की दुकान पर बुलाया था और उसके बुलाने पर अभियुक्त व्यक्ति अपनी रिक्शा से चाय की दुकान पर पहुंचा और उन दोनों ने एक साथ चाय का सेवन किया और उसके पश्चात् उनके बीच कुछ गाली-गलौज हुआ और इसकी वजह वीनाबेन के साथ उसके संबंध थे । उसने यह कथन किया है कि उसके वीनाबेन के साथ संबंध थे जिसके बारे में अभियुक्त ने उसे कहा कि वह इन संबंधों को समाप्त कर दे । इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जिस पर अभियुक्त ने उसके शरीर के बाएं भाग पर चाकू से वार किया जिससे उसकी आंतें बाहर निकल आईं । उस समय वहां पर अन्य रिक्शा वाले भी एकत्रित हो गए और उसके पश्चात् उसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि वीनाबेन ने इस घटना के संबंध में उसके पिता को भी जानकारी दी थी कि अभियुक्त व्यक्ति ने उस पर चाकू से वार किया

है । उसके कथनानुसार उसके पश्चात् अभियुक्त घटनास्थल से फरार हो गया और उसके माता-पिता अस्पताल आए और उसके पश्चात् उसके पिता द्वारा शिकायत फाइल की गई । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने उसके कथन को लेखबद्ध किया और साथ ही उसके उन कपड़ों को भी अभिगृहीत किया जिन्हें वह घटना के समय पहने हुए था ।

6.1 अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब उसके माता-पिता अस्पताल पहुंचे थे तो आपातकालीन वार्ड में उसका उपचार चल रहा था और वह तीन घंटे तक शल्यक्रिया कक्ष में था । उसने इस बात को स्वीकार किया कि उससे सारी कहानी जानने के पश्चात् डाक्टर ने पुलिस को बुलाया था । उसने यह कथन किया कि चूंकि उसे ओषधियां दी जा रही थीं इसलिए वह पूर्णतया होश में नहीं था । उसने यह भी कथन किया है कि वह एक दांडिक मामले में पंचसाक्षी था और उसके विरुद्ध एक अन्य दांडिक मामला भी चल रहा था । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसने पूर्व में भी जहर का सेवन कर लिया था जिसके पश्चात् उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था । उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसके द्वारा जहर का सेवन करने का कारण वीनाबेन थी । उसके अनुसार चूंकि उस पर अत्यधिक ऋण था और उधार देने वाले व्यक्ति उसे परेशान कर रहे थे इसलिए उसने जहर का सेवन किया था । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उसके विरुद्ध कई मामले फाइल किए गए हैं और उनमें से एक मामला उसकी पत्नी द्वारा फाइल किया गया है । उसने इस बात को स्वीकार किया कि उसके द्वारा जहर का सेवन करने के पश्चात् उसे उधार देने वाले व्यक्तियों ने उसे परेशान करना बंद कर दिया था । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि घटना के पश्चात् डाक्टर ने तुरंत उसका उपचार आरंभ कर दिया था और उसने प्रथमत: घटना के तथ्यों की जानकारी डाक्टर को दी थी और डाक्टर ने ही पुलिस को बुलाया था और उस समय पुलिस ने उसके कथन को लेखबद्ध किया था । उसने यह कथन किया है कि घटना के अगले दिन उसने पुलिस को घटना के सभी तथ्यों की जानकारी दी थी । उसने यह भी कथन किया है कि उसके पिछले आठ वर्षों से वीनाबेन के साथ संबंध थे और अभियुक्त को इन संबंधों से

ऐतराज था । उसने इस बात को स्वीकार किया है कि घटना के दिन उसने उसके स्वयं के पास मोबाइल होने के बावजूद वीनाबेन के मोबाइल फोन से काल करके अभियुक्त को वहां बुलाया था । उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसने स्वयं ही अपने शरीर पर चाकू से वार किया था और पुलिस ने उक्त चाकू की उससे बरामदगी भी की थी ।

6.2 उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसके भाई प्रकाशगिरी की हत्या हुई थी और वर्तमान मामले का अभियुक्त उस मामले में साक्षी था । उसने यह कथन किया है कि उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी कि क्या अभियुक्त उस मामले में पक्षद्रोही हो गया है और इस कारण उन दोनों के बीच में परस्पर शत्रुता थी । उसने यह भी कथन किया कि जब उसके कथन को लेखबद्ध किया गया था, उस समय उसके माता-पिता के साथ ही उसकी बहन और बहनोई भी वहां उपस्थित थे ।

7. नरेशगिरी गुलाबगिरी गोस्वामी के साक्ष्य जो प्रदर्श 16 पर है, के परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह प्रदर्श 17 के रूप में विद्यमान पंचनामा के लिए घायल व्यक्ति की कमीज की बरामदगी के संबंध में पंचसाक्षी है और उसने यह कथन किया है कि पुलिस ने इस संबंध में उसके कथन को अभिलिखित करके उससे हस्ताक्षर प्राप्त किए थे कि उसने संपूर्ण घटना को देखा था । उसने यह कथन किया है कि वह अन्य पंचों के नाम से भिज्ञ नहीं है । उसने यह स्वीकार किया है कि उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि पुलिस द्वारा लिखे गए उसके कथन में किन बातों का उल्लेख किया गया है और उसने पुलिस के समक्ष केवल यह कथन किया है कि उसने संपूर्ण घटना को देखा था । उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि घायल व्यक्ति के भाई की हत्या हुई थी और वर्तमान मामले का अभियुक्त उस मामले में साक्षी था । उसने इस बात को भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त के उक्त मामले में पक्षद्रोही हो जाने के पश्चात् अभियुक्त और घायल व्यक्ति के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं थे ।

8. पंचसाक्षी शिवजी तुलसीदास भानुशाली के साक्ष्य, जो प्रदर्श 18 पर है, के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि उसने केवल यह कथन

किया है कि पुलिस द्वारा लेखबद्ध किए गए किसी कागज पर उसके हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए गए थे और उसकी उपस्थिति में पुलिस द्वारा कोई अन्य कार्रवाई नहीं की गई थी । चूंकि उसने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है इसलिए उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया था और अभियोजन द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की गई थी । तथापि, उस प्रतिपरीक्षा में भी उसने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है ।

9. सुलेमान सुमरा के साक्ष्य, जो प्रदर्श 20 पर है, के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि उसे पुलिस द्वारा पंच के रूप में बुलाया गया था और उसके साथ उस समय एक अन्य व्यक्ति गनी इब्राहिम भी था । उसके अनुसार पुलिस ने अभियुक्त के वस्त्रों और चाकू को जब्त किया था और इन वस्तुओं को नगर पुलिस थाने लाया गया था जहां पुलिस ने उसे यह बताया था कि उक्त वस्त्र और चाकू वर्तमान अभियुक्त के थे और उस समय वर्तमान अभियुक्त वहां पुलिस थाने में उपस्थित नहीं था । यद्यपि उसने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श 21 पर स्थित पंचनामे पर उसके हस्ताक्षर हैं जिसमें यह कथन किया गया है कि अभियुक्त ने चाकू और अपने उन वस्त्रों को जिन्हें वह घटना के समय पहने हुए था, प्रस्तुत किया है, फिर भी उसने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया और इसके परिणामस्वरूप अभियोजन द्वारा उसकी लंबी प्रतिपरीक्षा की गई है । तथापि, अपने साक्ष्य में उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया । अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया है कि उसे रात्रि लगभग 8 बजे जी. के. जनरल अस्पताल बुलाया गया था और संपूर्ण लेखन कार्य अस्पताल में ही तैयार किया गया था । उसने यह कथन किया है कि उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि पंचनामा में विद्यमान तथ्यों को किसने लिखवाया था । उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनके पुलिस थाने पहुंचने से पहले ही वस्त्रों की बरामदगी कर ली गई थी और उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उन वस्त्रों का अभिग्रहण कहां से किया गया था । उसने यह भी कथन किया है कि वह अभियुक्त नरेन्द्र से परिचित नहीं है । उसने इस बात को स्वीकार किया

है कि उसने पुलिस के कहने पर कतिपय कागजातों पर हस्ताक्षर किए हैं किंतु उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पुलिस द्वारा उसके हस्ताक्षर क्यों और किस प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त किए गए ।

10. पंचसाक्षी अब्दुल गनी इब्राहिम कुंभहर ने प्रदर्श 22 पर विद्यमान अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि पुलिस ने उसे जी. के. जनरल अस्पताल के सामने बुलाया था और जब वह वहां पहुंचा था तो उस समय वर्षा हो रही थी और वहां केवल एक ही पुलिस अधिकारी उपस्थित था जिसने उसके कथन को लेखबद्ध किया । उसने यह स्वीकार किया कि प्रदर्श 23 पर विद्यमान पंचनामे पर उसके ही हस्ताक्षर हैं ।

10.1 उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि घटनास्थल के समीप कोई अनुमोदित रिक्शा स्टैंड नहीं था । उसने इस बात को भी स्वीकार किया कि परिवादी नरेन्द्रगिरी एक रिक्शा चालक है । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि घटनास्थल उस स्थान से 10 से 12 फुट दूर स्थित था जहां वह खड़ा हुआ था । उसने इस बात को भी स्वीकार किया है कि अस्पताल के आपातकालीन द्वार के बाईं ओर भुज-माधापर राजमार्ग है और उसके लिए सड़क पर एक विभाजक है और उसके पश्चात् माधापर से भुज को जाने वाली सड़क स्थित है । उसने इस बात को भी स्वीकार किया कि इस सड़क पर कारपोरेशन बैंक, एचडीएफसी बैंक और अन्य अस्पताल भी स्थित हैं । उसने यह कथन किया है कि उसे पूर्वाह्न 11.00 बजे पंचनामा तैयार किए जाने के लिए बुलाया गया था और यह कार्यवाही 20-25 मिनट तक चली थी । उसने यह कथन किया है कि उसे अपराह्न में नहीं बुलाया गया था । उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि ऐसा नहीं हुआ था कि उसे अपराह्न 5.40 बजे बुलाया गया था । उसने इस बात को स्वीकार किया है कि यदि पंचनामा अपराह्न 5.40 से 6.15 बजे के बीच तैयार किया गया है और यदि उस पंचनामे पर उसके हस्ताक्षर विद्यमान हैं तो उक्त पंचनामे को उसकी अनुपस्थिति में तैयार किया गया था । उसने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श 23 पर रखे गए पंचनामे में अपराह्न 5.40 से 6.15 बजे का समय दर्शित किया गया है । उसने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि यदि इस पंचनामे

पर उसके हस्ताक्षर विद्यमान हैं तो उक्त पंचनामे को उसकी अनुपस्थिति में तैयार किया गया था ।

11. अभि. सा. 6 मुकेश पोपटभाई गज्जर के साक्ष्य, जो प्रदर्श 24 पर है, के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि उसने प्रदर्श 25 पर विद्यमान पंचनामे को उसकी उपस्थिति में तैयार किए जाने से संबंधित अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । वह पक्षद्रोही हो गया और अभियोजन द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की गई किंतु अपनी प्रतिपरीक्षा में भी उसने अभियोजन के इस आधारिक पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है ।

12. अभि. सा. 7, मुकेश जेठालाल ठक्कर के साक्ष्य से जो प्रदर्श 26 पर है, यह स्पष्ट होता है कि उसने प्रदर्श 19 पर विद्यमान पंचनामे को उसकी उपस्थिति में तैयार किए जाने से संबंधित अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और उसने यह कथन किया है कि वह उस पंचनामे को तैयार किए जाने के समय वहां उपस्थित नहीं था । उसने यह स्वीकार किया है कि नि:संदेह रूप से पंचनामे पर पंच संख्या 1 पर उसके हस्ताक्षर विद्यमान हैं किंतु उसने इस बात से इनकार किया है कि यह पंचनामा उसकी उपस्थिति में तैयार किया गया है । इस प्रकार वह भी एक पक्षद्रोही साक्षी है और अभियोजन ने उसकी प्रतिपरीक्षा भी की है किंतु उस प्रतिपरीक्षा से ऐसा कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया जो अभियोजन के पक्षकथन के लिए फायदाप्रद हो ।

13. अभि. सा. 8, महेशपुरी बाबुपुरी गुसाई, जो परिवादी है और जिसका कथन प्रदर्श 27 पर है, ने भी यह कथन किया है कि जिस समय उक्त घटना घटित हुई थी वह अपने बहनोई और भतीजे के साथ अपने घर पर था और उस दिन अपराह्न 3.30 बजे उसे वीनाबेन के मोबाइल फोन से एक संदेश प्राप्त हुआ कि तुलसीगिरी ने उसके पुत्र पर चाकू से वार किया है और वह अस्पताल में है और इसलिए वे सब जी. के. जनरल अस्पताल पहुंचे जहां उसका पुत्र आपातकालीन वार्ड में उपचार प्राप्त कर रहा था और उसके पुत्र ने उसे बताया कि अभियुक्त ने उसके शरीर पर चाकू से वार किया है । उसने यह कथन किया कि अभियुक्त

और उसके पुत्र के बीच, बीनाबेन और उसके पुत्र के बीच संबंधों के कारण कुछ कहा-सुनी हो गई थी । उसने यह भी कथन किया कि इस बातचीत के पश्चात् उसके पुत्र को शल्यक्रिया हेतु ले जाया गया था और उसके पश्चात् उसने पुलिस के समक्ष वर्तमान शिकायत फाइल की और पुलिस ने शिकायत पर उसके अंगूठे का निशान लिया ।

13.1 अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह कथन किया है कि वह कई वर्षों से वीनाबेन से परिचित है और उसे वीनाबेन और उसके पुत्र के बीच संबंधों के प्रति कोई आक्षेप नहीं है । उसने इस बात को स्वीकार किया कि वीनाबेन एक विधवा है और उसके चार बालक भी हैं । उसने इस बात को स्वीकार किया कि वह न्यायालय में एक साक्षी और साथ ही एक अभियुक्त के रूप में भी उपस्थित हो चुका है और उसके विरुद्ध दो दांडिक मामले लंबित हैं जिनमें से एक मामला उसकी पत्नी द्वारा फाइल किया गया है । उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसके विरुद्ध अत्याचार किए जाने से संबंधित कोई दांडिक मामला लंबित है । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया कि उसके विरुद्ध ब्याज प्रभारित करने के लिए भी एक मामला फाइल किया गया है । उसने इस बात को स्वीकार किया कि उनके अस्पताल पहुंचने से पूर्व डाक्टर ने उसके पुत्र का उपचार आरंभ कर दिया था और उसके पुत्र की शल्यक्रिया भी की गई थी । उसने यह कथन किया कि उसके पुत्र नरेन्द्रगिरी की प्रथम पत्नी की मृत्यु हो गई थी और जलपा उसकी दूसरी पत्नी है । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उसके पुत्र की पहली पत्नी की मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी । उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसकी मृत्यु उत्पीड़न के कारण हुई थी । उसने इस बात को भी स्वीकार किया कि उसके एक पुत्र की हत्या कर दी गई थी और उस मामले में वर्तमान अभियुक्त अभियोजन पक्ष का एक साक्षी था और चूंकि उनके बीच परस्पर संबंध अच्छे थे इसलिए अभियुक्त व्यक्ति उस मामले में साक्षी बना था और वह एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पुत्र नरेन्द्रगिरी ने पहले एक बार आत्महत्या करने का प्रयास किया था क्योंकि उस पर काफी बड़ा ऋण था और इसलिए उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था ।

14. अभि. सा. 9, वीनाबेन जितेन्द्र ठक्कर के साक्ष्य, जो प्रदर्श 29 पर है, से यह प्रकट होता है कि वह जी. के. जनरल अस्पताल, भुज के सामने एक चाय की दुकान चलाती है और वह अभियुक्त और साथ ही घायल व्यक्ति से भी सुपरिचित है । उसने यह कथन किया है कि उसके नरेन्द्रगिरी, अर्थात्, घायल व्यक्ति के साथ संबंध थे और उसने यह भी बताया है कि घटना के दिन नरेन्द्रपुरी उसकी चाय की दुकान पर उपस्थित था और वह मदिरापान कर रहा था और उसने मदिरा की दो से तीन थैलियों का सेवन किया था और उसके पश्चात् उसने उसके मोबाइल फोन से वर्तमान अभियुक्त को फोन किया था और उस काल के दौरान उसने अभियुक्त के विरुद्ध गाली-गलौज की भाषा का प्रयोग किया था । उसके पश्चात् अभियुक्त उसकी चाय की दुकान पर आया और उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ । उसने यह कथन किया है कि चाकू घायल व्यक्ति नरेन्द्र के पास था और उन दोनों के बीच हाथापाई हुई थी । वह यह नहीं देख पाई कि किसने किस पर चाकू से वार किया । उसने यह देखा था कि नरेन्द्रपुरी के पेट पर चाकू के वार से क्षति हुई थी और उसके पश्चात् नरेन्द्रपुरी को जी. के. जनरल अस्पताल ले जाया गया और तदुपरांत उसने इस घटना के संबंध में नरेन्द्रपुरी के पिता को संदेश भेजा था । उसने यह कथन किया है कि उसी दिन सायंकाल में पुलिस ने उसके कथन को लेखबद्ध किया । चूंकि उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है, इसलिए उसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया और अभियोजन ने पुलिस को दिए गए उसके कथन में कही गई बातों के संबंध में प्रतिपरीक्षा की थी किंतु उस प्रतिपरीक्षा में भी उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है ।

14.1 अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त व्यक्ति उसकी उसके कारबार में सहायता कर रहा था और यह तथ्य पीड़ित नरेन्द्रपुरी को पसंद नहीं आया था । उसने यह भी कथन किया है कि जब उसका पति जीवित था उस समय नरेन्द्रपुरी उनके घर आया-जाया करता था और उसके पश्चात् उसके पति की मृत्यु हो गई और उसके संबंध नरेन्द्रपुरी से बन गए और जब नरेन्द्रपुरी की पत्नी को नरेन्द्रपुरी के साथ उसके संबंधों के बारे में ज्ञात

हुआ तो उन्होंने उसकी पिटाई की । उसने यह भी कथन किया कि नरेन्द्रपुरी के साथ संबंधों के परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई थी किंतु पिटाई के कारण उसका गर्भ गिर गया । उसने इस बात को भी स्वीकार किया है कि नरेन्द्रपुरी की पत्नी द्वारा उसकी पिटाई किए जाने के कारण वह घायल हो गई थी और इसीलिए उसे अस्पताल में दाखिल किया गया गया था और उसने नरेन्द्रपुरी, उसकी पत्नी और उसके पिता के विरुद्ध पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज की थी । उसने इस बात को भी स्वीकार किया है कि नरेन्द्रपुरी के साथ उसके संबंधों के दौरान उसका जो भी ऋण था, उसका संदाय अभियुक्त द्वारा किया गया । उसने यह भी स्वीकार किया है कि इस घटना से पूर्व नरेन्द्रपुरी ने दो या तीन बार आत्महत्या करने का प्रयास किया था । उसने यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल के दिन और घटनास्थल पर नरेन्द्रपुरी का एक दरबार नामक व्यक्ति से भी झगड़ा हुआ था । उसने यह स्वीकार किया है कि उसने चाकू से वार करके क्षति पहुंचाए जाने की घटना को नहीं देखा है । उसने यह कथन किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि नरेन्द्रपुरी पर किस व्यक्ति ने चाकू से वार किया था ।

15. अभि. सा. 10, गफूर हारुन सामा, जिसका साक्ष्य प्रदर्श 30 पर है और जो अभिकथित रूप से घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, ने भी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया और उसने यह कथन किया कि उसने पूरी घटना को नहीं देखा था क्योंकि उस समय वह दोपहर का भोजन करने अपने घर गया था । इस प्रकार उसे भी पक्षद्रोही साक्षी घोषित करके अभियोजन ने पुलिस के समक्ष किए गए उसके कथन के संबंध में उसकी प्रतिपरीक्षा की है । तथापि, उस प्रतिपरीक्षा में भी उसने अभियोजन के आधारिक पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है ।

16. इसी प्रकार, अभि. सा. 11, आनंद जितेन्द्रभाई ठक्कर जिसका साक्ष्य प्रदर्श 31 पर है जो अभिकथित रूप से घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, ने भी अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया और अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित करने के पश्चात् उसकी प्रतिपरीक्षा की थी । किंतु उस प्रतिपरीक्षा में भी उसने अभियोजन के आधारिक पक्षकथन का समर्थन नहीं किया । तथापि, अभियुक्त की ओर

से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और जब वह वापस अपने केबिन पहुंचा था तो उसने वहां न तो तुलसीगिरी को देखा और न ही नरेन्द्रपुरी को और न ही उसने उन दोनों के बीच हुए झगड़े के बारे में सुना ।

17. अभि. सा. 12, डा. मणिकांत श्रीनाथ मिश्रा ने अपने साक्ष्य, जो प्रदर्श 32 पर है, में यह कथन किया है कि तारीख 10 अगस्त, 2011 को वह जी. के जनरल अस्पताल, भुज में अपनी ड्यूटी पर तैनात था और अपराह्न लगभग 3.30 बजे नरेन्द्रपुरी महेशपुरी को उपचार हेतु अस्पताल में उसके पास लाया गया था और उसकी परीक्षा करने पर उसने यह पाया था कि उसके पेट के बीच के हिस्से पर एक चाकू से कारित की गई क्षति थी, जो लगभग 3 सें. मी. × 2 सें. मी. गहरी थी और उस घाव से उसकी आंत बाहर निकल आई थी । उसके द्वारा किए गए वर्णन के अनुसार वह क्षति लगभग एक घंटा पुरानी थी और उसे चाकू से कारित किया जा सकता था और वह क्षति प्रकृति में घोर थी । उसने यह भी कथन किया है कि उसने घायल व्यक्ति की तुरंत शल्यक्रिया की थी । उसके अनुसार यदि कोई जटिलता सामने नहीं आती थी तो वह घाव तीन से चार हफ्ते में भर सकता था । उसने यह भी कथन किया है कि उसने उसी दिन घायल व्यक्ति के रक्त का नमूना लेकर उसे पुलिस को अग्रेषित किया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया है कि उपचार के लिए घायल व्यक्ति लगभग आधे घंटे तक उसके साथ था और घायल व्यक्ति की शल्यक्रिया उसके द्वारा नहीं की गई थी । उसने यह कथन किया है कि शल्यक्रिया लगभग डेढ़ घंटे तक चली थी और उक्त शल्यक्रिया के लिए घायल व्यक्ति को विसंज्ञन दिया गया था और प्रदर्श 33 के रूप में विद्यमान प्रमाण-पत्र में विसंज्ञन देने वाले डाक्टर को नामित नहीं किया गया है । उसने यह कथन किया है कि वर्तमान मामले में पीड़ित व्यक्ति लगभग ढाई घंटे तक विसंज्ञन के प्रभाव में रहा होगा । उसने यह कथन किया है कि पीड़ित की शल्यक्रिया करने वाले डाक्टर के हस्ताक्षर उक्त प्रदर्श पर विद्यमान नहीं हैं । उसने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श 33 में कथित क्षति स्वयं संबद्ध व्यक्ति द्वारा भी कारित की जा सकती है । उसने इस

तथ्य को स्वीकार किया कि उसके उपचार के पश्चात् उसके पास कोई अन्य व्यक्ति नहीं आया था और न ही इस अवधि के दौरान कोई व्यक्ति पीड़ित से मिला था ।

18. अभि. सा. 13 हरपालसिंह जाला के साक्ष्य, जो प्रदर्श 35 पर है, के परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह पीएसओ के रूप में पुलिस थाने में तैनात था और उसने उस शिकायत को प्राप्त किया था जिसे परिवादी ने पुलिस निरीक्षक श्री देसाई के समक्ष प्रस्तुत किया था और तद्नुसार उसने उसे रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति किसी शिकायत को फाइल करने के लिए सीधे पुलिस थाने आता है तो उसकी शिकायत को तुरंत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर में ही लिखा जाता है । उसने इस बात को स्वीकार किया कि वर्तमान मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्ररूप सं. 154 में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्ररूप सं. 154 में लेखबद्ध नहीं किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त हुई सूचना को जब भी लेखबद्ध किया जाता है तब सूचना के तथ्यों को समय और स्थान के साथ उपयुक्त रजिस्टर में अभिलिखित किया जाता है । उसने स्वीकार किया है कि चूंकि इस मामले में शिकायत पुलिस निरीक्षक श्री देसाई के समक्ष दर्ज की गई थी इसलिए वह यह बात नहीं बता सकता था कि किस व्यक्ति ने घटना के तथ्यों का वर्णन किया था ।

19. अभि. सा. 14 हीराभाई रमाभाई देसाई के साक्ष्य, जो प्रदर्श 56 के रूप में है, के परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सुसंगत समय पर वह भुज नगर पुलिस थाने में पुलिस निरीक्षक के रूप में सेवारत था और उस अवधि के दौरान उसे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि नरेन्द्रपुरी को उपचार हेतु अस्पताल में दाखिल किया गया है । इसके उपरांत वह अस्पताल गया और वहां पर महेशपुरी बाबूगिरी गोस्वामी नामक व्यक्ति ने उसके समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जिसे उसके पश्चात् लेखबद्ध किया गया और तदुपरांत उसे अपराध को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए पीएसओ के पास भेजा गया था । उसने यह कथन किया है कि शिकायत दर्ज हो

जाने के पश्चात् जी. के. जनरल अस्पताल से डाक्टर मिश्रा ने टेलीफोन के माध्यम से पुलिस को इस घटना की सूचना दी थी और उस सूचना के आधार पर रजिस्टर में जनवाजोग प्रविष्टि की गई थी । उसने उसकी एक प्रति भी प्रस्तुत की है जो प्रदर्श 38 पर है । उसने यह भी कथन किया है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किए गए मृत्युकालिक कथन की एक प्रति को भी रखा गया था । उसने साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध करने और अभियुक्त तथा साथ ही घायल व्यक्ति के वस्त्रों और चाकू की बरामदगी से संबंधित विभिन्न पंचनामे तैयार किए जाने से संबंधित तथ्यों का भी वर्णन किया है । उसने यह भी कथन किया है कि उसने अपराध के घटनास्थल का पंचनामा तैयार करवाया था और साथ ही अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया तथा उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसने न्यायालय में उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । उसकी मुख्य परीक्षा के दौरान विभिन्न साक्षियों, जो पक्षद्रोही हो गए हैं, द्वारा वर्णित तथ्यों को भी साबित किया गया ।

19.1 अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया कि अपने अभिसाक्ष्य के समय उसने संपूर्ण मामले को पढ़ा है और उसे संक्षिप्त रूप में अभिलिखित किया है । उसने इस बात को स्वीकार किया कि अन्वेषण के दौरान उसने यह पाया था कि पीड़ित के बाएं हाथ पर भी एक क्षति विद्यमान थी और पीड़ित ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दिए गए अपने कथन और साथ ही चिकित्सीय दस्तावेजों पर अपने अंगूठे का निशान लगाया था जो उसके दाहिने हाथ का अंगूठा था । उसने यह स्वीकार किया है कि शिकायत उसके समक्ष प्रस्तुत की गई थी किंतु उसने स्वयं उसे लेखबद्ध नहीं किया था । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिलिखित करने के पश्चात् उसने उसे पीएसओ को अग्रेषित किया था और उसके पश्चात् पीएसओ ने अन्वेषण हेतु शिकायत उसे भेजी थी । उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि शिकायत प्राप्त करने से लेकर आरोप पत्र फाइल करने तक की संपूर्ण कार्यवाही उसके द्वारा की गई थी । उसने यह कथन किया है कि वर्तमान मामले में घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में दाखिल किया गया था जहां उसकी शल्यक्रिया की गई थी । उसके अनुसार वह स्वयं भी घायल व्यक्ति से रात्रि लगभग 8 और 9 बजे के

बीच मिला था । उसने इस बात को स्वीकार किया है कि उस समय घायल व्यक्ति उचित रूप से प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में नहीं था । उसने इस बात को भी स्वीकार किया कि घटनास्थल एक सामान्य जनमार्ग पर घटित हुई थी । उसने इस बात को भी स्वीकार किया है कि शिकायत प्राप्त करने के संबंध में स्थान और समय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । उसने यह कथन किया कि वह स्टेशन डायरी की रिकार्डिंग जिसे जनवाजोग प्रविष्टि भी कहा जाता है को अपने साथ नहीं लाया है । उसने इस सुझाव से इनकार किया कि घायल व्यक्ति ने स्वयं अपने शरीर पर उक्त क्षति को कारित किया था और उसने इस सुझाव से भी इनकार किया कि परिवादी ने उसके समक्ष चाकू को प्रस्तुत किया था । उसने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने इस संबंध में कोई अन्वेषण नहीं किया कि मुद्दमल वस्तु अर्थात् चाकू को कहां से उपाप्त किया गया था । उसने इस सुझाव से इनकार किया कि साक्षियों के कथनों को शिकायत के अनुसार अभिलिखित किया गया है और उसने पहले से तैयार पंचनामों पर पंचसाक्षियों के हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए हैं ।

20. विरोधी दलीलों और ऊपर निर्दिष्ट अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा अभिलेख पर रखे गए अन्य दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह प्रकट होता है कि घायल व्यक्ति को उसके अमाशय के बाईं ओर क्षति कारित हुई है और उस संबंध में उसका उपचार किया गया था और उसके पश्चात् उसकी शल्यक्रिया भी की गई । वीनाबेन के साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि पीड़ित ने स्वयं वीनाबेन के मोबाइल से काल करके अभियुक्त को वहां बुलाया था । यह तथ्य भी प्रकट होता है कि सुसंगत समय पर अभियुक्त और पीड़ित वीनाबेन की चाय की दुकान के समीप मौजूद थे और उन दोनों ने एकसाथ चाय पी थी और उसके पश्चात् उन दोनों के बीच पीड़ित के वीनाबेन के साथ संबंधों को लेकर झगड़ा भी हुआ । वीनाबेन के साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि नि:संदेह रूप से उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है किंतु घटना के सुसंगत समय पर चाकू पीड़ित के कब्जे में था और इस तथ्य को अभियोजन पक्ष द्वारा भी विवादित नहीं किया गया है । उसके साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि घटना के दिन एक दरबार नामक व्यक्ति से भी पीड़ित का झगड़ा हुआ था ।

21. अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि सभी पंचसाक्षियों को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है और उन्होंने अभियोजन के इस आधारिक पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है कि अभियुक्त ने स्वैच्छिक रूप से उस चाकू को प्रस्तुत किया था जिसका उपयोग घटना में किया गया था । अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि पीड़ित और साथ ही उसका उपचार करने वाले डाक्टर के अनुसार डाक्टर ने पुलिस को इस घटना के संबंध में सूचना दी थी तथापि, उस सूचना संबंधी संदेश को इस मामले से संबंधित अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है और उसके पश्चात् पीड़ित के पिता द्वारा फाइल की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में माना गया है । यदि डाक्टर ने पुलिस को घायल व्यक्ति को अस्पताल में लाए जाने के संबंध में कोई संदेश भेजा है तो उस दस्तावेज को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में माना जाना चाहिए था । इस मामले में अभियोजन की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । स्वयं पीड़ित के साक्ष्य के अनुसार वह घटना के 15 मिनट के भीतर ही अस्पताल पहुंच गया था जहां उसे अपराह्न लगभग 4.00 बजे आपातकालीन वार्ड में निर्दिष्ट किया गया और उसके पश्चात् लगभग 3 घंटे तक उसकी शल्यक्रिया की गई । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह असंभव है कि उसने अपने पिता को घटना के ब्यौरों की जानकारी दी जिसने उसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं पीड़ित के साक्ष्य के अनुसार शल्यक्रिया और ओषधियों के प्रभाव के कारण वह पूर्ण रूप से होश में नहीं था । पीड़ित के पिता द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत के अनुसार उसे अपराह्न लगभग 5.30 बजे लेखबद्ध किया गया जिसका आधार पीड़ित द्वारा घटना के संबंध में दिए गए ब्यौरे थे किंतु यह तथ्य सुस्थापित है कि उस समय के दौरान पीड़ित पूर्णतया होशोहवास में नहीं था ।

22. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि प्रारंभ में पीड़ित ने स्वयं ही अभियुक्त को वीनाबेन के मोबाइल फोन से काल करके घटनास्थल पर बुलाया था यद्यपि उसके स्वयं के पास मोबाइल फोन विद्यमान था । इस तथ्य से यह सुझाव प्राप्त होता है

कि पीड़ित द्वारा वीनाबेन के मोबाइल काल किए जाने के कारण ही अभियुक्त वीनाबेन की चाय की दुकान पर आया था और उसके पश्चात् उनके बीच कहा-सुनी हुई थी । इन परिस्थितियों के अधीन यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि अभियुक्त वहां पीड़ित की हत्या करने के इरादे से आया था । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह सुझाव देता है कि पक्षकारों के बीच शत्रुता विद्यमान थी ।

23. अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने पर यह तथ्य पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि पीड़ित का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है । इसके अतिरिक्त ऊपर निर्दिष्ट सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने भी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और अन्य साक्षियों, जिनकी अभियोजन की ओर से परीक्षा की गई और जिनमें पंचसाक्षी भी सम्मिलित हैं, ने भी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अकाट्य नहीं है और अभिकथित अपराध के लिए अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराने हेतु विश्वसनीय नहीं है ।

24. विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय का परिशीलन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन किया है और उसके आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त करके तथ्य और विधि से संबंधित कोई गंभीर त्रुटि नहीं की है । विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश विधि के अनुसार कायम रखने योग्य है ।

25. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह अपील निष्फल होती है और इसे खारिज किया जाता है । विद्वान् छठे अपर सेशन न्यायाधीश, भुज-कच्छ द्वारा वर्ष 2012 के सेशन मामला सं. 4 में प्रत्यर्थी-अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए पारित तारीख 13 अगस्त, 2013 के आदेश की पुष्टि की जाती है । जमानत के बंधपत्रों को रद्द किया जाता है । मामले के अभिलेख और कार्यवाहियों के अभिलेख को तुरंत संबंधित विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाए ।

अपील खारिज की गई ।

पु.

गुजरात राज्य

बनाम

वखतसिंह मानसिंह परमार और अन्य

(1996 की दांडिक अपील सं. 731)

तारीख 6 मार्च, 2020

न्यायमूर्ति ए. जे. देसाई और न्यायमूर्ति ए. सी. राव

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 498क [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्तों द्वारा रस्सी से गला घोंटकर हत्या किए जाने का अभिकथन – रस्सी के चिह्नों का गर्दन पर न पाया जाना – दुष्प्रेरण से संबंधित विशिष्ट अभिकथन का अभाव – साक्षियों द्वारा दुष्प्रेरण से संबंधित कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है और मृतका को रस्सी से लटकाने से संबंधित घटनास्थल पर लकड़ी का कोई भी लट्ठा न पाए जाने और मृतका की गर्दन पर रस्सी का कोई भी चिह्न न पाए जाने के कारण अभियोजन पक्षकथन संदिग्ध हो जाता है, अत: प्रत्यर्थी-अभियुक्तों की दोषमुक्ति न्यायोचित है जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मामला इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि मंगलभाई चतुरभाई (अभि. सा. 2) नाम के एक व्यक्ति ने जो ग्राम अंगद, जिला वड़ोदरा का निवासी है तारीख 20 अक्तूबर, 1994 को ग्रामीण पुलिस थाना खंभात में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 13) दर्ज कराई जिसमें यह अभिकथन किया कि उसकी एक पुत्री ने जिसका नाम दौलत है, मृतक प्रत्यर्थी-1 अर्थात् वखतसिंह मानसिंह परमार से डेढ़ वर्ष पूर्व विवाह किया था । दौलत अपने पैतृक गृह वापस आ गई । उसने यह शिकायत की कि उसका पति, श्वसुर और सास उसके माता-पिता से टेप रिकॉर्डर की मांग कर रहे हैं और वे घरेलू काम-काज जैसी तुच्छ बातों को लेकर उसके साथ यातनापूर्ण व्यवहार

करते हैं । शिकायत में यह भी अभिकथन किया गया कि पति को अपनी पत्नी अर्थात् शिकायतकर्ता की पुत्री के चरित्र पर संदेह था और वह अपनी पत्नी को शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाया करता था । तारीख 19 अक्तूबर, 1994 को जब शिकायतकर्ता अपने काम पर गया हुआ था, उसे यह संदेश प्राप्त हुआ कि उसकी पुत्री बीमार है, अत: वह अपनी पुत्री के वैवाहिक गृह पर गया जहां उसने अपनी पुत्री का शव बरामदे में पड़ा हुआ देखा । वहां पर बहुत-से लोग जमा हो गए थे । शव कपड़े से ढका हुआ था और जब शिकायतकर्ता ने शव पर से कपड़ा उठाया तो उसने गर्दन पर कुछ क्षतियां देखीं, अत: उसने सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा शव की शव-परीक्षा कराए जाने के लिए कहा । तद्नुसार, शव की शव-परीक्षा की गई और यह पाया गया कि कंठास्थि में अस्थिभंग होने के कारण मृत्यु हुई है । अत:, शिकायतकर्ता ने तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । इस मामले में पुलिस उप निरीक्षक रणछोड़भाई गोपालभाई पटेल (अभि. सा. 13) द्वारा अन्वेषण किया गया जिसने स्वयं प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 29) अभिलिखित की क्योंकि वह पुलिस थाने में भारसाधक था । अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और अन्वेषण पूरा होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया गया । संबंधित मजिस्ट्रेट को इस मामले का विचारण करने की कोई अधिकारिता नहीं थी इसलिए उसने इस मामले को सेशन न्यायाधीश, नडियाद को सुपुर्द कर दिया । तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्वोक्त अपराधों के लिए आरोप (प्रदर्श 4) विरचित किया गया जिस पर उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया और तद्नुसार उनका विचारण किया गया । अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 13 साक्षियों की परीक्षा कराई और अपने पक्षकथन के समर्थन में शवपरीक्षण रिपोर्ट सहित कई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए । प्रत्यर्थी-अभियुक्तों ने अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई । साक्ष्य पूरा होने पर संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के कथन अभिलिखित किए गए । सेशन न्यायाधीश ने पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ताओं को सुनने और साक्ष्य पर विचार करने तथा अनेक साक्षियों के मौखिक साक्ष्य की संवीक्षा करने के पश्चात् यह

निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष अपना पक्षकथन सिद्ध करने में असफल रहा है और सभी अभियुक्तों को पूर्वोक्त आरोपों से मुक्त कर दिया । इसीलिए यह अपील फाइल की गई है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – जहां तक प्रत्यर्थी-3 अर्थात् मृतका की सास का संबंध है, हमने अभिलेख पर प्रस्तुत अभिसाक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य का परिशीलन किया है । यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 13) पर विचार किया जाए, मुख्य अभिकथन प्रत्यर्थी-1 के विरुद्ध हत्या के संबंध में किया गया है जो मृतका का पति है, तथापि, दुष्प्रेरण से संबंधित कोई भी विशिष्ट अभिकथन नहीं किया गया है, यद्यपि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में टेप रिकॉर्डर की मांग से संबंधित साधारण अभिकथन किया गया है । तथापि, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के समर्थन में विचारण के दौरान कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है । यह भी उल्लेखनीय है कि मृतका के शरीर पर रस्सी के चिह्न नहीं पाए गए हैं अत: अभियोजन पक्ष का यह पक्षकथन स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मृतका का गला रस्सी से घोंटा गया है, विशेषकर जब कोई भी लकड़ी का लट्ठा घटनास्थल पर न पाया गया हो और यह अभिकथन किया गया हो कि उसे रस्सी से लटकाकर हत्या की गई है । अन्वेषण के दौरान ऐसा कोई भी लकड़ी का लट्ठा न तो प्रकट हुआ है और न ही बरामद किया गया है । विचारण न्यायालय ने यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि मृतक-प्रत्यर्थी-1 और मृतक-प्रत्यर्थी-2 तथा वर्तमान प्रत्यर्थी-3 के विरुद्ध तनिक भी साक्ष्य नहीं है, अत: हमें प्रत्यर्थी-अभियुक्तों को दोषमुक्त करने वाले आक्षेपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई भी कारण दिखाई नहीं देता है । (पैरा 6.1 और 6.2)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2014]	ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 2200 : **मुरलीधर** उर्फ **गिड्डा और एक अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	6.3

[2013] 2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5501 =
ए. आई. आर. 2013 एस. सी. (क्रि.) 2194 =
(2013) 14 एस. सी. सी. 88 :
प्रेम सिंह बनाम **हरियाणा राज्य** । 6.4

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1996 की दांडिक अपील सं. 731.

1995 के सेशन मामला सं. 126 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश नडियाद, द्वारा तारीख 29 मार्च, 1996 को पारित दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री एल. बी. दाभी (अपर लोक अभियोजक)

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री बूच (न्यायमित्र)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ए. जे. देसाई ने दिया ।

न्या. देसाई – वर्तमान अपील 1995 के सेशन मामला सं. 126 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश नडियाद, द्वारा तारीख 29 मार्च, 1996 को पारित दोषमुक्ति के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "संहिता" कहा गया है) की धारा 378 के अधीन फाइल की गई है जिसके द्वारा सेशन न्यायाधीश ने तीनों प्रत्यर्थियों अर्थात् अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 114 के साथ पठित धारा 302 और धारा 498क के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया था ।

2. अभिलेख पर यह आया है कि अपील के लंबित रहने के दौरान वर्तमान प्रत्यर्थी-1 और प्रत्यर्थी-2 की मृत्यु हो चुकी है, अत: इन प्रत्यर्थियों के संबंध में अपील उपशमित की जाती है और इस मामले की सुनवाई केवल प्रत्यर्थी-3 के संबंध में ही की जाएगी जो विचारण मामले में मूल रूप से अभियुक्त-3 था ।

2.1 यद्यपि प्रत्यर्थी-3 को समन तामील कराया गया है फिर भी प्रत्यर्थी-3 ने न्यायालय के समक्ष पेश न होने का विकल्प चुना है, अत:

न्यायालय ने विद्वान् अधिवक्ता सुश्री बूच से न्यायालय की इस मामले में सहायता करने का निवेदन किया है और तद्नुसार उन्होंने न्यायालय की सहायता की है ।

3. अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मामला निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है :–

(i) यह कि मंगलभाई चतुरभाई (अभि. सा. 2) नाम के एक व्यक्ति ने जो ग्राम अंगद, जिला वड़ोदरा का निवासी है तारीख 20 अक्तूबर, 1994 को ग्रामीण पुलिस थाना खंभात में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 13) दर्ज कराई जिसमें यह अभिकथन किया कि उसकी एक पुत्री ने जिसका नाम दौलत है, मृतक प्रत्यर्थी-1 अर्थात् वखतसिंह मानसिंह परमार से डेढ़ वर्ष पूर्व विवाह किया था ।

(ii) यह कि दौलत अपने पैतृक गृह वापस आ गई । उसने यह शिकायत की कि उसका पति, श्वसुर और सास उसके माता-पिता से टेप रिकॉर्डर की मांग कर रहे हैं और वे घरेलू काम-काज जैसी तुच्छ बातों को लेकर उसके साथ यातनापूर्ण व्यवहार करते हैं । शिकायत में यह भी अभिकथन किया गया कि पति को अपनी पत्नी अर्थात् शिकायतकर्ता की पुत्री के चरित्र पर संदेह था और वह अपनी पत्नी को शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाया करता था ।

(iii) तारीख 19 अक्तूबर, 1994 को जब शिकायतकर्ता अपने काम पर गया हुआ था, उसे यह संदेश प्राप्त हुआ कि उसकी पुत्री बीमार है, अत: वह अपनी पुत्री के वैवाहिक गृह पर गया जहां उसने अपनी पुत्री का शव बरामदे में पड़ा हुआ देखा । वहां पर बहुत-से लोग जमा हो गए थे । शव कपड़े से ढका हुआ था और जब शिकायतकर्ता ने शव पर से कपड़ा उठाया तो उसने गर्दन पर कुछ क्षतियां देखीं, अत: उसने सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा शव की शव-परीक्षा कराए जाने के लिए कहा । तद्नुसार, शव की शव-परीक्षा की गई और यह पाया गया कि कंठास्थि में अस्थिभंग होने के कारण मृत्यु हुई है । अत:, शिकायतकर्ता ने तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई ।

(iv) इस मामले में पुलिस उप निरीक्षक रणछोड़भाई गोपालभाई पटेल (अभि. सा. 13) द्वारा अन्वेषण किया गया जिसने स्वयं प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 29) अभिलिखित की क्योंकि वह पुलिस थाने में भारसाधक था । अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और अन्वेषण पूरा होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया गया ।

(v) संबंधित मजिस्ट्रेट को इस मामले का विचारण करने की कोई अधिकारिता नहीं थी इसलिए उसने इस मामले को सेशन न्यायाधीश, नडियाद को सुपुर्द कर दिया ।

(vi) तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्वोक्त अपराधों के लिए आरोप (प्रदर्श 4) विरचित किया गया जिस पर उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया और तद्नुसार उनका विचारण किया गया ।

(vii) अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 13 साक्षियों की परीक्षा कराई और अपने पक्षकथन के समर्थन में शवपरीक्षण रिपोर्ट सहित कई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए । प्रत्यर्थी-अभियुक्तों ने अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई ।

(viii) साक्ष्य पूरा होने पर संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के कथन अभिलिखित किए गए ।

(ix) सेशन न्यायाधीश ने पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ताओं को सुनने और साक्ष्य पर विचार करने तथा अनेक साक्षियों के मौखिक साक्ष्य की संवीक्षा करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष अपना पक्षकथन सिद्ध करने में असफल रहा है और सभी अभियुक्तों को पूर्वोक्त आरोपों से मुक्त कर दिया । इसीलिए यह अपील फाइल की गई है ।

4. विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री एल. बी. दाभी ने हमारा ध्यान मूल शिकायतकर्ता अर्थात् मंगलभाई चतुरभाई (अभि. सा. 2) के साक्ष्य प्रदर्श 12 की ओर दिलाते हुए यह दलील दी है कि चूंकि मृतका की हत्या से संबंधित आरोप वखतसिंह अर्थात् प्रत्यर्थी-1 के विरुद्ध विरचित किया गया था जिसकी मृत्यु इस मामले के विचारण के दौरान

हो गई थी, इसलिए वह अब केवल मृतका की सास अर्थात् प्रत्यर्थी-3 के संबंध में ही दलील पेश करेंगे ।

4.1 विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री एल. बी. दाभी ने हमारा ध्यान शिकायतकर्ता मंगलभाई चतुरभाई अर्थात् अभि. सा. 2 के साक्ष्य (प्रदर्श 12) की ओर दिलाते हुए यह दलील दी है कि यह घटना मृतका के मकान में घटित हुई है जहां सभी अभियुक्त एक साथ रहते थे, अत: यह उपधारणा की जा सकती है कि प्रत्यर्थी-3 ने भी हत्या के अपराध का दुष्प्रेरण किया है जिसमें मुख्य भूमिका प्रत्यर्थी-3 के पुत्र की है । विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि मृतका के साथ क्रूरता कारित की गई थी, अत: अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दोषसिद्ध किया जाना चाहिए था । श्री दाभी ने हमारे समक्ष शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 11) भी प्रस्तुत की है जो डा. देवेन्द्र द्वारा तैयार की गई है जिसमें चिकित्सक ने यह राय व्यक्त की है कि यह हत्या का मामला है और मृत्यु का कारण श्वासावरोध है । अत: श्री दाभी ने यह निवेदन किया कि यह अपील मंजूर की जानी चाहिए ।

5. इसके प्रतिकूल विद्वान् अधिवक्ता सुश्री बूच ने यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय ने सभी प्रत्यर्थी-अभियुक्तों को दोषमुक्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । सुश्री बूच ने यह भी तर्क दिया है कि अन्वेषण अधिकारी ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि मानो मृतका को किसी लकड़ी के लट्ठे के सहारे रस्सी से लटकाकर फांसी लगाई है, जबकि मृतका के शरीर पर रस्सी के दबाव से बने कोई चिह्न नहीं पाए गए हैं । यह अभिकथन किया गया है कि मृतका के पति द्वारा रक्त के धब्बे प्रकट किए गए हैं जबकि रस्सी पर रक्त के कोई भी धब्बे नहीं पाए गए हैं । सुश्री बूच ने यह भी दलील दी है कि अन्वेषण अभिकरण द्वारा लकड़ी का कोई भी लट्ठा न तो प्रकट किया गया है और न ही बरामद किया गया है । सुश्री बूच ने न्यायालय के समक्ष मृतका के पिता और अनेक नातेदारों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष हत्या के दुष्प्रेरण का मामला सिद्ध करने में असफल रहा है और तर्कसम्मत और विश्वसनीय साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं कर सका है । यद्यपि एक नातेदार के साधारण वृत्तांत के सिवाय, क्रूरता का कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया है और न ही इस संबंध में अन्य कोई भी साक्ष्य

प्रस्तुत किया गया है, अत: विचारण न्यायालय ने सभी प्रत्यर्थी-अभियुक्तों को आरोपों से दोषमुक्त करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है ।

6. हमने पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले अपने-अपने विद्वान् अधिवक्ताओं को सुना है । जैसाकि ऊपर कहा गया है, यह अपील प्रत्यर्थी-1 और प्रत्यर्थी-2 जो मृतका के क्रमश: पति और श्वसुर हैं, के संबंध में उपशमित की गई है ।

6.1 जहां तक प्रत्यर्थी-3 अर्थात् मृतका की सास का संबंध है, हमने अभिलेख पर प्रस्तुत अभिसाक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य का परिशीलन किया है । यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 13) पर विचार किया जाए, मुख्य अभिकथन प्रत्यर्थी-1 के विरुद्ध हत्या के संबंध में किया गया है जो मृतका का पति है, तथापि, दुष्प्रेरण से संबंधित कोई भी विशिष्ट अभिकथन नहीं किया गया है, यद्यपि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में टेप रिकॉर्डर की मांग से संबंधित साधारण अभिकथन किया गया है । तथापि, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के समर्थन में विचारण के दौरान कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है ।

6.2 यह भी उल्लेखनीय है कि मृतका के शरीर पर रस्सी के चिह्न नहीं पाए गए हैं अत: अभियोजन पक्ष का यह पक्षकथन स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मृतका का गला रस्सी से घोंटा गया है, विशेषकर जब कोई भी लकड़ी का लट्ठा घटनास्थल पर न पाया गया हो और यह अभिकथन किया गया हो कि उसे रस्सी से लटका कर हत्या की गई है । अन्वेषण के दौरान ऐसा कोई भी लकड़ी का लट्ठा न तो प्रकट हुआ है और न ही बरामद किया गया है । विचारण न्यायालय ने यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि मृतक-प्रत्यर्थी-1 और मृतक-प्रत्यर्थी-2 तथा वर्तमान प्रत्यर्थी-3 के विरुद्ध तनिक भी साक्ष्य नहीं है, अत: हमें प्रत्यर्थी-अभियुक्तों को दोषमुक्त करने वाले आक्षेपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई भी कारण दिखाई नहीं देता है ।

6.3 **मुरलीधर** उर्फ **गिड्डा और एक अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोषमुक्ति के आदेश के

---

[1] ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 2200.

विरुद्ध की गई अपील से संबंधित सिद्धांत अधिकथित किए हैं । उक्त निर्णय का सुसंगत पैरा 12 निम्न प्रकार उद्धृत है :–

> "12. दोषमुक्ति के विरुद्ध की गई अपील में अपील न्यायालय के दृष्टिकोण पर इस न्यायालय द्वारा तुलसीराम कानू (3), मदन मोहन सिंह (4), अटले (5), अहेर राजा खीमा (6), बलबीर सिंह (7), एम. जी. अग्रवाल (8), नूर खान (9), खेडू मोहटन (10), शिवाजी साहबराव बोबडे (11), लेखा यादव (12), खेम करन (13), बिशन सिंह (14), उमेदभाई जाधवभाई (15), के. गोपाल रेड्डी (16), तोता सिंह (17), राम कुमार (18), मदन लाल (19), सम्बा सिवन (20), भगवान सिंह (21), हरिजन तिरुपला (22), सी. एंटोनी (23), के. गोपाल कृष्ण (24), संजय ठाकरन (25) और चंद्रप्पा (26) वाले मामलों में विचार किया गया है । इन मामलों में एक-एक करके विचार करने की आवश्यकता नहीं है । यह कहना पर्याप्त होगा कि इस न्यायालय ने निरंतर रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि दोषमुक्ति के विरुद्ध की गई अपीलों में अपील न्यायालय को निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिएं : (i) अभियुक्त के पक्ष में उसकी निर्दोषिता की उपधारणा की जाती है, (ii) अभियुक्त युक्तियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार होता है, (iii) अपील न्यायालय की शक्ति दोषमुक्ति के विरुद्ध की गई अपील में उतनी ही व्यापक है जितनी दोषसिद्धि के विरुद्ध की गई अपील में होती है किंतु अपील न्यायालय आमतौर पर विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्यों के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता है । इसका कारण यह है कि विचारण न्यायालय के पास साक्षियों के हाव-भाव देखने और समझने का अवसर होता है यदि विचारण न्यायालय ने मामले के तथ्यों पर युक्तियुक्त रूप से विचार किया होता है तब अपील न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है ।
>
> जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह गलत न हों या विधि का प्रयोग गलत दृष्टिकोण के साथ न किया गया हो या ऐसे निष्कर्ष निकाले गए हों जिनसे घोर

अन्याय होता हो तब अपील न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की अनिच्छा प्रकट करना पूर्णतया न्यायोचित होगा, और (iv) मात्र इस कारण से कि अपील न्यायालय साक्ष्य का पुन: मूल्यांकन करने के पश्चात् किसी भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आनत है, तब ऐसी स्थिति में दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं होगा यदि विचारण न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया मत एक संभव मत है । यदि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य पर संतुलित रूप से विचार किया गया है तब अपील न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

6.4 **प्रेम सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में भी उच्चतम न्यायालय की वृहत्तर न्यायपीठ ने दोषमुक्ति के विरुद्ध की गई अपील पर विचार करने संबंधी 5 मापदंड दोहराए हैं । उक्त निर्णय का सुसंगत पैरा निम्न प्रकार उद्धृत किया जा रहा है :-

"6. इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश को उलटना उचित समझा है, यद्यपि अत्यंत संक्षेप रूप में, विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश को उलटने की अपील न्यायालय की शक्ति से संबंधित विधि की सुस्थापित स्थिति पर ध्यान देना आवश्यक होगा ।

7. मुरूगेसन **बनाम** राज्य, द्वारा पुलिस निरीक्षक [ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 274 (1)] वाले मामले में किए गए विनिश्चय में इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित विधि के व्यापक सिद्धांतों पर विचार किया है । इस निर्णय के पृष्ठ 393-394 पर पैरा 21 में वर्णित विधि के सुसंगत सिद्धांतों को संक्षेप में निम्न प्रकार उद्धृत किया जा सकता है -

---

[1] 2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5501 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. (क्रि.) 2194 = (2013) 14 एस. सी. सी. 88.

"21. चंद्रप्पा **बनाम** कर्नाटक राज्य [ए. आई. आर. 2007 एस. सी. (सप्ली.) 111(3)] वाले मामले में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के पैरा 42 में शिव स्वरूप (2) वाले मामले में मत व्यक्त किए जाने के बाद से लगभग अर्ध-शताब्दी से इस मुद्दे से संबंधित संक्षिप्त विधि पर विचार किया गया है । अत: इस निर्णय के पृष्ठ एस. सी. सी. 432 पर पैरा 42 को निम्न प्रकार उद्धृत किया जाना लाभप्रद होगा –

> 42. हमारी सुविचारित राय में, उपरोक्त विनिश्चयों से दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध की गई अपील पर विचार करने को लेकर अपील न्यायालय की शक्तियों से संबंधित मूल सिद्धांत निम्न प्रकार हैं –
>
> (1) अपील न्यायालय को उस साक्ष्य का पुनर्विलोकन, पुनर्मूल्यांकन और उस पर पुनर्विचार करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है जिसके आधार पर दोषमुक्ति का आदेश पारित किया गया है ।
>
> (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के संबंध में कोई भी परिसीमा, प्रतिषेध या शर्त नहीं रखी गई है और अपील न्यायालय जिसके समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, स्वयं अपना निष्कर्ष तथ्यों और विधि दोनों के आधार पर निकाल सकता है ।
>
> (3) सारभूत और आबद्धकारी कारण, ठोस और पर्याप्त आधार, अत्यंत प्रभावशाली परिस्थितियां, विरूपित निष्कर्ष, स्पष्ट त्रुटियां आदि जैसी अनेक अभिव्यक्तियों का प्रयोग किए जाने का आशय दोषमुक्ति के विरुद्ध की गई अपील में, अपील न्यायालय की व्यापक शक्ति को कम करना नहीं है । ऐसी शब्दावली का प्रयोग करने का उद्देश्य यह है कि अपील न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने में अधिक जल्दबाजी न करें और अपने निष्कर्ष पर पहुंचने

के लिए साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने की शक्ति का प्रयोग कम से कम करें ।

(4) तथापि, अपील न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि दोषमुक्ति के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधारणा की जाती है । पहली यह कि आपराधिक न्यायशास्त्र के इस मूल सिद्धांत के अधीन उसे निर्दोषिता की यह उपधारणा उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे विधि के सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न कर दिया जाए । दूसरी उपधारणा यह है कि अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है, ऐसी स्थिति में उसकी निर्दोषिता पुन: प्रबलित, संपुष्ट और प्रभावी हो जाती है ।

(5) यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो युक्तियुक्त निष्कर्ष संभव हैं, तब अपील न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

7. उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए वर्तमान अपील निष्फल होती है और तद्नुसार खारिज की जाती है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश, नडियाद द्वारा 1995 के सेशन मामला सं. 126 में तारीख 29 मार्च, 1996 को पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और आदेश की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है । जमानत पत्र, यदि कोई निष्पादित किया गया है, रद्द किया जाता है । निचले न्यायालय का अभिलेख, यदि कोई है, उसे तत्काल वापस भेजा जाए ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

रमाकांत दास और अन्य

बनाम

त्रिपुरा राज्य

(2016 की दांडिक अपील सं. 34)

तारीख 14 मई, 2020

न्यायमूर्ति अरिन्दम लोध

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 457,436 और 426 – गृह अतिचार – गृह को नष्ट करने के आशय से अग्नि द्वारा रिष्टि – अभियुक्तों द्वारा अभिकथित रूप से दरवाजों-खिड़कियों आदि को तोड़कर गृह में प्रवेश किया जाना – आभूषणों, अन्य मूल्यवान वस्तुओं के साथ 50,000/- रुपए नकद का लूटा जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा यह अभिसाक्ष्य दिया जाना कि वे भयवश घर से भाग गए थे और कुछ दूर स्थित एक दीवार के पीछे छिप गए थे – अभियुक्तों और परिवादी के बीच गहरी दुश्मनी – परिवादी या उसके पुत्र द्वारा अन्वेषण अधिकारी के समक्ष इस तथ्य का उल्लेख न किया जाना कि घर में 50,000/- रुपए की नकद राशि मौजूद थी – स्वयं प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा यह अभिसाक्ष्य दिया जाना कि वे शोर-शराबा सुनकर घर के पिछले द्वार से निकलकर भाग गए थे – इन परिस्थितियों में इस बात पर गंभीर संदेह उद्भूत होता है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी वस्तुतः प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और उन्होंने गृह पर हमला करने वाले व्यक्तियों को नहीं देखा था – इस प्रकार अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे अपने पक्षकथन को साबित करने में असफल रहा है – अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने के हकदार हैं ।

अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, परीना बीबी द्वारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई जिसमें अन्य बातों के साथ, उसने यह कथन किया है कि तारीख 13 नवंबर, 2014 को अपराह्न लगभग 7.00 बजे वह और उसका पुत्र सुनामुद्दीन दक्षिण

पानिसागर स्थित अपने घर में मौजूद थे । उस समय अपीलार्थियों ने अचानक ही उनके घर पर हमला किया और उनके घर में घुस गए और उन्होंने ठोकर मार-मार कर उसके घर की खिड़कियों और दरवाजों को तोड़ते हुए घर को लूट लिया । शिकायत में यह भी अभिकथन किया गया है कि अपीलार्थियों ने उसके घर में मौजूद कुछ मूल्यवान फर्नीचर को तोड़ डाला और कुछ कपड़ों और स्वर्ण आभूषणों और साथ ही 50,000/- रुपए की नकदी को लूट लिया । यह भी अभिकथित किया गया है कि जब अपीलार्थी उसके घर से जा रहे थे तो उन्होंने उसके आवास को आग लगा दी । उक्त शिकायत की प्राप्ति पर पानिसागर पुलिस थाने के थानाध्यक्ष ने वर्ष 2014 के पानिसागर पुलिस थाना मामला सं. 68 के द्वारा दंड संहिता की धारा 457/380/436/427/34 के अधीन एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर की । तद्नुसार अन्वेषण आरंभ किया गया और अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया गया । अन्वेषण के अनुक्रम में अन्वेषण अधिकारी ने उपलब्ध साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध किया और अन्वेषण की समाप्ति पर अन्वेषण अधिकारी ने अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश, धर्मनगर, उत्तर त्रिपुरा नें मामला उसको सौंप दिए जाने पर मामले का विचारण आरंभ किया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने दंड संहिता की धारा 457/426/436/34 के अधीन अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए जिनके संबंध में अपीलार्थियों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण का दावा किया । आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 6 साक्षियों की परीक्षा की । विचारण के समाप्त होने पर अपीलार्थियों की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई जिसके दौरान अपीलार्थियों ने उन्हें फंसाने वाले सभी साक्ष्यों से इनकार किया और विचारण का दावा किया । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री पर विचार करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराया था और पूर्वोक्तानुसार उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया था । विचारण न्यायालय के इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय में दांडिक अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – मैंने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2, जिन्होंने घटना के प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया है, के कथन से मेरी राय में यह स्पष्ट हो जाता है कि वे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब उन्होंने शोर-शराबा सुना तो वे उस समय अपनी झोपड़ी की पूर्वी भित्ति में मौजूद थे और उस समय उसका दरवाजा भीतर से बंद था । उन्होंने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया कि भय के कारण वे दोनों, अर्थात् अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 उक्त झोपड़ी के पिछले दरवाजे से भाग गए और उन्होंने स्वयं को वहां से लगभग 10 फुट दूर स्थित मिट्टी की एक दीवार के पीछे छुपा लिया । उनके साक्ष्य से यह बात सामने आती है कि अपीलार्थियों ने उक्त झोपड़ी के दरवाजे को तोड़कर उसमें प्रवेश किया था । उस परिस्थिति में, मेरी राय में दरवाजा टूटने से पूर्व ही अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 झोपड़ी से भाग गए थे इसलिए परिवादी के लिए यह असंभव प्रतीत होता है कि वह उन व्यक्तियों की शनाख्त करने में समर्थ हो सके जिन्होंने वास्तव में उनकी झोपड़ी पर हमला किया था और यह बात इससे भी पुष्ट होती है कि उन्होंने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि लगभग 25 व्यक्तियों ने उनके घर पर हमला किया था और हमला करने वाले व्यक्तियों ने उनके घर के इलेक्ट्रिक बल्ब को भी तोड़ दिया था । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने अपनी कहानी में तात्कालिक सुधार भी किया है, जो अभि. सा. 6, अन्वेषण अधिकारी के अभिसाक्ष्य से स्पष्ट हो जाता है जहां उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अन्वेषण के दौरान न तो अभि. सा. 1 और न ही अभि. सा. 2 ने उसके समक्ष यह बात प्रकट की थी कि उनकी झोपड़ी में 50,000/- रुपए की नकद राशि मौजूद थी जो मवेशियों का विक्रय आगम थी । अन्वेषण अधिकारी ने यह भी कथन किया है कि उसके अन्वेषण के दौरान किसी भी अभियोजन साक्षी ने उसे यह नहीं बताया कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने किसी मवेशी का विक्रय किया था । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी सं. 1 की पुत्री का अपहरण परिवादी श्रीमती परीना बीबी

के छोटे पुत्र द्वारा किया गया था और इस कारण से दोनों कुटुंबों के बीच गहरी दुश्मनी थी । इस सिलसिले में परिवादी के पति को भी गिरफ्तार किया गया था और परिवादी का छोटा पुत्र आज की तारीख तक फरार है । जैसा कि मैंने पूर्व में कथन किया है, चूंकि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2, दोनों ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि वे झोपड़ी के अंदर मौजूद थे और झोपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद था और शोर-शराबा सुनने के पश्चात् वे भयवश झोपड़ी से भाग गए और बाहर आकर वे लगभग 10 फुट दूर स्थित एक मिट्टी की दीवार के पीछे छिप गए और अपीलार्थियों ने झोपड़ी के दरवाजे को तोड़कर झोपड़ी में प्रवेश किया इसलिए मेरी राय में इस कहानी की सच्चाई के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न होते हैं कि उन्होंने हमलावरों के उक्त समूह में से वास्तविक हमलावरों की शनाख्त की है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह चाहे वह कितना भी गंभीर हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता । अपराध को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे स्थापित करना अनिवार्य है । उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए मेरे सुविचारित मत में अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे अपने पक्षकथन को स्थापित करने में असफल रहा है और अपीलार्थी संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्त किए जाने के लिए हकदार हैं । तद्नुसार अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । (पैरा 14, 15, 16 और 17)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की दांडिक अपील सं. 34.

विद्वान् सेशन न्यायाधीश, धर्मनगर, उत्तर त्रिपुरा द्वारा 2015 के सेशन विचारण (वि. 1) मामला सं. 24 में तारीख 6 जून, 2016 को पारित निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध दांडिक अपील ।

याचियों की ओर से श्री राजू दत्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एस. देबनाथ घोष, अपर लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति अरिन्दम लोध – 2015 के सेशन विचारण (वि. 1)

मामला सं. 24 में तारीख 6 जून, 2016 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, धर्मनगर, उत्तर त्रिपुरा द्वारा पारित निर्णय और दंडादेश, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् दंड संहिता कहा गया है) की धारा 457, 436 और 426 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया था और दंड संहिता की धारा 457 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए 3 (तीन) वर्ष के कठोर कारावास और 3,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादिष्ट किया गया था और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम पर उन्हें तीन मास के और कठोर कारावास को भुगतने का निदेश भी दिया गया था और साथ ही उन्हें दंड संहिता की धारा 436 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए 5 (पांच) वर्ष के कठोर कारावास और 10,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादिष्ट किया गया था और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम पर उन्हें दस मास के और कठोर कारावास को भुगतने का निदेश भी दिया गया था । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 426 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए 2 (दो) मास के साधारण कारावास के लिए दंडादिष्ट किया गया था ।

2. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री राजू दत्ता और साथ ही प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री एस. देबनाथ को भी सुना ।

3. अभियोजन पक्ष के मामले को परीना बीबी द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर आरंभ किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ, उसने यह कथन किया है कि तारीख 13 नवंबर, 2014 को अपराह्न लगभग 7.00 बजे वह और उसका पुत्र सुनामुद्दीन दक्षिण पानिसागर स्थित अपने घर में मौजूद थे । उस समय अपीलार्थियों ने अचानक ही उनके घर पर हमला किया और उनके घर में घुस गए और उन्होंने ठोकर मार-मार कर उसके घर की खिड़कियों और दरवाजों को तोड़ते हुए घर को लूट लिया । शिकायत में यह भी अभिकथन किया गया है कि अपीलार्थियों ने उसके घर में मौजूद कुछ मूल्यवान फर्नीचर को तोड़ डाला और कुछ कपड़ों और स्वर्ण आभूषणों और साथ ही 50,000/- रुपए की

नकदी को लूट लिया । यह भी अभिकथित किया गया है कि जब अपीलार्थी उसके घर से जा रहे थे तो उन्होंने उसके आवास को आग लगा दी ।

4. उक्त शिकायत की प्राप्ति पर पानिसागर पुलिस थाने के थानाध्यक्ष ने वर्ष 2014 के पानिसागर पुलिस थाना मामला सं. 68 के द्वारा दंड संहिता की धारा 457/380/436/427/34 के अधीन एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर की । तद्नुसार अन्वेषण आरंभ किया गया और अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया गया । अन्वेषण के अनुक्रम में अन्वेषण अधिकारी ने उपलब्ध साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध किया और अन्वेषण की समाप्ति पर अन्वेषण अधिकारी ने अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश, धर्मनगर, उत्तर त्रिपुरा ने मामला उसको सौंप दिए जाने पर मामले का विचारण आरंभ किया ।

5. विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने दंड संहिता की धारा 457/426/436/34 के अधीन अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए जिनके संबंध में अपीलार्थियों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण का दावा किया । आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 6 साक्षियों की परीक्षा की । विचारण के समाप्त होने पर अपीलार्थियों की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई जिसके दौरान अपीलार्थियों ने उन्हें फंसाने वाले सभी साक्ष्यों से इनकार किया और विचारण का दावा किया ।

6. विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने इस मामले में निर्णय दिए जाने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं को विरचित किया जो निम्नानुसार हैं :-

(i) क्या तारीख 30 नवंबर, 2014 को अपराह्न 7.00 बजे अभियुक्तों ने सामान्य आशय से सूचना देने वाली श्रीमती परीना बीबी के पानिसागर स्थित आवास में गृह अतिचार किया जिसका प्रयोजन अपराध कारित करना था ?

(ii) क्या अभियुक्तों ने पूर्वोक्त तारीख, समय और स्थान पर श्रीमती परीना बीबी के आवासीय गृह के पूर्व दिशा में बनी झोपड़ी,

जिसे मानवीय आवास के रूप में उपयोग किया जा रहा था, को सामान्य आशय से आग लगाई थी ?

(iii) क्या अभियुक्तों ने श्रीमती परीना बीबी के घर और घर के सामान को क्षति पहुंचाकर रिष्टि कारित की है जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने 2,000/- रुपए के मूल्य की हानि पहुंचाई है ?

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री पर विचार करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराया था और पूर्वोक्तानुसार उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया था ।

7. सुनवाई के समय अपीलार्थियों के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री राजू दत्ता ने विचारण के प्रारंभ से ही इस न्यायालय को अपनी इस दलील से यह मनाने का प्रयास किया है कि अपीलार्थी सं. 1, अर्थात् रमाकांत दास ने पानिसागर पुलिस थाने के थानाध्यक्ष के समक्ष परिवादी श्रीमती परीना बीबी के पति और छोटे पुत्र के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज की थी जिसमें अन्य बातों के साथ यह कथन किया गया था कि उसकी पुत्री लिपि का अपहरण श्रीमती परीना बीबी, जो वर्तमान मामले की परिवादी है, के पति और छोटे पुत्र द्वारा किया गया ।

अपनी इस दलील को साबित करने के संबंध में विद्वान् काउंसेल श्री दत्ता ने मेरा ध्यान अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 की प्रतिपरीक्षा की ओर आकर्षित किया है जिसमें उक्त श्रीमती परीना बीबी ने अभि. सा. 1 के रूप में यह कहा कि "मेरे पति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और इसलिए वह घटना के समय अनुपस्थित था । घटना से एक दिन पूर्व पुलिस ने मेरे पति को गिरफ्तार किया था" । परिवादी के पुत्र अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि "यह आरोप लगाया गया था कि मेरे भाई ने एक हिंदू लड़की लिपि को उठा लिया है किंतु मुझे सुनिश्चित रूप से पता नहीं है कि क्या मेरे भाई ने वास्तव में उस हिंदू लड़की को उठाया है । डर के कारण हमने स्वयं को छिपा लिया था और हमने आश्रय के लिए पड़ोस के लोगों के पास जाने तक का विचार नहीं किया" ।

विद्वान् काउंसेल श्री दत्ता ने यह भी दलील दी कि वर्तमान मामले की परिवादी ने स्वयं को अपीलार्थी सं. 1 द्वारा पुलिस थाने में उनके विरुद्ध दर्ज किए गए इन आरोपों से सुरक्षित करने के लिए वर्तमान मामले को दर्ज करने हेतु मिथ्या शिकायत प्रस्तुत की है कि उसकी पुत्री लिपि का अपहरण परिवादी के पति और छोटे पुत्र द्वारा किया गया है । श्री दत्ता ने यह भी दलील दी है कि इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और आरोपों को मात्र परिवादी श्रीमती परीना बीबी और उसके पुत्र द्वारा किए गए कथन के आधार पर विरचित किया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी के विरुद्ध विरचित आरोप और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा उद्घोषित दोषसिद्धि और दंडादेश कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं तथा वे अभिखंडित किए जाने के हकदार हैं ।

7.1 दूसरी ओर श्री एस. देबनाथ घोष, विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह दलील प्रस्तुत की है कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, जो अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के रूप में हैं, के साक्ष्य पर विश्वास न करने का कोई कारण विद्यमान नहीं है ।

8. पूर्वोक्त दलीलों के आधार पर मैंने अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य और सामग्रियों पर विचार किया है ।

9. अभि. सा. 1 श्रीमती परीना बीबी वर्तमान मामले में परिवादी है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व एक दिन अपराह्न 7.00 बजे जब वह और उसका पुत्र अपने घर मौजूद थे उस समय अचानक रमाकांत दास, अनंता दास, संतोष दास, शैलेन्द्र दास, पिंटू दास, नरूगोपाल दास, रत्न दास, 25 से अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ उनकी झोपड़ी में घुस गए और उन्होंने उसमें जल रहे इलेक्ट्रिक बल्ब को बुझा दिया और उनकी आवासीय झोपड़ी में लूटपाट आरंभ कर दी । डर के कारण वह और उसका पुत्र उन लोगों से बचने के लिए झोपड़ी के पिछले दरवाजे से निकलकर भाग गए और उन्होंने स्वयं को लगभग 10 फुट दूर एक दीवार के पीछे छिपाए रखा । उसने यह और अभिसाक्ष्य दिया है कि वह उन व्यक्तियों में से नौ व्यक्तियों की शनाख्त कर सकती है और तद्नुसार उसने नौ व्यक्तियों के नामों का

उल्लेख किया है । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि ऊपर वर्णित व्यक्तियों ने उसके घर की पूर्वी भित्ति में आग भी लगाई थी और लगभग आधे घंटे पश्चात् जब पुलिस और अग्निशमन सेवा वहां पहुंची तो वह अपने छिपने के स्थान से बाहर आई और तब उसने देखा कि उन लोगों ने उसकी झोपड़ी में रखे 50,000/- रुपए को लूट लिया है और साथ ही वे उसकी सोने की बालियां और कुछ चांदी के जेवरात भी अपने साथ ले गए थे । अभि. सा. 1 ने यह और अभिसाक्ष्य दिया कि इस घटना की तारीख से लगभग 7 दिन पूर्व उसका एक पुत्र इनामुद्दीन एक हिंदू लड़की को लेकर भाग गया था । उस तारीख से उसके पुत्र के विरुद्ध एक विनिर्दिष्ट मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था और इस प्रकार वह फरार हो गया और वर्तमान घटना उस घटना का बदला लेने के लिए कारित की गई । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसके पति पर यह दबाव बनाने के लिए कि वह उस हिंदू लड़की और अपने पुत्र इनामुद्दीन को वापस बुलाए, पुलिस ने उसके पति को निरुद्ध कर लिया था । उस अवधि के दौरान पुलिस बार-बार उसके घर आ रही थी । तथापि, पुलिस अपीलार्थियों से 50,000/- रुपए की बरामदगी नहीं कर सकी थी ।

9.1 अपनी प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 1 ने यह कथन किया कि वह चीखती-चिल्लाती हुई अपने घर से भागी थी किंतु बाद में उसने यह कहा कि उसने कोई शोर नहीं मचाया था । उसने यह भी कथन किया कि पड़ोस के लोग डर के कारण उसके घर में प्रविष्ट नहीं हुए थे । उसके अनुसार एक अयूब अली का घर उसके घर के उत्तर में स्थित है और इब्राहिम अली का घर उसके घर के दक्षिण की ओर स्थित है । उसके घर के पूर्व में मायना मियां और उसके घर की पश्चिम दिशा में मोहर्रम अली का घर स्थित है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया कि उसने उन्हें अपने घर में प्रविष्ट होते हुए नहीं देखा था । उसने यह भी कथन किया कि यह घटना इतनी अचानक घटित हुई कि उसके मस्तिष्क में यह बात नहीं आई कि उसे उसकी सूचना प्रधान आदि को देनी चाहिए थी । उसे यह सुझाव दिया गया कि चूंकि लड़की के माता-पिता भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे और परिवादी सीपीआई (एम)

की समर्थक है । इसलिए उसने अपीलार्थी के विरुद्ध मिथ्या शिकायत दर्ज की है ।

10. अभि. सा. 2 सुनामुद्दीन अभि. सा. 1 का पुत्र है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व अपराह्न लगभग 7/7.30 बजे जब वे अपनी झोपड़ी की पश्चिमी भित्ति में मौजूद थे, उस समय अचानक उन्हें शोर-शराबा सुनाई दिया जिसे अन्य व्यक्तियों के साथ गौतम दास, पिंटू दास, रत्न दास, शैलेन्द्र दास, नरुगोपाल दास, रमाकांत दास, कुलेश दास, अनंता दास और संतोष दास द्वारा किया जा रहा था । वे उनकी झोपड़ी का दरवाजा तोड़कर उक्त भित्ति में घुस गए और अन्य व्यक्तियों ने उनकी झोपड़ी में तोड़-फोड़ आरंभ कर दी । उसी समय वह किसी प्रकार अपनी माता के साथ रसोई के पिछले दरवाजे से अपने घर से बाहर निकला और उसने 10 फुट दूर स्थित एक मिट्टी की दीवार के पीछे से इस संपूर्ण घटना को देखा । अपीलार्थियों ने घर के इलेक्ट्रिक बल्ब को भी तोड़ दिया और घर से निकलते-निकलते उन्होंने उनकी झोपड़ी की पश्चिमी भित्ति में आग लगा दी । इस साक्षी ने यह और अभिसाक्ष्य दिया कि घटना से लगभग 2/3 दिन पूर्व पुलिस उसके भाई की तलाश में उनके घर आई थी, जो भाग गया था और उसके अभिसाक्ष्य की तारीख तक उसका उक्त भाई वापस नहीं आया था । उसने यह और अभिसाक्ष्य दिया कि पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया था ।

10.1 अपनी प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 2 ने यह कथन किया कि अपीलार्थियों ने उसके घर के इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रोनिक स्विचों आदि को नष्ट कर दिया था और जब वे घर से बाहर आकर छिप गए थे तो उन्होंने घर के बाहर जलते हुए बल्ब को भी तोड़ दिया था ।

11. अभि. सा. 4 आमिर अली ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के समय वह बीमार था और वह अपने घर से बाहर नहीं आ सका था ।

12. अभि. सा. 5 मोहिबुद्दीन ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने

घटना को नहीं देखा था और वह परिवादी के घर उस समय पहुंचा था जब उसके घर में लगी आग लगभग बुझ चुकी थी ।

13. अभि. सा. 6 राधाकिशोर देबबर्मा इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मामला सौंपे जाने पर उसने अन्वेषण आरंभ किया, अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध साक्षियों के बयानों के आधार पर उसने कुछ वस्तुओं और कुछ वस्तुओं के जले हुए टुकड़ों को अभिगृहीत किया और उनके संबंध में उसने अभिग्रहण सूची तैयार की जो प्रदर्श एमओ 1 के रूप में चिह्नित है ।

13.1 अपनी प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 6 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि उसके अन्वेषण के दौरान न तो परिवादी और न ही उसके पुत्र अर्थात् अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने उसे यह बताया कि उनके घर में 50,000/- रुपए की नकद राशि रखी थी जो तीन मवेशियों का विक्रय आगम थी । उसने यह भी कथन किया कि किसी भी साक्षी ने उसे यह नहीं बताया कि सूचना देने वाली महिला ने किसी मवेशी का विक्रय किया था और उसने इस संबंध में कोई अन्वेषण नहीं किया कि उनके घर में वास्तव में कौन-कौन सी वस्तुएं रखी थीं जिन्हें जला दिया गया था । इस प्रकार वह घर में आग लगने के कारण परिवादी को हुई वास्तविक हानि का मूल्यांकन करने में असमर्थ था । मामले संबंधी डायरी के परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने यह अभिनिश्चित करने के लिए कोई अन्वेषण नहीं किया कि क्या वास्तव में परिवादी के घर में 50,000/- रुपए की नकद राशि मौजूद थी । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसके अन्वेषण में इस बात का कहीं कोई वर्णन नहीं था कि क्या परिवादी के घर में कोई मवेशी था और क्या परिवादी ने कुछ मवेशियों का विक्रय किया था और उन मवेशियों के विक्रय पर उसे वास्तव में कितनी रकम प्राप्त हुई थी ।

14. मैंने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2, जिन्होंने घटना के प्रत्यक्षदर्शी

होने का दावा किया है, के कथन से मेरी राय में यह स्पष्ट हो जाता है कि वे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब उन्होंने शोर-शराबा सुना तो वे उस समय अपनी झोपड़ी की पूर्वी भित्ति में मौजूद थे और उस समय उसका दरवाजा भीतर से बंद था । उन्होंने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया कि भय के कारण वे दोनों, अर्थात् अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 उक्त झोपड़ी के पिछले दरवाजे से भाग गए और उन्होंने स्वयं को वहां से लगभग 10 फुट दूर स्थित मिट्टी की एक दीवार के पीछे छुपा लिया । उनके साक्ष्य से यह बात सामने आती है कि अपीलार्थियों ने उक्त झोपड़ी के दरवाजे को तोड़कर उसमें प्रवेश किया था । उस परिस्थिति में, मेरी राय में दरवाजा टूटने से पूर्व ही अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 झोपड़ी से भाग गए थे इसलिए परिवादी के लिए यह असंभव प्रतीत होता है कि वह उन व्यक्तियों की शनाख्त करने में समर्थ हो सके जिन्होंने वास्तव में उनकी झोपड़ी पर हमला किया था और यह बात इससे भी पुष्ट होती है कि उन्होंने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि लगभग 25 व्यक्तियों ने उनके घर पर हमला किया था और हमला करने वाले व्यक्तियों ने उनके घर के इलेक्ट्रिक बल्ब को भी तोड़ दिया था । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने अपनी कहानी में तात्कालिक सुधार भी किया है, जो अभि. सा. 6, अन्वेषण अधिकारी के अभिसाक्ष्य से स्पष्ट हो जाता है जहां उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अन्वेषण के दौरान न तो अभि. सा. 1 और न ही अभि. सा. 2 ने उसके समक्ष यह बात प्रकट की थी कि उनकी झोपड़ी में 50,000/- रुपए की नकद राशि मौजूद थी जो मवेशियों का विक्रय आगम थी । अन्वेषण अधिकारी ने यह भी कथन किया है कि उसके अन्वेषण के दौरान किसी भी अभियोजन साक्षी ने उसे यह नहीं बताया कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने किसी मवेशी का विक्रय किया था ।

15. अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी सं. 1 की पुत्री का अपहरण परिवादी श्रीमती परीना बीबी के छोटे पुत्र द्वारा किया गया था

और इस कारण से दोनों कुटुंबों के बीच गहरी दुश्मनी थी । इस सिलसिले में परिवादी के पति को भी गिरफ्तार किया गया था और परिवादी का छोटा पुत्र आज की तारीख तक फरार है ।

16. जैसा कि मैंने पूर्व में कथन किया है, चूंकि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2, दोनों ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि वे झोपड़ी के अंदर मौजूद थे और झोपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद था और शोर-शराबा सुनने के पश्चात् वे भयवश झोपड़ी से भाग गए और बाहर आकर वे लगभग 10 फुट दूर स्थित एक मिट्टी की दीवार के पीछे छिप गए और अपीलार्थियों ने झोपड़ी के दरवाजे को तोड़कर झोपड़ी में प्रवेश किया इसलिए मेरी राय में इस कहानी की सच्चाई के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न होते हैं कि उन्होंने हमलावरों के उक्त समूह में से वास्तविक हमलावरों की शनाख्त की है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह चाहे वह कितना भी गंभीर हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता । अपराध को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे स्थापित करना अनिवार्य है ।

17. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए मेरे सुविचारित मत में अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे अपने पक्षकथन को स्थापित करने में असफल रहा है और अपीलार्थी संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्त किए जाने के लिए हकदार हैं । तद्नुसार अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । मुझे यह सूचित किया गया है कि सभी अपीलार्थी जमानत पर हैं । इस प्रकार, उन्हें उनके अपने-अपने जमानत बंधपत्रों से उन्मुक्त किया जाता है और प्रतिभूतियों को भी तद्नुसार उन्मोचित किया जाता है ।

18. इस संप्रेक्षण और निदेश के साथ इस अपील को मंजूर किया जाता है । इस मामले से संबंधित निचले न्यायालय के अभिलेख को तुरंत वापस भेजा जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

पु.

कार्तिक मंडल उर्फ बाहा

बनाम

पश्चिमी बंगाल राज्य

(2014 की दांडिक अपील सं. 756)

तारीख 6 मार्च, 2020

न्यायमूर्ति साहिदुल्लाह मुंशी और न्यायमूर्ति सुभाशीष दासगुप्ता

दंड संहिता, 1860, (1860 का 45) – धारा 376(2)(च) (2013 के संशोधन के पूर्व), धारा 377 और धारा 506 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 और धारा 8] – अप्राप्तवय कन्या के साथ बलात्संग – अभियुक्त द्वारा आहत को बहाने से अपने घर बुलाना – लज्जा और धमकी के कारण आहत द्वारा अपने माता-पिता को घटना की जानकारी न दिया जाना – आहत द्वारा अपनी सहेली और सहेली की माता को घटना की जानकारी दिया जाना – आहत द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि अभियुक्त उसे मीठी-गोलियों के लिए पैसे दिया करता था जबकि उस मोहल्ले की उस आयु की अन्य कन्याएं ऐसा कोई लाभ नहीं ले रही थीं, इससे अभियुक्त का आहत जैसे बच्चों के प्रति सहानुभूतिक प्रेम होने का दावा चलने योग्य नहीं है और आहत की चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर यह माना जा सकता है कि अभियुक्त ही बलात्संग के अपराध का दोषी है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 376(2)(च) – बलात्संग – चिकित्सीय जांच में विलंब – आहत की योनि पर लालिमा का पाया जाना – योनिच्छद का अक्षत पाया जाना – आहत की योनि पर पाई गई लालिमा से संबंधित अन्य कोई कारण अभिलेख पर नहीं दर्शाया गया है और न ही चिकित्सक की यह राय है कि बलात्संग के लिए योनिच्छद का विदीर्ण होना आवश्यक है, ऐसी स्थिति में आहत का साक्ष्य सत्य प्रतीत होता है और अभियुक्त की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

आहत की माता किसी के घर पर खाना बनाने का काम करती थी और उसका पिता रिक्शा चलाता था । आहत कन्या के नाना के शरीर में सुसंगत समय के दौरान एक सड़क दुर्घटना के परिणामस्वरूप अस्थिभंग हो गया था और बीमार नाना की देखरेख के लिए आहत का पिता अस्पताल जाया करता था । रोजाना की तरह सुसंगत तारीख को भी आहत की माता उसको अपने पुत्र (आयु एक वर्ष दो मास) को घर पर छोड़कर खाना पकाने के काम पर चली गई, आहत उस समय कक्षा 5 में पढ़ रही थी । अभियुक्त-अपीलार्थी को आहत के परिवार में सभी जानते थे और आहत अभियुक्त-अपीलार्थी को आम तौर पर "दादू" कहती थी । घर में आहत कन्या के माता-पिता की अनुपस्थिति का लाभ लेते हुए अभियुक्त-अपीलार्थी आहत कन्या को अपने घर इस बहाने से ले आया कि उसके पुत्र ने बुलाया है और इसके पश्चात् आहत अपीलार्थी ने और इसके पश्चात् उसने आहत कन्या के गुप्तांगों में लिंग और अंगुलि प्रविष्ट की और उसने अपना लिंग आहत के मुंह में प्रविष्ट करके अप्राकृतिक लैंगिक कृत्य किया । ऐसा करने के दौरान अभियुक्त-अपीलार्थी ने आहत का मुंह दबा लिया था ताकि वह शोर न मचा सके और उसने आहत को दुष्परिणाम की धमकी भी दी । आहत कन्या ने भय और लज्जा के कारण उक्त घटना के संबंध में अपने माता-पिता को नहीं बताया किंतु उसने अपनी सहेली पिंकी और उसकी माता को इसके बारे में जानकारी दी । आहत की माता को इस घटना के बारे में पिंकी और उसकी माता से पता चल सका । आहत की माता ने जब आग्रह किया तब आहत ने अपनी माता को इस लैंगिक अपराध के संबंध में बताया जिसे आहत पहले ही पिंकी और उसकी माता को बता चुकी थी किंतु अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा भयोपरत किए जाने के कारण वह अपने माता-पिता को इस संबंध में नहीं बता सकी थी । तारीख 7 जनवरी, 2013 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने से लगभग 7 दिन पूर्व आहत कन्या के साथ अपराध कारित किया गया था । इस घटना से पहले अभियुक्त ने इसी प्रकार आहत कन्या के साथ 3-4 बार यह अपराध कारित किया था जिसकी जानकारी भी आहत की माता को दी गई । तारीख 7 जनवरी, 2013 को आहत की माता ने पुलिस में

शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने अन्वेषण आरंभ किया । अन्वेषण के दौरान आहत कन्या की चिकित्सा परीक्षा कराई गई और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन उसका कथन अभिलिखित किया गया । आहत की आयु का निर्धारण अस्थि परीक्षण द्वारा किया गया और इसके पश्चात् पुलिस ने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 376(2)(च), धारा 377 और धारा 506 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए और कुल मिलाकर 9 साक्षियों की परीक्षा कराने के पश्चात् विचारण की कार्यवाही पूरी की । विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त-अपीलार्थी को तारीख 6 सितंबर, 2014 को दंड संहिता की धारा 376(2)(च), धारा 377 और धारा 506 के अधीन अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया और अभियुक्त-अपीलार्थी को तारीख 8 सितंबर, 2014 को ऊपर उल्लिखित रूप में दंडादेश अधिनिर्णीत किया । इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – केवल आहत कन्या ही अभियुक्त से मीठी गोलियां खरीदने के लिए पैसे लेती थी और उस मोहल्ले की रहने वाली उसकी आयु की अन्य कन्याएं ऐसा कोई लाभ नहीं ले रही थीं । आहत कन्या ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अपनी सहेलियों के नाम अर्थात् पिंकी, लक्ष्मी और पुचकी प्रकट किए हैं और इन कन्याओं के प्रति अभियुक्त-अपीलार्थी ने कोई भी सहानुभूतिक स्नेह नहीं दर्शाया । आहत की प्रतिपरीक्षा के दौरान और न ही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी की परीक्षा कराए जाने के दौरान ऐसी कोई सामग्री सामने आई है जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त-अपीलार्थी उस मोहल्ले में रहने वाली अन्य कन्याओं को भी उनकी इच्छानुसार खाने-पीने की वस्तुएं खरीदने के लिए पैसे दिया करता था और यह कि अभियुक्त यह सब भोली-भाली कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए किया करता था । आहत कन्या ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि वह अभियुक्त-अपीलार्थी से पैसे लिया करती थी

और उन पैसों से मीठी गोलियां खरीदा करती थी । अभियुक्त-अपीलार्थी के इस आचरण से यह पता चलता है कि उसने आहत कन्या को, लैंगिक अपराध कारित करने के लिए, लुभाने का प्रयास किया था जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिवाद किया गया है । इस प्रकार इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आहत कन्या को अपीलार्थी द्वारा लुभाया गया है । न्यायालय को इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि आहत कन्या का जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जहां उसकी माता किसी के घर में खाना पकाने का काम करती है और उसका पिता अपने जीवन-निर्वाह के लिए रिक्शा चलाता है । इस प्रकार दोनों ही माता-पिता धनार्जन के लिए अपने काम-काज में व्यस्त रहते थे और सुसंगत समय के दौरान स्वाभाविक रूप से वे अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते थे । आहत के परिवार की दिनचर्या अस्पताल में आहत के नाना के अस्पताल में भर्ती होने के कारण प्रभावित हो रही थी और आहत के पिता को अपने रोगग्रस्त श्वसुर की देखरेख के लिए घर से बाहर रहना पड़ता था । इन परिस्थितियों में आहत के साथ अवसर पाकर अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपने ही मकान में लैंगिक अपराध कारित किया गया । आहत को अभियुक्त-अपीलार्थी अपने पुत्र द्वारा बुलाए जाने के बहाने अपने घर में ले गया जो उसी बिल्डिग में है । आहत बिना किसी हिचकिचाहट के अभियुक्त के घर चली गई क्योंकि वह उसे पहले से जानती थी । इस प्रकार उस समय अभियुक्त-अपीलार्थी ने आहत को यह समझाया था कि उसे उसके पुत्र ने वहां बुलाया है । (पैरा 19, 20, 25, 26 और 27)

इसी प्रकार विद्वान् पारिख द्वारा लिखित पाठ्य पुस्तक मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एण्ड टॉक्सिकोलॉजी में मैथुन की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि विधि में इस शब्द का अर्थ शिश्न द्वारा वीर्य स्खलन के साथ या उसके बिना योनि में निम्नतम कोटि का प्रवेशन लिया गया है । अत: गुप्तांगों पर कोई भी क्षति कारित किए बिना या किसी भी प्रकार का शुक्रीय स्राव निकले बिना बलात्संग का अपराध कारित किया जाना संभव है । यह ऐसा मामला है जिसमें दस वर्ष की कन्या के साथ दिसंबर, 2012 में तीन या चार बार लैंगिक अपराध कारित किया गया है

और अंतिम बार यह कृत्य 1 जनवरी, 2013 के निकट कारित किया गया है और इस संबंध में तारीख 14 जनवरी, 2013 को आहत की चिकित्सा परीक्षा कराई गई है और इतने विलंब के पश्चात् अत्यंत संभावी साक्ष्य समाप्त हो सकता है । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसी कोई सामग्री सामने नहीं आई है जिससे यह उपदर्शित होता हो कि आहत की योनि पर आई लालिमा का कोई अन्य कारण भी हो सकता है । आहत को इस संबंध में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है जिसका वह इनकार करती । उपरोक्त तथ्यों का परिशीलन संचयी रूप से करने पर यह पता चलता है कि दस वर्ष की कन्या की योनिच्छद में क्षति न पाया जाना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि चिकित्सक ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि बालिका के साथ किए गए बलात्संग के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि योनिच्छद में क्षति कारित हो क्योंकि वयस्क महिला की तुलना में इस आयु की बालिका की योनिच्छद की स्थिति अधिक भीतर की ओर होती है । स्वीकृततः आहत कन्या की योनि की डिजिटल परीक्षा उसे पीड़ा होने के कारण नहीं की जा सकी किंतु फिर भी डिजिटल परीक्षा न कराना अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध किए गए प्रतिवाद की गंभीरता को कम नहीं करता है क्योंकि आहत की चिकित्सा परीक्षा के दौरान यह भी उपदर्शित हुआ है कि उसके साथ मैथुन किया गया है । आहत के मौखिक साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य पर एक साथ विचार करने से निश्चित रूप से बलात्संग का अपराध गठित होता है और इन दोनों साक्षियों में गंभीर फर्क न होने के कारण हमारे मन में कोई संदेह शेष नहीं रहता है । विचारण के दौरान अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा ली गई इस प्रतिरक्षा के संबंध में, कि धन हड़पने की असफलता के कारण उसे इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है, हमें यह प्रतीत होता है कि अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 के साक्ष्य में यद्यपि अभियुक्त-अपीलार्थी से धन बटोरने की बात का उल्लेख है और यह कि अभियुक्त-अपीलार्थी को पिंकी की माता के साथ शत्रुता के कारण इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है, फिर भी इन तीनों साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के दौरान कोई भी सकारात्मक सामग्री सामने नहीं आई है ।

पुरानी शत्रुता, वह भी पिंकी की माता और अभियुक्त-अपीलार्थी के बीच, से संबंधित कोई भी ठोस सबूत न होने के कारण अभियुक्त-अपीलार्थी को मिथ्या फंसाए जाने की बात निराधार हो जाती है । (पैरा 37, 38, 39 और 40)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2010] ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 1 =
2010 क्रिमिनल ला जर्नल 517 (एस. सी.) :
वाहिद खान बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** । 36

अपीली दांडिक अधिकारिता : 2014 की दांडिक अपील सं. 756.

2013 के सेशन मामला सं. 60(3) से उद्भूत सेशन विचारण मामला सं. 7(5) में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश-सप्तम द्वारा तारीख 6 सितंबर, 2014 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री जरीन नसीमा खान (न्यायमित्र)

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री एन. पी. अग्रवाल और श्रेयशी बिस्वास

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुभाशीष दासगुप्ता ने दिया ।

न्या. दासगुप्ता – यह अपील दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । अभियुक्त-अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 376(2)(च)/377/506 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश-सप्तम, अलीपुर ने 2013 के सेशन मामला सं. 60(3) से उद्भूत सेशन विचारण मामला सं. 7(5) में अभियुक्त-अपीलार्थी को तारीख 6 सितंबर, 2014 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश के अनुसार दंड संहिता की धारा 376(2)(च) के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास अधिनिर्णीत किया और 20,000/- रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम

किए जाने पर अतिरिक्त एक मास के कारावास से दंडादिष्ट किया और दंड संहिता की धारा 377 के अधीन अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000/- रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 6 मास के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया और दंड संहिता की धारा 506 के अधीन अपराध के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया ।

2. विचारण के दौरान परीक्षा किए गए साक्षियों के साक्ष्य से उद्भूत मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं :–

> अभियुक्त-अपीलार्थी का मकान द्वितीय तल पर था और आहत कन्या (आयु 10 वर्ष) उसी बिल्डिंग के तृतीय तल पर अपने माता-पिता के साथ रहती थी । आहत कन्या और अभियुक्त-अपीलार्थी एक-दूसरे को पहले से जानते थे ।

3. आहत की माता किसी के घर पर खाना बनाने का काम करती थी और उसका पिता रिक्शा चलाता था । आहत कन्या के नाना के शरीर में सुसंगत समय के दौरान एक सड़क दुर्घटना के परिणामस्वरूप अस्थिभंग हो गया था और बीमार नाना की देखरेख के लिए आहत का पिता अस्पताल जाया करता था । रोजाना की तरह सुसंगत तारीख को भी आहत की माता उसको अपने पुत्र (आयु एक वर्ष दो मास) को घर पर छोड़कर खाना पकाने के काम पर चली गई, आहत उस समय कक्षा 5 में पढ़ रही थी । अभियुक्त-अपीलार्थी को आहत के परिवार में सभी जानते थे और आहत अभियुक्त-अपीलार्थी को आमतौर पर "दादू" कहती थी । घर में आहत कन्या के माता-पिता की अनुपस्थिति का लाभ लेते हुए अभियुक्त-अपीलार्थी आहत कन्या को अपने घर इस बहाने से ले आया कि उसके पुत्र ने बुलाया है और इसके पश्चात् आहत अपीलार्थी ने और इसके पश्चात् उसने आहत कन्या के गुप्तांगों में लिंग और अंगुलि प्रविष्ट की और उसने अपना लिंग आहत के मुंह में प्रविष्ट करके अप्राकृतिक लैंगिक कृत्य किया । ऐसा करने के दौरान अभियुक्त-अपीलार्थी ने आहत का मुंह दबा लिया था ताकि वह शोर न मचा सके और उसने आहत को दुष्परिणाम की धमकी भी दी । आहत कन्या ने भय और लज्जा के कारण उक्त घटना के संबंध में अपने माता-पिता को

नहीं बताया किंतु उसने अपनी सहेली पिंकी और उसकी माता को इसके बारे में जानकारी दी । आहत की माता को इस घटना के बारे में पिंकी और उसकी माता से पता चल सका । आहत की माता ने जब आग्रह किया तब आहत ने अपनी माता को इस लैंगिक अपराध के संबंध में बताया जिसे आहत पहले ही पिंकी और उसकी माता को बता चुकी थी किंतु अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा भयोपरत किए जाने के कारण वह अपने माता-पिता को इस संबंध में नहीं बता सकी थी । तारीख 7 जनवरी, 2013 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने से लगभग 7 दिन पूर्व आहत कन्या के साथ अपराध कारित किया गया था । इस घटना से पहले अभियुक्त ने इसी प्रकार आहत कन्या के साथ 3-4 बार यह अपराध कारित किया था जिसकी जानकारी भी आहत की माता को दी गई ।

4. तारीख 7 जनवरी, 2013 को आहत की माता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने अन्वेषण आरंभ किया । अन्वेषण के दौरान आहत कन्या की चिकित्सा परीक्षा कराई गई और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन उसका कथन अभिलिखित किया गया । आहत की आयु का निर्धारण अस्थि परीक्षण द्वारा किया गया और इसके पश्चात् पुलिस ने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

5. विचारण न्यायालय ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 376)2)(च), धारा 377 और धारा 506 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए और कुल मिलाकर 9 साक्षियों की परीक्षा कराने के पश्चात् विचारण की कार्यवाही पूरी की । विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त-अपीलार्थी को तारीख 6 सितंबर, 2014 को दंड संहिता की धारा 376(2)(च), धारा 377 और धारा 506 के अधीन अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया और अभियुक्त-अपीलार्थी को तारीख 8 सितंबर, 2014 को ऊपर उल्लिखित रूप में दंडादेश अधिनिर्णीत किया ।

6. दोषसिद्धि के आदेश की वैधता को इस अपील में चुनौती दी गई है कि यह आदेश अत्यंत अवैध है ।

7. इस मामले के आरंभ में ही यह उल्लेखनीय किया जा सकता है कि इस अपील के लंबित रहने की अवधि पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रशासनिक नोटिस का उत्तर ठीक प्रकार ध्यान नहीं दिया गया है इसलिए हम सुश्री जरीन एन. खान को अपीलार्थी की ओर से विद्वान् न्यायमित्र के रूप में इस अपील के निपटारे में सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त करते हैं ।

8. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् न्यायमित्र ने यह दलील दी है कि दोषसिद्धि का आदेश पूरी तरह अवैधता से ग्रसित है क्योंकि विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा बनाई गई कहानी पर इस आधार पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि 3-4 बार आहत कन्या के साथ लैंगिक अपराध कारित किए जाने के बावजूद वह अभियुक्त-अपीलार्थी के घर स्वेच्छा से जाती रही और यहां तक आहत ने अपने साथ घटित अभिकथित घटना के संबंध में अपने माता-पिता को भी नहीं बताया, यद्यपि उसने अभिकथित रूप से अपनी सहेली पिंकी और उसकी माता को इस संबंध में सूचित किया था और आहत कन्या द्वारा प्रस्तुत की गई यह कहानी सामान्य अनुक्रम में ऐसी ही किसी कन्या के साथ घटित होने वाली कहानी से मेल नहीं खाती है, इसलिए अभियोजन पक्षकथन अत्यंत असंभावी हो जाता है ।

9. विद्वान् न्यायमित्र द्वारा यह दलील दी गई है कि आहत की माता को अपनी पुत्री के साथ घटित लैंगिक अपराध के बारे में सबसे पहले पिंकी और उसकी माता से पता चला था किंतु फिर भी इस मामले में इतने महत्वपूर्ण साक्षियों की परीक्षा नहीं कराई गई है, इससे घोर संदेह पैदा होता है और इसका लाभ अभियुक्त-अपीलार्थी के पक्ष में जाता है ।

10. विद्वान् न्यायमित्र ने यह दलील दी है कि साक्ष्य में आई असंगतता, विभिन्नता और विरोधाभास को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है जिससे अभियोजन पक्षकथन पूरी तरह निष्फल हो जाता है ।

11. विद्वान् न्यायमित्र द्वारा चिकित्सीय साक्ष्य को इस संबंध में चुनौती दी गई है कि उससे इस तथ्य का समर्थन नहीं होता है कि

आहत कन्या के साथ लैंगिक अपराध कारित किया गया है, इसलिए आहत कन्या के साक्ष्य से कोई भी परिणाम नहीं निकल सकता । चिकित्सक ने मृतका के शरीर पर कोई भी रक्तमय क्षति नहीं पाई है और उसकी योनिच्छद विदीर्ण नहीं पाई गई है इसलिए अपीलार्थी के अनुसार चिकित्सीय साक्ष्य से अभियोजन साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाता है ।

12. इसके प्रतिकूल राज्य की ओर से विद्वान् अधिवक्ता ने दोषसिद्धि के आदेश और दंडादेश का समर्थन करते हुए यह दलील दी है कि आहत का अकाट्य साक्ष्य विचारण न्यायालय के लिए विश्वासोत्पादक है और तद्नुसार विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित करने के पश्चात् दंडादिष्ट किया है । आहत कन्या के साथ जानबूझकर किए गए उस तात्पर्यित लैंगिक कृत्य को निर्दिष्ट करते हुए जो अस्पष्ट शब्दों में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के एक सप्ताह पहले घटित हुआ था, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान् अधिवक्ता ने यह प्रतिवाद किया है कि साक्ष्य में कोई विरोधाभास हो सकता है किंतु वह विरोधाभास इतना बड़ा नहीं है कि उसके आधार पर अभियोजन पक्षकथन को अत्यंत असंभावी ठहराया जा सके ।

13. अभियोजन पक्षकथन की असंभाव्यता से संबंधित दावे और साक्ष्य में आए विरोधाभासों पर विचार करने के पूर्व, हमें इस प्रश्न पर पहले ध्यान देना होगा कि यदि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक ऐसा आधारभूत साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे आहत कन्या को डरा धमकाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य सहित लैंगिक अपराध किया जाना उपदर्शित होता है, तब अभियोजन पक्षकथन की संभाव्यता से संबंधित विनिश्चय देना लाभप्रद नहीं होगा । उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए सर्वप्रथम चुने गए बिन्दुओं का परिशीलन किया जाना आवश्यक है ।

14. आहत कन्या ने यह प्रकटन किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने उसे अकेले पाकर उसके साथ लैंगिक अपराध कारित किया है । आहत कन्या (अभि. सा. 2) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि जब वह अपने फ्लैट में अपने भाई के साथ, जिसकी आयु उस समय 1 वर्ष 2 मास थी, अकेली मौजूद थी तब अभियुक्त-अपीलार्थी उसके पुत्र द्वारा

बुलाए जाने का बहाना करके अपने घर के अंदर ले गया । तात्पर्यित अपराध के संबंध में आहत ने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने उसके गुप्तांग में अपना शिश्न प्रविष्ट करके उसके साथ मैथुन किया है और उसने यही कृत्य उसके मुंह में भी किया है । आहत ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त ने उसके स्तन भी दबाए थे और उसने शोर मचाया था और तभी अभियुक्त ने आहत का मुंह धमकी देते हुए दबाया था कि वह इस घटना के बारे में किसी भी व्यक्ति को न बताए । यह घटना आहत कन्या के साथ किए गए लैंगिक अपराध से ही जुड़ी है जिसकी जानकारी सबसे पहले आहत की सहेली पिंकी और पिंकी की माता द्वारा आहत की माता को दी गई जिसके संबंध में आहत ने यह दावा किया कि उसके साथ तात्पर्यित लैंगिक अपराध कारित किया गया है । पिंकी आहत कन्या की सहेली है और पिंकी की माता को आहत कन्या अपनी माता जैसी मानती है अर्थात् दोनों के बीच मां-बेटी का संबंध बना हुआ है ।

15. आहत का यह भी वृत्तांत है कि पिंकी की माता द्वारा इस घटना के बारे में जानकारी दिए जाने के पूर्व भी उसके साथ 3-4 बार यहीं लैंगिक अपराध कारित किया गया था । आहत कन्या की माता चूंकि वह किसी के घर में खाना पकाने का काम करती थी इसलिए वह अपने घर से अपने काम पर चली जाया करती थी और आहत का पिता रिक्शा चलाता था इसलिए वह भी अपने बीमार श्वसुर से, जो अस्थिभंग से पीड़ित था, अस्पताल में मिलने चला गया था और उसने अपनी पुत्री को अपने 1 वर्ष 2 मास के पुत्र के साथ घर पर रहने को कहा था ।

16. आहत कन्या ने अपने परिसाक्ष्य में यह कारण स्पष्ट किया है कि वह घटना के तत्काल पश्चात् अपने माता-पिता को इस घटना के संबंध में क्यों नहीं बता सकी थी । आहत ने एक कारण यह बताया कि उसे लज्जा का आभास हो रहा था और अभियुक्त द्वारा यह धमकी दिए जाने के कारण कि वह अपने माता-पिता को कुछ न बताए इसलिए वह अत्यंत घबराई हुई थी । आहत कन्या की माता (अभि. सा. 1) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसे इस घटना के बारे में सबसे पहले पिंकी की माता से पता चला था और इसके पश्चात् उसे स्वयं आहत

कन्या द्वारा जानकारी मिली और इस संपूर्ण तथ्य का समर्थन अभि. सा. 1 की पुत्री अर्थात् आहत कन्या द्वारा दिए गए कारणों से भी होता है और इससे इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि आहत कन्या ने अपने माता-पिता को इस घटना के बारे में क्यों नहीं बताया था ।

17. उल्लेखनीय है कि जिस समय अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा आहत कन्या के साथ उसके घर में लैंगिक अपराध कारित किया गया था तब न तो आहत की माता और न ही आहत का पिता घर में मौजूद थे । आहत की प्रतिपरीक्षा के दौरान इस तथ्य को चुनौती नहीं दी गई है कि आहत कभी अभियुक्त-अपीलार्थी के घर उसके द्वारा बुलाए जाने पर नहीं गई थी । अपीलार्थी द्वारा जिस बात पर विवाद किया गया है वह आहत के प्रति उसका आचरण है जो सामान्य सहानुभूति से अधिक कुछ नहीं है । आहत के पिता (अभि. सा. 3) को इस घटना के बारे में तब ही पता चला जब अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने उसे बताया ।

18. आहत कन्या के साथ कारित किए गए लैंगिक अपराध से संबंधित साक्ष्य को लेकर अभियुक्त-अपीलार्थी ने विचारण के दौरान दोहरी दलील दी है । एक ओर उसने इस घटना से इनकार किया है और दूसरी ओर उसने आहत के प्रति सहानुभूतिक प्रेम दर्शाया है और यह प्रतिवाद किया है कि आहत ने जानबूझकर ऐसी कहानी इसलिए गढ़ी है कि वह अभियुक्त-अपीलार्थी से धन प्राप्त नहीं कर पा रही थी । इस प्रकार अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा यह साबित करने की ईप्सा की गई कि सहानुभूतिक स्नेह के कारण वह आहत कन्या को मीठी गोलियां खरीदने के लिए 5 रुपए से 10 रुपए तक दे दिया करता था । इस प्रकार अभियुक्त-अपीलार्थी ने आहत कन्या जैसे बच्चों के साथ अपना प्रेम दर्शाने का दावा किया है क्योंकि वह आहत कन्या और उसके परिवार के सदस्यों को पहले से जानता था ।

19. केवल आहत कन्या ही अभियुक्त से मीठी गोलियां खरीदने के लिए पैसे लेती थी और उस मोहल्ले की रहने वाली उसकी आयु की अन्य कन्याएं ऐसा कोई लाभ नहीं ले रही थीं । आहत कन्या ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अपनी सहेलियों के नाम अर्थात् पिंकी, लक्ष्मी और

पुचकी प्रकट किए हैं और इन कन्याओं के प्रति अभियुक्त-अपीलार्थी ने कोई भी सहानुभूतिक स्नेह नहीं दर्शाया ।

20. आहत की प्रतिपरीक्षा के दौरान और न ही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी की परीक्षा कराए जाने के दौरान ऐसी कोई सामग्री सामने आई है जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त-अपीलार्थी उस मोहल्ले में रहने वाली अन्य कन्याओं को भी उनकी इच्छानुसार खाने-पीने की वस्तुएं खरीदने के लिए पैसे दिया करता था और यह कि अभियुक्त यह सब भोली-भाली कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए किया करता था । आहत कन्या ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि वह अभियुक्त-अपीलार्थी से पैसे लिया करती थी और उन पैसों से मीठी गोलियां खरीदा करती थी । अभियुक्त-अपीलार्थी के इस आचरण से यह पता चलता है कि उसने आहत कन्या को, लैंगिक अपराध कारित करने के लिए, लुभाने का प्रयास किया था जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिवाद किया गया है । इस प्रकार इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आहत कन्या को अपीलार्थी द्वारा लुभाया गया है ।

21. अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 घटना घटित होने के बाद के साक्षी हैं जिन्हें इस घटना के बारे में अभि. सा. 3 से फोन पर पता चला था जिसके बाद इस घटना की जानकारी आहत की माता को दी गई थी ।

22. अपीलार्थी ने आहत के परिसाक्ष्य को उसके आचरण को लेकर चुनौती दी है कि उसने अपने माता-पिता को घटना के तत्काल पश्चात् किस कारण से नहीं बताया और यह कि आहत ने अपने माता-पिता को अलग रखते हुए घटना की जानकारी पहले पिंकी और उसकी माता को क्यों दी, अपीलार्थी द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि इन परिस्थितियों में आहत कन्या का यह आचरण सामान्य, नैसर्गिक और प्रकृति के अनुक्रम में प्रतीत नहीं होता है ।

23. बलात्संग के पीड़ित और वह भी ऐसी पीड़ित कन्या जिसकी आयु केवल 10 वर्ष हो, का आचरण कैसा होगा यह उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनका सामना लैंगिक अपराध कारित किए जाने के दौरान उस कन्या द्वारा किया गया था ।

24. लैंगिक अपराध जैसी घटना घटित होने के पश्चात् आहत कन्या में अपने माता-पिता को, जिनके लिए ऐसी घटना अप्रत्याशित हो सकती है, इस संबंध में जानकारी देने के लिए लज्जा और शर्म का भाव पैदा होना स्वाभाविक है, इन सब बातों पर विचार किया जाना आवश्यक होगा और इसमें केवल एक ही सूत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता ।

25. हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि आहत कन्या का जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जहां उसकी माता किसी के घर में खाना पकाने का काम करती है और उसका पिता अपने जीवन-निर्वाह के लिए रिक्शा चलाता है । इस प्रकार दोनों ही माता-पिता धनार्जन के लिए अपने काम-काज में व्यस्त रहते थे और सुसंगत समय के दौरान स्वाभाविक रूप से वे अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते थे ।

26. आहत के परिवार की दिनचर्या अस्पताल में आहत के नाना के अस्पताल में भर्ती होने के कारण प्रभावित हो रही थी और आहत के पिता को अपने रोगग्रस्त श्वसुर की देखरेख के लिए घर से बाहर रहना पड़ता था ।

27. इन परिस्थितियों में आहत के साथ अवसर पाकर अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपने ही मकान में लैंगिक अपराध कारित किया गया । आहत को अभियुक्त-अपीलार्थी अपने पुत्र द्वारा बुलाए जाने के बहाने अपने घर में ले गया जो उसी बिल्डिंग में है । आहत बिना किसी हिचकिचाहट के अभियुक्त के घर चली गई क्योंकि वह उसे पहले से जानती थी । इस प्रकार उस समय अभियुक्त-अपीलार्थी ने आहत को यह समझाया था कि उसे उसके पुत्र ने वहां बुलाया है ।

28. पुलिस ने आहत के वस्त्र अभिगृहीत किए जो उसकी माता ने पुलिस को दिए थे और इन वस्त्रों को न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट सकारात्मक नहीं पाई गई किंतु आहत के कपड़ों पर शुक्राणुओं के न पाए जाने पर अभियोजन पक्षकथन को तब तक असंभावी नहीं ठहराया जा सकता जब तक स्वयं आहत के परिसाक्ष्य में कोई गंभीर असंगतता न आ जाए ।

29. स्वीकृततः, न तो आहत की माता (अभि. सा. 1) को और न ही उसके पिता (अभि. सा. 3) को इस घटना की पूर्व जानकारी थी । आहत की माता को पिंकी की माता से इस घटना के बारे में पता चला था और इसके पश्चात् उसने अपनी पुत्री से घटना के बारे में मालूम किया जिस पर आहत ने अपनी माता को संपूर्ण घटना बताई और इस घटना के पूर्व 3-4 बार अपीलार्थी द्वारा दिसंबर, 2012 में किए गए कृत्यों की भी जानकारी दी और साथ ही आहत ने अपने माता-पिता को इस घटना के बारे में अब तक न बताने का कारण भी स्पष्ट किया ।

30. ऐसी दशा में न्यायालय का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह बलात्संग के पीड़ित द्वारा दिए गए साक्ष्य का मूल्यांकन ऐसी स्थिति में कड़ी सावधानी से करे जब उसमें कोई भी अन्तर्निहित विरोधाभास न पाया गया हो । किसी भी पक्ष का यह पक्षकथन नहीं है कि आहत ने इस घटना के बारे में अपने माता-पिता को जानकारी न देने के लिए किसी भिन्न कारण का उल्लेख नहीं किया है सिवाय इसके कि उसे डराया-धमकाया गया था और यह कि उसे लज्जा का अहसास हो रहा था ।

31. माता-पिता और बच्चों के बीच जिस प्रकार के संबंध होते हैं वे भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न होते हैं । जो कन्या अपने माता-पिता को कोई बात प्रकट करने में संकोच से काम लेती है वही कन्या उस बात को अपनी सहेली और सहेली के माता-पिता को बड़ी आसानी से बता सकती है और दोनों ही एक-दूसरे की भावना को समझ सकते हैं ।

32. यदि आहत ने इस घटना को अपनी सहेली पिंकी या उसकी माता को प्रकट न किया होता तब उसके साथ अभिकथित रूप से कारित किए गए लैंगिक अपराध की जानकारी सामने न आती । आहत कन्या द्वारा अपने साक्ष्य में तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन दिए गए कथन (प्रदर्श 5) में घटना का सुसंगत रूप से वर्णन किया गया है और उसकी माता ने भी अभियुक्त-अपीलार्थी के निंदनीय कृत्य को प्रकट किया है जिससे अपराध की गंभीरता का पता चलता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने आहत कन्या के भोलेपन का लाभ ही नहीं उठाया है अपितु उसके घर में आहत के अकेले होने का अवसर पाकर

उसके साथ लैंगिक अपराध कारित किया है । जब आहत ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान पूरी तरह इस बात से इनकार किया है कि अपीलार्थी ने उसके साथ जो कुछ किया था, वह प्रेम, स्नेह या सहानुभूति नहीं थी और अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा किया गया यह अभिवाक् कि उसने आहत के साथ स्नेह या सहानुभूति की भावना से कृत्य किया है, विश्वास किए जाने से परे है ।

33. ऐसी परिस्थितियों में आहत द्वारा अपनी माता को घटना के बारे में विलंब से जानकारी देना असंभावी और अस्वाभाविक नहीं है । आहत कन्या का अपनी सहेली और उसकी माता के साथ आपसी संबंध और स्वाभाविक तालमेल उसके अपने माता-पिता की अपेक्षाकृत अधिक था और इसी आधार पर आहत कन्या ने इस घटना के बारे में अपनी सहेली पिंकी और उसकी माता को बताया । आपसी संबंध और व्यावहारिक तालमेल से कोई भी व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है और इसी प्रकार पिंकी और उसकी माता जैसे लोगों द्वारा दस वर्ष की आहत कन्या को दिए गए प्रेम और स्नेह से आहत ने उन्हें इस घटना के बारे में बताने का साहस किया और इसके पश्चात् माता-पिता तक इस जानकारी के पहुंचने में जो विलंब हुआ है उस पर संदेह नहीं किया जा सकता ।

न्यायमित्र द्वारा दी गई इस दलील का कोई महत्व नहीं है और हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि आहत कन्या का यह आचरण अत्यंत अस्वाभाविक है कि उसने अपने माता-पिता को इस घटना के बारे में नहीं बताया था ।

34. चिकित्सक (अभि. सा. 6) ने पुलिस थाने में मामला दर्ज किए जाने के लगभग 7 दिन बाद अर्थात् 14 जनवरी, 2013 को आहत कन्या की चिकित्सा परीक्षा की थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 7 जनवरी, 2013 को स्वीकृत रूप से दर्ज कराई गई है । आहत कन्या (अभि. सा. 2) के अनुसार दिसंबर, 2012 में उसके साथ 3-4 बार लैंगिक अपराध कारित किया गया था और लगभग 1 जनवरी, 2013 को उसके साथ अंतिम कृत्य किया गया था क्योंकि आहत के साथ लैंगिक अपराध कारित किए जाने के सात दिन बाद प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई

थी । चिकित्सक ने चिकित्सा परीक्षा के दौरान आहत की योनिच्छद अक्षत पाई है किंतु वृहत् कपाट एक-दूसरे के सम्मुख नहीं पाए और आहत की जंघाओं को एक-दूसरे से दूर करने के पश्चात् उसकी योनि के भीतरी कपाट दृश्यमान हो रहे थे । आहत को अंतिम बार लैंगिक अपराध कारित किए जाने के 7 दिन के बाद भी मूत्र निष्कासित करने के दौरान पीड़ा हो रही थी ।

35. विद्वान् न्यायमित्र द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि चूंकि आहत की योनिच्छद अक्षत पाई गई है और योनि का डिजिटल परीक्षण नहीं कराया गया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा बलात्संग कारित किया गया है । हम दंड संहिता की धारा 375 में परिभाषित अपराध को दृष्टिगत करते हुए विद्वान् न्यायमित्र की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते, इस धारा में उल्लिखित स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है :-

> "**स्पष्टीकरण** - बलात्संग के अपराध के लिए आवश्यक मैथुन गठित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है ।"

36. चिकित्सा परीक्षा करने वाले चिकित्सक ने यह राय व्यक्त की है कि आहत के साथ मैथुन किया गया है । चिकित्सक ने यह राय आहत की शारीरिक जांच करने के पश्चात् व्यक्त की है जो प्रतिपरीक्षा के दौरान भी विचलित नहीं हुई है । विद्वान् लेखक मोदी द्वारा लिखित पुस्तक मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एण्ड टॉक्सिकोलॉजी (22वां संस्करण) के पृष्ठ 495 में व्यक्त की गई राय को इस संदर्भ में उद्धृत करना लाभकारी होगा जो **वाहिद खान** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में व्यक्त किए गए उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के साथ निम्न प्रकार सुसंगत है :-

> "इस प्रकार बलात्संग अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिश्न के प्रवेशन के साथ वीर्य स्खलन और योनिच्छद विदीर्ण हो जाए । वृहत् भगौष्ठ के भीतर शिश्न का आंशिक प्रवेशन या बिना वीर्य स्खलन या प्रवेशन का प्रयास करना

---

[1] ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 1 = 2010 क्रिमिनल ला जर्नल 517 (एस. सी.).

विधि के प्रयोजनार्थ पर्याप्त है । अत: विधि की दृष्टि से बलात्संग का अपराध कारित करने के लिए गुप्तांगों पर किसी प्रकार की क्षति कारित होना या शुक्रीय स्राव का पाया जाना आवश्यक नहीं है । ऐसे मामले में चिकित्सा अधिकारी को अपनी रिपोर्ट में नकारात्मक तथ्यों का उल्लेख तो करना चाहिए किंतु अपनी ओर से यह राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए कि बलात्संग कारित नहीं किया गया है । बलात्संग का कृत्य एक अपराध है न कि कोई चिकित्सीय अवस्था । बलात्संग विधिक शब्द है न कि किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई आहत की रोग अथवा क्षति संबंधी जांच । चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो कथन किया गया है वह मात्र इस संबंध में है कि क्या किसी प्रकार का कोई लैंगिक क्रियाकलाप हाल ही में किया गया है या नहीं । बलात्संग कारित किया गया है या नहीं । यह एक विधिक निष्कर्ष है न कि कोई चिकित्सीय राय ।"

37. इसी प्रकार विद्वान् पारिख द्वारा लिखित पाठ्य पुस्तक मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एण्ड टॉक्सिकोलॉजी में मैथुन की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई है :-

"मैथुन - विधि में इस शब्द का अर्थ शिश्न द्वारा वीर्य स्खलन के साथ या उसके बिना योनि में निम्नतम कोटि का प्रवेशन लिया गया है । अत: गुप्तांगों पर कोई भी क्षति कारित किए बिना या किसी भी प्रकार का शुक्रीय स्राव निकले बिना बलात्संग का अपराध कारित किया जाना संभव है ।"

38. यह ऐसा मामला है जिसमें दस वर्ष की कन्या के साथ दिसंबर, 2012 में तीन या चार बार लैंगिक अपराध कारित किया गया है और अंतिम बार यह कृत्य 1 जनवरी, 2013 के निकट कारित किया गया है और इस संबंध में तारीख 14 जनवरी, 2013 को आहत की चिकित्सा परीक्षा कराई गई है और इतने विलंब के पश्चात् अत्यंत संभावी साक्ष्य समाप्त हो सकता है । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसी कोई सामग्री सामने नहीं आई है जिससे यह उपदर्शित होता हो कि आहत की योनि पर आई लालिमा का कोई अन्य कारण भी हो सकता है । आहत को इस संबंध में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है जिसका वह

इनकार करती । उपरोक्त तथ्यों का परिशीलन संचयी रूप से करने पर यह पता चलता है कि दस वर्ष की कन्या की योनिच्छद में क्षति न पाया जाना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि चिकित्सक ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि बालिका के साथ किए गए बलात्संग के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि योनिच्छद में क्षति कारित हो क्योंकि वयस्क महिला की तुलना में इस आयु की बालिका की योनिच्छद की स्थिति अधिक भीतर की ओर होती है ।

39. स्वीकृतत: आहत कन्या की योनि की डिजिटल परीक्षा उसे पीड़ा होने के कारण नहीं की जा सकी किंतु फिर भी डिजिटल परीक्षा न कराना अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध किए गए प्रतिवाद की गंभीरता को कम नहीं करता है क्योंकि आहत की चिकित्सा परीक्षा के दौरान यह भी उपदर्शित हुआ है कि उसके साथ मैथुन किया गया है ।

आहत के मौखिक साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य पर एक साथ विचार करने से निश्चित रूप से बलात्संग का अपराध गठित होता है और इन दोनों साक्षियों में गंभीर फर्क न होने के कारण हमारे मन में कोई संदेह शेष नहीं रहता है ।

40. विचारण के दौरान अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा ली गई इस प्रतिरक्षा के संबंध में, कि धन हड़पने की असफलता के कारण उसे इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है, हमें यह प्रतीत होता है कि अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 के साक्ष्य में यद्यपि अभियुक्त-अपीलार्थी से धन बटोरने की बात का उल्लेख है और यह कि अभियुक्त-अपीलार्थी को पिंकी की माता के साथ शत्रुता के कारण इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है, फिर भी इन तीनों साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के दौरान कोई भी सकारात्मक सामग्री सामने नहीं आई है । पुरानी शत्रुता, वह भी पिंकी की माता और अभियुक्त-अपीलार्थी के बीच, से संबंधित कोई भी ठोस सबूत न होने के कारण अभियुक्त-अपीलार्थी को मिथ्या फंसाए जाने की बात निराधार हो जाती है ।

41. जहां तक अभियुक्त-अपीलार्थी से धन की मांग किए जाने का संबंध है, हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि गरीबी रेखा से निचले

स्तर का जीवन बिताने वाले माता-पिता अपने बच्चों और बालिकाओं का इस प्रकार का शोषण करेंगे और वह भी उनकी शालीनता को दांव पर लगाकर जैसा कि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अभिकथन किया गया है ।

42. इस प्रकार आहत कन्या के साथ लैंगिक अपराध कारित किए जाने के अभिकथन को मात्र इस कारण से मिथ्या नहीं ठहराया जा सकता कि वह घटना के कुछ पूर्व अभियुक्त-अपीलार्थी के घर गई थी और आहत की प्रतिपरीक्षा के दौरान स्पष्ट रूप से यह सामने आया है कि उसने अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपराध कारित किए जाने के पश्चात् उसके घर जाना बंद कर दिया था । यह सत्य है कि 7 दिनों के अंतराल पर आहत कन्या ने पिंकी की माता को घटना के बारे में जानकारी देने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी के यहां 3 बार जाना स्वीकार किया है किंतु इससे प्रतिरक्षा पक्ष का यह पक्षकथन प्रबलित नहीं होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने जो कुछ किया वह 50 वर्ष के प्रौढ़ व्यक्ति का एक बच्चे के प्रति प्रेम और स्नेह था ।

43. आहत कन्या का कक्षा 5 से अपनी पढ़ाई छोड़ देना इस घटना का एक दुष्परिणाम है जिससे उसने अपना जीवन कलंकित महसूस किया है और उसके लिए इस स्थिति से आसानी से बाहर निकलना कठिन है । अपने माता-पिता के कहने पर आहत ने अपना पूर्ववर्ती घर छोड़ दिया और नए स्थान पर चली गई जो कि ऐसी स्थिति है जिस पर साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय सूक्ष्मता से विचार किया जाना चाहिए ।

44. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन अभिलिखित आहत के कथन (प्रदर्श-5) और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-1) को निर्दिष्ट करते हुए विद्वान् न्यायमित्र ने यह प्रतिवाद किया है कि परीक्षा के दौरान नए तथ्य, नए घटनाक्रम, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से मेल न खाने वाली बातें और जानबूझकर गढ़े गए तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिनसे अभियोजन पक्षकथन पर्याप्त रूप से संदिग्ध हो जाता है और इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है ।

45. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार 10 वर्ष की आहत कन्या को

भयोपरत करके उसके साथ कई अवसरों पर लैंगिक अपराध कारित किया गया है । स्वीकृतत: लैंगिक अपराध के बहुत-से पहलुओं का उल्लेख, वह भी एक 10 वर्ष की कन्या के मामले में, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में इतने अधिक शब्दों में भी प्रकट नहीं किया जा सका है ।

46. आहत की माता ने पिंकी की माता से घटना की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् बिना किसी विलंब के पुलिस को उसी दिन सूचित किया जिस दिन उसे यह जानकारी प्राप्त हुई थी । विधि के अधीन यह अपेक्षित नहीं है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अपराध से संबंधित संपूर्ण जानकारी का उल्लेख किया जाए । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित मूल तथ्यों को विचारण के दौरान भी स्पष्ट किया जा सकता है क्योंकि वे अपराध और उसकी शिकायत के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं ।

47. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किए गए किसी भी साक्षी, विशेषकर अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 ने, लैंगिक अपराध के सिवाय अन्य किसी अपराध से संबंधित साक्ष्य नहीं दिया है । किसी व्यक्ति की वासना की तुष्टि के लिए किसी कन्या के मुंह में शिशन प्रविष्ट करना और उसके गुप्तांग में अंगुली प्रविष्ट करना निश्चित रूप से लैंगिक अपराध की कोटि में आएगा जिसका उल्लेख आहत कन्या ने वास्तव में अपने परिसाक्ष्य में किया है ।

48. अत: प्रत्येक बात को न कहने का अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है । तथापि, तारीख 8 जनवरी, 2013 को अर्थात् पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन अभिलिखित आहत कन्या के कथन का समर्थन स्वयं उसके परिसाक्ष्य से होता है । इसलिए तथ्यों का अल्प लोप महत्वपूर्ण न होने के कारण अभियुक्त-अपीलार्थी को किसी भी प्रकार लाभप्रद नहीं होगा ।

49. विद्वान् न्यायमित्र द्वारा इस बात पर अधिक बल दिया गया है कि पिंकी और उसकी माता की इस मामले में परीक्षा नहीं कराई गई है जिससे अभियोजन पक्षकथन पर संदेह की पर्याप्त गुंजाइश है ।

50. विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने ऐसी सभी संभव परिस्थितियों

पर विचार किया है कि पिंकी की माता की परीक्षा क्यों नहीं कराई जा सकी जबकि उसे आरोप पत्र में साक्षी बनाया गया था । पिंकी की माता पहले ही किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी इसलिए उसकी परीक्षा नहीं कराई जा सकी और स्वाभाविकत: पिंकी की परीक्षा कराना भी संभव नहीं था । अत: विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में इस संबंध में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया है जिससे अभियोजन पक्षकथन असंभावी नहीं हो सकता ।

51. विद्वान् न्यायमित्र के अनुसार अभि. सा. 1 और उसके पति अर्थात् अभि. सा. 3 के वृत्तांत में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति की पहचान को लेकर विरोधाभास है और यदि ऐसे विरोधाभास पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए तब अभियोजन की कहानी निष्फल हो जाती है । आहत की माता अर्थात् अभि. सा. 1 ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसने अपने वृत्तांत में यह उल्लेख किया है कि उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर बंगला भाषा में हस्ताक्षर किए हैं जबकि उसने अपने अशिक्षित होने का दावा किया है । अभि. सा. 3 ने अपनी पत्नी अर्थात् अभि. सा. 1 के इस कथन का यह कहकर खंडन किया है कि उसकी पत्नी अशिक्षित नहीं है किंतु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट स्वयं उसकी पुत्री द्वारा लिखी गई थी । हमारी सुविचारित राय में ऐसा विरोधाभास इतना प्रबल नहीं है जिसके आधार पर संपूर्ण अभियोजन वृत्तांत विचलित किया जा सके ।

52. विचारण के दौरान आहत की आयु को लेकर तनिक भी विवाद नहीं है किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आहत (अभि. सा. 2) ने अपने साक्ष्य में प्रतिपरीक्षा के दौरान अपनी जन्मतिथि 24 अप्रैल, 2002 बताई है । आहत द्वारा अपनी आयु के संबंध में किए गए इस प्रकटीकरण के अतिरिक्त चिकित्सक (अभि. सा. 6) ने आहत की आयु सुनिश्चित करने के लिए विकिरण द्वारा उसका अस्थि परीक्षण भी किया है और अस्थि परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार आहत की आयु विकिरण परीक्षा के समय अर्थात् तारीख 28 जनवरी, 2013 को 6 से 9 वर्ष के बीच पाई गई । चूंकि अस्थि परीक्षण रिपोर्ट में नियत की गई आयु 2 वर्ष अधिक या 2 वर्ष कम भी हो सकती है, इसलिए आयु के संबंध में आहत द्वारा किए

गए प्रकटीकरण से उसकी आयु लगभग 10 वर्ष बनती है, किंतु यह स्पष्ट है कि उसकी आयु लैंगिक अपराध कारित किए जाने के समय 12 वर्ष नहीं थी ।

53. प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसी कोई सकारात्मक सामग्री उद्भूत नहीं हुई है जिससे यह साबित होता हो कि सुसंगत समय पर आहत कभी अभियुक्त-अपीलार्थी के घर उसके द्वारा यह बहाना बनाए जाने पर नहीं गई थी कि उसके पुत्र ने आहत को बुलाया है जिसके बिना अभियुक्त-अपीलार्थी का यह दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसके मन में आहत के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना थी ।

54. अब विद्वान् न्यायमित्र द्वारा, अभियोजन साक्ष्य में आई असंगतता, फर्क और विरोधाभास के आधार पर अभियोजन वृत्तांत के असंभावी होने से संबंधित मुद्दे पर हमारी यह सुविचारित राय है कि आहत का परिसाक्ष्य घटना का वर्णन किए जाने के आधार पर संभाव्यता की कसौटी पर खरा उतरता है और यह स्वयं उन कथनों के साथ सुसंगत है जो प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियुक्त के दोषी होने का संकेत देते हैं और यत् द्वारा आहत के उस परिसाक्ष्य को शेष साक्ष्य के साथ सुसंगत बनाते हैं जो उसने अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा मौके का फायदा उठाते हुए अपने साथ कई बार किए गए लैंगिक अपराध के संबंध में दिया है ।

55. ऊपर उल्लिखित विरोधाभास का अवलंब लिए जाने की ईप्सा की गई है जो कि गंभीर और महत्वपूर्ण नहीं है और इससे अभियोजन पक्षकथन की आधारशिला पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है ।

56. अपीलार्थी द्वारा दिया गया यह तर्क कि अभियोजन पक्षकथन, अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किए गए अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में अन्तर्विष्ट कमियों के आधार पर अत्यंत असंभावी है, स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

57. आहत कन्या की माता ने उसके परिसाक्ष्य का भरपूर समर्थन किया है, इसलिए आहत का साक्ष्य विश्वासोत्पादक नैसर्गिक और संभावी

है तथा विरोधाभासों से दूर है । आहत का साक्ष्य अन्यथा भी विश्वसनीय है ।

58. यद्यपि इस मामले में अधिनिर्णीत दंडादेश को चुनौती देने के लिए ऐसी कोई दलील नहीं दी गई है कि दंडादेश अत्यंत अनुचित है किंतु संपूर्ण परिस्थितियों पर कुल मिलाकर विचार करने पर हमारी यह राय है कि दंड संहिता की धारा 376(2)(च)/377/506 के अधीन ठीक ही दोषसिद्धि की गई है और दंडादेश भी समुचित रूप से अधिनिर्णीत किया गया है जो अपराधी को दंडित करने के लिए अपेक्षित मापदंडों के अनुरूप है ।

59. यह दांडिक अपील गुणता के अभाव में निष्फल होती है ।

60. इस प्रकार हम दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखते हैं ।

61. हम इस मामले का निपटारा करने के पूर्व यह कहना चाहेंगे कि हम न्यायमित्र सुश्री जरीन नसीमा खान द्वारा दी गई सेवाओं से पूर्णतया संतुष्ट हैं ।

62. इस प्रकार अपील का निपटारा किया जाता है ।

63. विभाग को यह निदेश दिया जाता है कि वह संबद्ध जिला न्यायाधीश के माध्यम से बिना किसी विलंब के संबंधित विचारण न्यायालय को उसका अभिलेख इस निर्णय की प्रति के साथ भेजे ।

64. विभाग को यह भी निदेश दिया जाता है कि संबंधित सुधार गृह को इस निर्णय की प्रति भेजे ।

65. इस आदेश की तत्काल प्रमाणित प्रति, यदि आवेदित है, सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी किए जाने पर यथाशीघ्र इस मामले में के पक्षकारों को दी जाए ।

66. **न्यायमूर्ति साहिदुल्लाह मुंशी** – मैं सहमत हूं ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

गणेशन

बनाम

परमशिवम और अन्य

(2015 की दांडिक अपील सं. 73)

तारीख 2 मार्च, 2020

न्यायमूर्ति एम. धंधापानी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 306 और 498क [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32] – हत्या का दुष्प्रेरण और क्रूरता – मृत्युकालिक कथन – विश्वसनीयता – पति और श्वसुर द्वारा की गई क्रूरता के कारण आत्महत्या किए जाने का अभिकथन – मृत्युकालिक कथन में उकसाए जाने का उल्लेख न होना – मृत्युकालिक कथन में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अभियुक्तों ने उसे उकसाया था बल्कि केवल यह कहा गया है कि उसने पारिवारिक झगड़ों के कारण आत्महत्या करने का प्रयास किया है, ऐसी स्थिति में अपराधजन्य परिस्थिति साबित नहीं होती है, अत: अभियुक्तों की दोषमुक्ति न्यायोचित है और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

अभियोजन का यह पक्षकथन है कि अभियुक्त-1 जो मृतका का पति है और अभियुक्त-2 जो अभियुक्त-1 का पिता है, द्वारा शराब के नशे में क्रूरता कारित किए जाने के कारण मृतका तीरथाकराई ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल उंडेलकर 8 और 9 जून, 2013 की मध्यरात्रि में लगभग 1.00 बजे आग लगाकर आत्महत्या कर ली । मृतका को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया और मृतका द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर विधि प्रवृत्त करने वाले अभिकरण (अर्थात् पुलिस) जो इस मामले में तृतीय प्रत्यर्थी है, ने 2013 का अपराध मामला सं. 119 दर्ज किया । शिकायतकर्ता अर्थात् अभि. सा. 1 मृतका तीरथाकराई का पिता है और अभि. सा. 2 उसकी माता है तथा अभि. सा. 3 मृतका का भाई है । मृतका और

अभियुक्त-1 के बीच विवाह फरवरी, 2010 में हुआ था और इस विवाह से उनके यहां एक पुत्र ने जन्म लिया । अभियुक्त-1 के शराब पीने की आदत से पति-पत्नी के बीच विवाद होने लगा और तारीख 8 जून, 2013 को अर्धरात्रि में लगभग 1.00 बजे मृतका ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल उंडेलकर आग लगाकर और आत्महत्या कर ली । उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल, मदुरई ले जाया गया जहां पांच दिन बाद दाह-क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो गई । सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने मृतका तीरथाकराई के कथन के आधार पर मामला रजिस्ट्रीकृत किया । दाह-क्षतियों के कारण मृतका की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट (अभि. सा. 14) द्वारा मृतका का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया गया । जिस पर अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा हस्ताक्षर किए गए । तथापि, तीरथाकराई की मृत्यु के पश्चात् अभि. सा. 1 द्वारा एक लिखित शिकायत पुलिस थाना अवियूर के पुलिस उप निरीक्षक (अभि. सा. 13) के समक्ष प्रस्तुत की गई । उक्त शिकायत के आधार पर अभि. सा. 13 द्वारा मामला दर्ज किया गया और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) तैयार की गई । चूंकि मृत्यु विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई थी, इसलिए राजस्व उपखंड अधिकारी (अभि. सा. 12) द्वारा मृत्युसमीक्षा की गई । छपी हुई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी गई जिसकी प्रतियां उच्च अधिकारियों को भी भेजी गईं और इसके पश्चात् मामले के अन्वेषण का भार पुलिस उपाधीक्षक (अभि. सा. 15) द्वारा संभाला गया । इसके पश्चात् मामले का अन्वेषण पुलिस निरीक्षक (अभि. सा. 16) को सौंपा गया जो घटनास्थल पर पहुंचा और संप्रेक्षण महाजर (प्रदर्श पी-12) तैयार किया तथा कच्चा नक्शा भी बनाया । अन्वेषण अधिकारी ने साक्षियों से पूछताछ की और उनके कथन अभिलिखित किए । इस साक्षी ने चिकित्सकों की परीक्षा की और उनके भी कथन अभिलिखित किए । मृतका का शव शवपरीक्षा के लिए भेजा गया और अभि. सा. 9 ने मृतका के शव की शवपरीक्षा की । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अभि. सा. 16 ने दंड संहिता की धारा 306 और 498क के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के विरुद्ध अंतिम रिपोर्ट फाइल

की । अभियुक्त-प्रत्यर्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के अधीन दस्तावेजों का अवलंब लिया और दंड संहिता की धारा 306 और 498क के अधीन आरोप विरचित किए जाने के पश्चात् मामला विचारण हेतु सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया गया । प्रश्न पूछे जाने पर अभियुक्त-प्रत्यर्थियों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया । अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए कुल मिलाकर 16 साक्षियों की परीक्षा कराई और प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-15 दस्तावेज चिह्नांकित किए । जब अभियुक्तों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उनके समक्ष प्रस्तुत की गई अपराधजन्य परिस्थितियों के संबंध में प्रश्न पूछे गए तब उन्होंने इन सभी परिस्थितियों से इनकार करते हुए उन्हें मिथ्या बताया । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य चिह्नांकित नहीं किया गया है । विचारण न्यायालय ने, दोनों पक्षकारों को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक तथा दस्तावेजी दोनों प्रकार की सामग्री पर विचार करने के पश्चात् अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया जिससे व्यथित होकर शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) ने वर्तमान अपील फाइल की है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस समागम पर यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि मृतका द्वारा दिए गए मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 10) के पश्चात् अभि. सा. 1 द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई जिसमें उसने अभियुक्त को मृतका द्वारा आत्महत्या किए जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है । किंतु अभि. सा. 1 की उक्त शिकायत मृतका के मृत्युकालिक कथन से निष्फल हो जाती है जिसमें उसने अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी अभिकथन नहीं किया है । मृतका ने मृत्युकालिक कथन में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि अभियुक्त ने उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया था । मृतका के मृत्युकालिक कथन से केवल यह उपदर्शित होता है कि उसने कतिपय पारिवारिक मुद्दों के कारण ही आत्महत्या करने का प्रयास किया था और उसने अभियुक्त-1 या अभियुक्त-2 के विरुद्ध कोई भी विशेष अभिकथन नहीं किया है । मात्र इस बात के अतिरिक्त कि अभियुक्त ने मृतका को बार-बार अपने मायके जाने से रोका था, अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी अभिकथन नहीं

किया गया है । मृत्युकालिक कथन से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि मृतका द्वारा, किसी भी व्यक्ति के किसी भी प्रकार से उकसाए बिना, आत्महत्या की गई है । इसके अतिरिक्त, चिकित्सक के टिप्पण से यह स्पष्ट है कि मृत्युकालिक कथन देने के समय मृतका भानपूर्ण और स्वस्थचित्त थी । अत:, अभियुक्त के विरुद्ध मृतका द्वारा कोई भी अभिकथन न किए जाने की दशा में अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 के साक्ष्य और शिकायत (प्रदर्श पी-1) का अवलंब, निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के आदेश को उलटने के लिए, लेना पूर्णतया अनुचित होगा और इतना ही नहीं जैसा कि अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा दलील दी गई है, अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 हितबद्ध साक्षी हैं, अत: न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह साक्ष्य की संवीक्षा सावधानीपूर्वक करे । अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य, शिकायत और मृत्युकालिक कथन का संचयी रूप से परिशीलन करने पर अकाट्य रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त ऐसे हमलावर नहीं हैं कि उन्होंने मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाया है । सच्चाई यह है कि पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ करता था किंतु निश्चित रूप से वह मृतका द्वारा आत्महत्या किए जाने का कारण नहीं हो सकता । अभि. सा. 1 के साक्ष्य से भी यह उपदर्शित होता है कि पति-पत्नी के बीच आम तौर पर झगड़ा हुआ करता था । ऐसी स्थिति में, यह बात दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त करने के लिए न्यायालय की समझ से बाहर है कि घटना के दिन मृतका को इतना तंग किया गया कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी । अभियोजन वृत्तांत को सभी पहलुओं से दृष्टिगत करते हुए इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि निचले न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय में कोई भी अवैधता या अनुचितता नहीं है । जब तक दोषमुक्ति के आदेश में स्पष्ट रूप से अवैधता कारित न की गई हो और जब तक ऐसा आदेश पारित न किया गया हो जो युक्तियुक्त और न्यायिक रूप से किसी भी न्यायालय द्वारा पारित न किया जा सके और जब तक दोषमुक्ति के आदेश को अनुचित न ठहरा दिया गया हो तब तक अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषिता की उपधारणा को समुचित बल दिया जाना चाहिए । अत:, अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री, मौखिक और

दस्तावेजी दोनों प्रकार के साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि सेशन न्यायालय द्वारा की गई अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 अर्थात् इस अपील में के प्रत्यर्थियों की दोषमुक्ति उचित और युक्तियुक्त निष्कर्षों पर आधारित है और अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि जिसके आधार पर उक्त निष्कर्षों को रद्द किया जा सके, अत: इस न्यायालय के समक्ष इस अपील को खारिज करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है । (पैरा 10.6, 10.9 और 11)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2020] ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 180 :
शैलेन्द्र राजदेव पासवान बनाम **गुजरात राज्य** । 11

निर्दिष्ट निर्णय

[2016] ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 2045 =
(2016) 12 एस. सी. सी. 150 = 2016
क्रिमिनल ला जर्नल 2589 (एस. सी.) :
वी. सेजप्पा बनाम **राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक, लोक आयुक्त, चित्रदुर्ग** ; 8

[2003] ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1104 =
(2003) 1 एस. सी. सी. 761 = 2003
क्रिमिनल ला जर्नल 1270 (एस. सी.) :
शैलेन्द्र प्रताप और एक अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 6

[1995] ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 280 =
(1995) (सप्ली.) 1 एस. सी. सी. 248 =
1994 क्रिमिनल ला जर्नल 3836 (एस. सी.) :
राम कुमार बनाम **हरियाणा राज्य** । 7

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील सं. 73.

2014 के सेशन मामला सं. 23 में विद्वान् सहायक सेशन न्यायालय, विरुधुनगर द्वारा पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री आर. मुरुगप्पन और बाबू राजेन्द्रन

प्रत्यर्थी की ओर से श्री के. के. रामाकृष्णन (अपर लोक अभियोजक)

न्यायमूर्ति एम. धंधापानी – प्रत्यर्थी-1 और प्रत्यर्थी-2 को विचारण मामले में अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 बनाया गया था जिन्हें सहायक सेशन न्यायालय, जिला विरुधुनगर द्वारा 2014 के सेशन मामला सं. 23 में भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 306 और 498(क) के अधीन आरोपित किया गया और इन्हीं धाराओं के अधीन उनका विचारण भी किया गया जिसके उपरांत विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष इन अभियुक्तों अर्थात् इस मामले में के प्रत्यर्थी-1 और प्रत्यर्थी-2 के विरुद्ध अपना पक्षकथन साबित नहीं कर सका और उन्हें दोषमुक्त कर दिया । अपीलार्थी अर्थात् विचारण मामले में के अभि. सा. 1 ने दोषमुक्ति के आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपील फाइल की है । सुविधा के लिए अपीलार्थी को वास्तविक शिकायतकर्ता कहा गया है और प्रत्यर्थियों को अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 कहा गया है ।

2. इस अपील के निपटारे के लिए संक्षिप्त रूप से आवश्यक तथ्य निम्न प्रकार हैं :–

2.1 अभियोजन का यह पक्षकथन है कि अभियुक्त-1 जो मृतका का पति है और अभियुक्त-2 जो अभियुक्त-1 का पिता है, द्वारा शराब के नशे में क्रूरता कारित किए जाने के कारण मृतका तीरथाकराई ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल उंडेलकर 8 और 9 जून, 2013 की मध्यरात्रि में लगभग 1.00 बजे आग लगाकर आत्महत्या कर ली । मृतका को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया और मृतका द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर विधि प्रवृत्त करने वाले अभिकरण (अर्थात् पुलिस) जो इस मामले में तृतीय प्रत्यर्थी है, ने 2013 का अपराध मामला सं. 119 दर्ज किया ।

2.2 शिकायतकर्ता अर्थात् अभि. सा. 1 मृतका तीरथाकराई का पिता है और अभि. सा. 2 उसकी माता है तथा अभि. सा. 3 मृतका का भाई

है । मृतका और अभियुक्त-1 के बीच विवाह फरवरी, 2010 में हुआ था और इस विवाह से उनके यहां एक पुत्र ने जन्म लिया । अभियुक्त-1 के शराब पीने की आदत से पति-पत्नी के बीच विवाद होने लगा और तारीख 8 जून, 2013 को अर्धरात्रि में लगभग 1.00 बजे मृतका ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल उंडेलकर आग लगाकर और आत्महत्या कर ली । उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल, मदुरई ले जाया गया जहां पांच दिन बाद दाह-क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो गई ।

2.3 सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने मृतका तीरथाकराई के कथन के आधार पर मामला रजिस्ट्रीकृत किया । दाह-क्षतियों के कारण मृतका की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट (अभि. सा. 14) द्वारा मृतका का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया गया । जिस पर अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा हस्ताक्षर किए गए । तथापि, तीरथाकराई की मृत्यु के पश्चात् अभि. सा. 1 द्वारा एक लिखित शिकायत पुलिस थाना अवियूर के पुलिस उप निरीक्षक (अभि. सा. 13) के समक्ष प्रस्तुत की गई । उक्त शिकायत के आधार पर अभि. सा. 13 द्वारा मामला दर्ज किया गया और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) तैयार की गई । चूंकि मृत्यु विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई थी, इसलिए राजस्व उपखंड अधिकारी (अभि. सा. 12) द्वारा मृत्युसमीक्षा की गई । छपी हुई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी गई जिसकी प्रतियां उच्च अधिकारियों को भी भेजी गईं और इसके पश्चात् मामले के अन्वेषण का भार पुलिस उपाधीक्षक (अभि. सा. 15) द्वारा संभाला गया । इसके पश्चात् मामले का अन्वेषण पुलिस निरीक्षक (अभि. सा. 16) को सौंपा गया जो घटनास्थल पर पहुंचा और संप्रेक्षण महाजर (प्रदर्श पी-12) तैयार किया तथा कच्चा नक्शा भी बनाया । अन्वेषण अधिकारी ने साक्षियों से पूछताछ की और उनके कथन अभिलिखित किए । इस साक्षी ने चिकित्सकों की परीक्षा की और उनके भी कथन अभिलिखित किए । मृतका का शव शवपरीक्षा के लिए भेजा गया और अभि. सा. 9 ने मृतका के शव की शवपरीक्षा की । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अभि. सा. 16 ने दंड संहिता की धारा 306 और 498क के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के विरुद्ध अंतिम रिपोर्ट फाइल की ।

2.4 अभियुक्त-प्रत्यर्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के अधीन दस्तावेजों का अवलंब लिया और दंड संहिता की धारा 306 और 498क के अधीन आरोप विरचित किए जाने के पश्चात् मामला विचारण हेतु सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया गया । प्रश्न पूछे जाने पर अभियुक्त-प्रत्यर्थियों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया ।

2.5 अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए कुल मिलाकर 16 साक्षियों की परीक्षा कराई और प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-15 दस्तावेज चिह्नांकित किए । जब अभियुक्तों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उनके समक्ष प्रस्तुत की गई अपराधजन्य परिस्थितियों के संबंध में प्रश्न पूछे गए तब उन्होंने इन सभी परिस्थितियों से इनकार करते हुए उन्हें मिथ्या बताया । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य चिह्नांकित नहीं किया गया है । विचारण न्यायालय ने, दोनों पक्षकारों को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक तथा दस्तावेजी दोनों प्रकार की सामग्री पर विचार करने के पश्चात् अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया जिससे व्यथित होकर शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) ने वर्तमान अपील फाइल की है ।

2.6 वास्तविक शिकायतकर्ता की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियुक्त-1 और मृतका के बीच शराब की आदत को लेकर प्राय: झगड़ा हुआ करता था । विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी दलील दी गई है कि दुर्घटना वाले दिन मृतका अपने पैतृक गृह आई और उसने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 को यह बताया कि अभियुक्त द्वारा उसे तंग किया जा रहा है और यह कि वह अपने जीवन का अंत करना चाहती है जिस पर अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने मृतका को शांत करते हुए समझाया और उसे उसके वैवाहिक गृह भेज दिया । तथापि, उन्हें अपनी पुत्री के आग में जलकर आत्महत्या किए जाने के बारे में पता चला और वे तुरन्त सरकारी अस्पताल गए । वास्तविक शिकायतकर्ता की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियुक्त द्वारा मृतका को तंग किया गया था और इसका उल्लेख अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा भी किया गया है, इसी के परिणामस्वरूप मृतका को आत्महत्या करनी पड़ी, अत: इस मामले को दंड संहिता की धारा 306 के संघटक लागू होते हैं । तथापि,

विचारण न्यायालय ने उपरोक्त साक्ष्य का मूल्यांकन समुचित रूप से नहीं किया है और अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया है जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित है । अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा स्पष्ट रूप से यह दलील दी गई है कि अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 का साक्ष्य एक-दूसरे से मेल खाता है और इन साक्षियों ने मृतका को तंग किए जाने के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य दिया है और यह साबित किया है कि अभियुक्त के कृत्य द्वारा मृतका आत्महत्या कारित करने के लिए प्रेरित हुई है । विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी दलील दी गई है कि अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 ने स्पष्ट रूप से अभियुक्त-1 द्वारा मदिरापान किए जाने और उसके पश्चात्वर्ती मृतका के साथ यातनापूर्ण व्यवहार किए जाने के संबंध में साक्ष्य दिया है । अभियुक्त द्वारा मृतका को शारीरिक और मानसिक रूप से यातना पहुंचाने के कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ी है जिसके संबंध में अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 ने स्पष्ट कथन किया है । तथापि, विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन समुचित परिप्रेक्ष्य में नहीं किया है और अभियुक्त को गलत तरीके से दोषमुक्त किया है और इस आदेश में हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित है ।

3. इसके प्रतिकूल, अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि न्यायालय द्वारा निरंतर रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का आदेश अनुचित और अवैध न पाया जाए, तब तक अपील न्यायालय को दोषमुक्ति के उक्त आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि इस संबंध में अभियुक्त की आपराधिक मन:स्थिति साबित की जानी चाहिए कि उसने मृतका को आत्महत्या करने जैसा आत्यंतिक कदम उठाने के लिए उकसाया है और युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है कि अभियुक्त की मन:स्थिति ऐसी आपराधिक ही थी और अभियोजन पक्षकथन से ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलता है । अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं । इसके अतिरिक्त, इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और

अन्य साक्षी भी, जिन्हें मामले के अन्य पहलुओं पर साक्ष्य देने के लिए साक्षी बनाया गया है, पक्षद्रोही घोषित किए गए हैं । अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 हितबद्ध साक्षी हैं, अत: न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह उनके साक्ष्य का विश्लेषण कड़ी सावधानी से करे । विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी दलील दी गई है कि अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 के साक्ष्य से किसी भी प्रकार से अभियोजन पक्षकथन का ऐसा समर्थन नहीं होता है कि इस मामले को दंड संहिता की धारा 306 की परिधि में रखा जा सके । यद्यपि अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष का यह पक्षकथन है कि अभियुक्त-1 और मृतका के बीच वैवाहिक विवाद था । इन्हीं विवादों से परेशान होकर मृतका ने अपने जीवन का अंत करने का विनिश्चय किया, ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 306 और 498क के अधीन अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ।

4. विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने के पश्चात् अस्पताल में पंचायत बिठाई गई जिसमें अभियुक्तों को अभियुक्त-1 के पुत्र के पक्ष में समझौता विलेख निष्पादित करने के लिए विवश किया गया और स्त्रीधन से संबंधित सभी सामान अभि. सा. 1 को वापस किए जाने के लिए भी अभियुक्तों पर दबाव डाला गया । छिपे शब्दों में यह धमकी भी दी गई कि यदि उक्त समझौता नहीं किया गया तो अभियुक्तों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई जाएगी और इस धमकी के परिणामस्वरूप उनमें कहा-सुनी हो गई । विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि अभियुक्त और मृतका दोनों के परिवारों के बीच वातावरण अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए मृतका द्वारा किए गए कृत्य से मृतका के माता-पिता को यह अवसर प्राप्त हो गया कि वे अभियुक्तों पर दबाव बना सके और जब वे अभियुक्तों पर दबाव न बना सके तब अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 ने प्रतिशोध की भावना के साथ अभियुक्तों के विरुद्ध शिकायत फाइल की । विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी दलील दी गई है कि मजिस्ट्रेट को दिए गए मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-10) से यह उपदर्शित होता है कि मृतका द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध ऐसा कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है जिसके आधार पर दंड संहिता की धारा 306 और 498क लागू

की जा सके और विचारण न्यायालय ने संपूर्ण सामग्री पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया है और अभियुक्तों को लगाए गए आरोपों का दोषी नहीं पाया है और तद्नुसार उन्हें दोषमुक्त किया है और इस आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

5. इस न्यायालय ने अपीलार्थी और प्रत्यर्थी-1 तथा प्रत्यर्थी-2 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल और तृतीय प्रत्यर्थी अर्थात् राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है जिसकी ओर इस न्यायालय का ध्यान दिलाया गया है ।

6. ऐसे मामलों में जिनमें निचले न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश को चुनौती दी गई हो, यह आम बात है कि जब तक निचले न्यायालय का आदेश अनुचितता से ग्रसित न हो, तब तक उच्च न्यायालय को उक्त आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । **शैलेन्द्र प्रताप और एक अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि यह न्यायोचित नहीं होगा कि अपील न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करे और ऐसा केवल तब किया जा सकता है जब वह आदेश अनुचित पाया जाए । इस आदेश का सुसंगत भाग सुविधा के लिए निम्न प्रकार उद्धृत किया जा रहा है :-

> "8. पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल को सुनने के पश्चात् हमारी यह राय है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को आरोपों से मुक्त करने में पूरी तरह न्यायोचित किया है क्योंकि न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया मत युक्तियुक्त प्रतीत होता है और इस प्रकार दोषमुक्ति के आदेश को अनुचित नहीं कहा जा सकता है । यह सुस्थापित है कि अपील न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप किया जाना तब तक न्यायोचित नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह आदेश अनुचित न पाया जाए । वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने

---

[1] ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1104 = (2003) 1 एस. सी. सी. 761 = 2003 क्रिमिनल ला जर्नल 1270 (एस. सी.).

विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित अपीलार्थियों की दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करके त्रुटि की है क्योंकि यह आदेश अनुचितता से ग्रसित नहीं है ।"

7. **राम कुमार** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में भी माननीय उच्चतम न्यायालय पुन: इस बात पर बल दिया है कि उच्च न्यायालय को निचले न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए मत को समुचित महत्व देना चाहिए और यह भी अभिनिर्धारित किया है कि यदि निचले न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया मत युक्तियुक्त और तर्कसम्मत है, तब दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए । इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है :-

"15. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी सहित सभी अभियुक्तों की दोषमुक्ति का आदेश अभियोजन पक्षकथन को ठोस और सारभूत कारणों के आधार पर अविश्वसनीय ठहराते हुए अभिलिखित किया है, अत: उच्च न्यायालय को मात्र इस आधार पर दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् एक अन्य मत संभव है । इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध की गई अपील में साक्ष्य का पुन: मूल्यांकन करने और अपना मत व्यक्त करने संबंधी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 और 379 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्ति उतनी ही व्यापक है जितनी दोषसिद्धि के विरुद्ध की गई अपील में होती है । किंतु प्रज्ञा के नियम के अनुसार यह वांछनीय है कि उच्च न्यायालय को साक्ष्यों की विश्वसनीयता, अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारणा, अभियुक्त को मिलने वाले संदेह का लाभ और न्यायाधीशों जिन्होंने साक्षात् साक्षियों को देखा होता है, द्वारा व्यक्त किए गए मतों पर अपील न्यायालयों का किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दबाजी न करना जैसे कारकों को समुचित रूप से महत्व देते हुए विचार किया

---

[1] ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 280 = (1995) (सप्ली.) 1 एस. सी. सी. 248 = 1994 क्रिमिनल ला जर्नल 3836 (एस. सी.).

जाना चाहिए । निस्संदेह यह सुस्थापित विधि है कि यदि निचले न्यायालय द्वारा निकाला गया दोषमुक्ति का निष्कर्ष युक्तियुक्त और तर्कसम्मत है और उसे पूर्ण और प्रभावी रूप से निष्फल नहीं किया जा सकता, तब ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । .....?"

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **वी. सेजप्पा** बनाम **राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक, लोक आयुक्त, चित्रदुर्ग**[1] वाले मामले में दोषमुक्ति के विरुद्ध की गई अपील में लागू किए जाने वाले उन सिद्धांतों को दोहराते हुए जिन्हें कई निर्णयों में अधिकथित किया गया है, इस निर्णय के पैरा 21 और 22 में निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है :-

"22. यदि साक्ष्य के मूल्यांकन और विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में कोई भी अवैधता या अनुचितता नहीं पाई जाती है और विचारण न्यायालय ने जिस आधार पर अपना निष्कर्ष निकाला है वह युक्तियुक्त और तर्कसम्मत है, तब उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए चाहे अन्य मत संभव हो । मात्र इस कारण से कि साक्ष्य का पुन: मूल्यांकन करने के पश्चात् अपील न्यायालय भिन्न मत व्यक्त करने के लिए आनत है, दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करना ऐसी स्थिति में न्यायोचित नहीं होगा जब विचारण न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया मत एक संभव मत है । राज्य **बनाम** के. नरसिंहाचारी [(2005) 8 एस. सी. सी. 364 = ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 628 = 2006 क्रिमिनल ला जर्नल 518 (एस. सी.)] वाले मामले में इस न्यायालय ने सुस्थापित विधि को इस प्रकार दोहराया है कि यदि दो मत संभव हो तब अपील न्यायालय को निचले न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और यह कि जब अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर केवल अभियुक्त के दोषी होने का ही एकमात्र निष्कर्ष निकले, तब दोषमुक्ति के निर्णय में अपील न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया

---

[1] ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 2045 = (2016) 12 एस. सी. सी. 150 = 2016 क्रिमिनल ला जर्नल 2589 (एस. सी.).

जाना अपेक्षित होगा । ऐसा ही मत टी. सुब्रमण्यम **बनाम** तमिलनाडु राज्य [(2006) 1 एस. सी. सी. 401 = (2006) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 401 = ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 836 = 2006 क्रिमिनल ला जर्नल 804 (एस. सी.)] वाले मामले में भी व्यक्त किया गया है ।

23. मुरलीधर **बनाम** कर्नाटक राज्य [(2014) 5 एस. सी. सी. 730 = (2014) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 690 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 2200 = 2014 क्रिमिनल ला जर्नल 2365 (एस. सी.)] वाले मामले में इस न्यायालय ने दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील में अपील न्यायालय द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांतों पर विचार किया है । उपरोक्त निर्णय के पैरा 12 में निम्न प्रकार मत व्यक्त किया गया है –

> 12. दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध की गई अपील में अपील न्यायालय द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण पर इस न्यायालय द्वारा तुलसीराम **बनाम** राज्य [ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 1 = 1954 क्रिमिनल ला जर्नल 225], मदन मोहन सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य [ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 637 = 1954 क्रिमिनल ला जर्नल 1656], अतले **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य [ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 807 = 1955 क्रिमिनल ला जर्नल 1653], अहेर राजा खीमा **बनाम** सौराष्ट्र राज्य [ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 217 = 1956 क्रिमिनल ला जर्नल 426], बलबीर सिंह **बनाम** पंजाब राज्य [ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 216 = 1957 क्रिमिनल ला जर्नल 481], एम. जी. अग्रवाल **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 200 = (1963) 1 क्रिमिनल ला जर्नल 235], नूर खान **बनाम** राजस्थान राज्य [ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 286 = (1964) 1 क्रिमिनल ला जर्नल 167], खेडू मोहटन **बनाम** बिहार राज्य [ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 66 = 1971 क्रिमिनल ला जर्नल 20 (एस. सी.) = (1970) 2 एस. सी. सी. 450 = (1970) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 479], शिवाजी साहबराव बोबड़े **बनाम**

महाराष्ट्र राज्य [ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2622 = (1973) क्रिमिनल ला जर्नल 1783 (एस. सी.)], लेखा यादव **बनाम** बिहार राज्य [ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2241 = 1973 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 820], खेमकरन **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य [ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1567 = 1974 क्रिमिनल ला जर्नल 1033 एस. सी.], बिशन सिंह **बनाम** पंजाब राज्य [ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2443 = 1973 क्रिमिनल ला जर्नल 1596 (एस. सी.)], उमेदभाई जाधवभाई **बनाम** गुजरात राज्य [ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 424 = 1978 क्रिमिनल ला जर्नल 489 (एस. सी.)], के. गोपाल रेड्डी **बनाम** आंध्र प्रदेश राज्य [ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 387 = 1980 क्रिमिनल ला जर्नल 812 (एस. सी.)], तोता सिंह **बनाम** पंजाब राज्य [ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1083 = 1987 क्रिमिनल ला जर्नल 974 (एस. सी.)], राम कुमार **बनाम** हरियाणा राज्य [ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 280 = 1995 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 335 = 1994 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 4441], मदन लाल **बनाम** जम्मू-कश्मीर राज्य [ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 386 = 1998 क्रिमिनल ला जर्नल 667 (एस. सी.) = 1997 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1151], सम्बासिवन **बनाम** केरल राज्य [ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 2107 = 1998 क्रिमिनल ला जर्नल 2924 (एस. सी.)], भगवान सिंह **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य [ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1621 = 2002 क्रिमिनल ला जर्नल 2024 (एस. सी.) = (2002) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 736], हरिजन तिरुपला **बनाम** लोक अभियोजक [ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 2821 = 2002 क्रिमिनल ला जर्नल 3751 (एस. सी.) = (2002) 6 एस. सी. सी. 470 = (2002) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1370], सी. एन्टोनी **बनाम** के. जी. राघवन नायर [ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 182 = 2003 क्रिमिनल ला जर्नल 411 = (2003) 1 एस. सी. सी. 1 = (2003) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 161], कर्नाटक राज्य **बनाम** के. गोपालकृष्णन [ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1014 =

2005 क्रिमिनल ला जर्नल 1436 (एस. सी.) = (2005) 9 एस. सी. सी. 291 = (2005) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1237], गोवा राज्य **बनाम** संजय ठाकरन [ए. आई. आर. 2007 एस. सी. (सप्ली.) 61 = (2007) एस. सी. सी. 775 = (2007) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 162 = 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2226] और चंद्रप्पा **बनाम** कर्नाटक राज्य [ए. आई. आर. 2007 एस. सी. (सप्ली.) 111 = 2007 क्रिमिनल ला जर्नल 2136 (एस. सी.) = (2007) 4 एस. सी. सी. 415 = (2007) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 325] वाले मामलों में विचार किया है । प्रत्येक मामले में अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं है । यह कहना पर्याप्त होगा कि दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय ने निरंतर यह अभिनिर्धारित किया है कि अपील न्यायालय को निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिएं –

(i) अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषिता की उपधारणा होती है और यह उपधारणा विचारण न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश से और प्रबलित हो जाती है ;

(ii) जब दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में गुणता पर विचार किया जाता है तब अभियुक्त युक्तियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार होता है ;

(iii) यद्यपि दोषमुक्ति के विरुद्ध की गई अपील पर विचार करने से संबंधित अपील न्यायालय की शक्ति उतनी ही व्यापक है जितनी दोषसिद्धि के विरुद्ध की गई अपील में होती है किंतु आम तौर पर अपील न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्यों के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने में रियायत बरतते हैं । इसका यह कारण है कि विचारण न्यायालय को साक्षियों के हाव-भाव देखने का अवसर प्राप्त होता है । यदि विचारण न्यायालय मामले के तथ्यों पर युक्तियुक्त रूप से विचार करता है, तब दोषमुक्ति के निर्णय में अपील न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित

नहीं है । जब विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूर्णतया अनुचित हों और विधि का त्रुटिपूर्ण प्रयोग किए जाने के आधार पर हों और जब ऐसे निष्कर्ष को बनाए रखने में घोर अन्याय होता हो, तब निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में अपील न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना पूर्णतया न्यायोचित होगा ; और

(iv) मात्र इस कारण से कि साक्ष्य का पुन: मूल्यांकन करने के पश्चात् अपील न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए आनत है, ऐसे हस्तक्षेप को ऐसी स्थिति में न्यायोचित नहीं कहा जा सकता जब विचारण न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया दोषमुक्ति का मत एक संभव मत है । साक्ष्य पर समान रूप से संतुलित विचार किए जाने के बावजूद विचारण न्यायालय के निर्णय में अपील न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

9. उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय अब साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करेगा कि क्या अभियुक्त को दोषमुक्त करने से संबंधित निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष तर्कसम्मत और युक्तियुक्त हैं या स्पष्ट अवैधता के कारण दूषित हैं या अपील न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष ऐसे हैं जो युक्तियुक्त और न्यायिक रूप से किसी भी न्यायालय द्वारा निकाले जाने संभव नहीं हैं तब ऐसे निष्कर्षों को अनुचित ही कहा जा सकता है ।

10. पक्षकारों अर्थात् अभियुक्त-1, अभियुक्त-2, मृतका, अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के बीच जो संबंध हैं वह विवादित नहीं हैं । अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 का अभियुक्तों से नातेदारी उनकी पुत्री का अभियुक्त-1 के साथ विवाह होने के आधार पर बनी है । अभि. सा. 2 मृतका का श्वसुर है । मृतका और अभियुक्त-1 के विवाह से उनके यहां एक पुत्र ने जन्म लिया जिस पर कोई विवाद नहीं है । इन साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतका और अभियुक्त के विवाह के पश्चात् होने वाली घटनाओं के संबंध में एक जैसी ही बात कही है । तथापि, चूंकि अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 मृतका के नातेदार

हैं, इसलिए इस न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह इस बात पर भी विचार करे कि साक्षियों का साक्ष्य किसी प्रकार से पक्षपाती तो नहीं है और यह कि उनका साक्ष्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किए जाने के संबंध में विश्वासप्रद है या नहीं ।

10.1 इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । तथापि, अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 को अभियोजन पक्ष द्वारा इसलिए साक्षी बनाया गया है कि वे मृतका और अभियुक्त-1 के बीच वैवाहिक विवाद के संबंध में साक्ष्य दे सकें और यह कि अभियुक्त द्वारा मृतका के प्रति दुर्व्यवहार का उल्लेख कर सकें । अभि. सा. 5, अभि. सा. 6, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 पक्षद्रोही घोषित किए गए हैं, अत: इन साक्षियों के साक्ष्य से किसी भी प्रकार से अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं होता है ।

10.2 अभि. सा. 1 के साक्ष्य की संपुष्टि सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के साक्ष्य से होती है जिससे यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त-1 के साथ मृतका का विवाह फरवरी, 2010 में हुआ था । अभि. सा. 1 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त-1 अगली गली में रहता है और यह कि वह शराब पीने का आदी है और इसी कारण पति-पत्नी के बीच विवाद होता था । अभि. सा. 1 के साक्ष्य से यह भी उपदर्शित होता है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 मृतका से सहानुभूति रखते थे और उसे सांत्वना देकर उसकी ससुराल भेज दिया करते थे ।

10.3 अभि. सा. 1 के साक्ष्य से यह भी उपदर्शित होता है कि घटना के दिन अर्थात् 8 जून, 2013 को मृतका अपने मायके आई और उसने अभियुक्त द्वारा उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार के बारे में अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 को बताया । अभि. सा. 1 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका अपने मायके अकेली आई और उसके साथ उसका बच्चा भी नहीं था । अभि. सा. 1 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने मृतका को समझा-बुझाकर उसके मायके भेज दिया और थोड़े समय बाद उन्हें पता चला कि उनकी पुत्री ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली है ।

10.4 यह ध्यान में रखना चाहिए कि सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने मृतका का कथन घटना के दिन अस्पताल में अभिलिखित किया था । तथापि, इसके पश्चात् जब उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तब अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 की मौजूदगी में मजिस्ट्रेट द्वारा उसका मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-10) अभिलिखित किया गया । मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाने के पश्चात् ही अभि. सा. 1 द्वारा शिकायत (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई गई जिसके आधार पर दांडिक कार्यवाही आरंभ की गई ।

10.5 अभि. सा. 1 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी पुत्री ने शिकायत (प्रदर्श पी-1) तथा मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित मृत्युकालिक कथन पर अपने अंगूठे की छाप लगाई थी । तथापि, अभि. सा. 1 के उक्त अभिसाक्ष्य का खंडन चिकित्सकों अर्थात् अभि. सा. 9 और अभि. सा. 10 के साक्ष्य से होता है जिन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि चूंकि मृतका को 75 प्रतिशत से अधिक दाह-क्षतियां कारित हुई हैं, इसलिए वे शिकायत तथा मृत्युकालिक कथन पर उसके अंगूठे की छाप नहीं लगवा सके थे, अत: उसके बाएं पैर के अंगूठे की छाप ही उपरोक्त दस्तावेजों पर लगवाई जा सकी ।

10.6 इस समागम पर यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि मृतका द्वारा दिए गए मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-10) के पश्चात् अभि. सा. 1 द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई जिसमें उसने अभियुक्त को मृतका द्वारा आत्महत्या किए जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है । किंतु अभि. सा. 1 की उक्त शिकायत मृतका के मृत्युकालिक कथन से निष्फल हो जाती है जिसमें उसने अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी अभिकथन नहीं किया है । मृतका ने मृत्युकालिक कथन में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि अभियुक्त ने उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया था । मृतका के मृत्युकालिक कथन से केवल यह उपदर्शित होता है कि उसने कतिपय पारिवारिक मुद्दों के कारण ही आत्महत्या करने का प्रयास किया था और उसने अभियुक्त-1 या अभियुक्त-2 के विरुद्ध कोई भी विशेष अभिकथन नहीं किया है । मात्र इस बात के

अतिरिक्त कि अभियुक्त ने मृतका को बार-बार अपने मायके जाने से रोका था, अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है । मृत्युकालिक कथन से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि मृतका द्वारा, किसी भी व्यक्ति के किसी भी प्रकार से उकसाए बिना, आत्महत्या की गई है । इसके अतिरिक्त, चिकित्सक के टिप्पण से यह स्पष्ट है कि मृत्युकालिक कथन देने के समय मृतका भानपूर्ण और स्वस्थचित्त थी । अतः, अभियुक्त के विरुद्ध मृतका द्वारा कोई भी अभिकथन न किए जाने की दशा में अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 के साक्ष्य और शिकायत (प्रदर्श पी-1) का अवलंब, निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के आदेश को उलटने के लिए, लेना पूर्णतया अनुचित होगा और इतना ही नहीं जैसा कि अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा दलील दी गई है, अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 हितबद्ध साक्षी हैं, अत: न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह साक्ष्य की संवीक्षा सावधानीपूर्वक करे ।

10.7 अभि. सा. 1 द्वारा एक महत्वपूर्ण बात स्वीकार की गई है जिसका लाभ अभियुक्त को पहुंच सकता है, अर्थात् अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि जब मृतका अस्पताल में थी तब एक पंचायत बिठाई गई थी जिसमें अभियुक्त अपने पुत्र के पक्ष में 3,50,000/- रुपए जमा करने तथा उसके नाम संपत्ति करने के लिए सहमत हुआ था । तथापि, उक्त समझौते के पश्चात् मृतका की मृत्यु होने के कारण अभि. सा. 1 द्वारा शिकायत फाइल की गई । इस प्रक्रम पर यह याद रखना चाहिए कि मृतका जो कोई और नहीं अपितु अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 की वह पुत्री थी जो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी और ऐसी स्थिति में कोई भी समझदार माता-पिता संपत्ति के बंटवारे के लिए पंचायत नहीं बिठाएंगे । पंचायत बिठाए जाने संबंधी अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य से उसकी मानसिकता का पता चलता है और यह न्यायालय इस तथ्य पर किसी भी प्रकार से विचार करने के लिए आनत नहीं है ।

10.8 पुलिस उप निरीक्षक (अभि. सा. 13) ने शुरू में दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 174 के अधीन मामला दर्ज किया था । अभि. सा. 12 राजस्व उपखंड अधिकारी है जिसने अस्पताल में मृतका की परीक्षा की है, अत: उसने मृतका की मृत्यु के पश्चात् उसके शव की मृत्युसमीक्षा की है । अभि. सा. 12 ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि दहेज की मांग के आधार पर तंग किए जाने से संबंधित मृतका द्वारा कोई भी शिकायत नहीं की गई और न ही अन्य किसी साक्षी ने इस संबंध में कोई साक्ष्य दिया है । यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस ने अभिकथित दहेज प्रपीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं की है । उपरोक्त शासकीय साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त द्वारा मृतका को किसी भी प्रकार से तंग नहीं किया गया है, तथापि, पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद थे । यह भी उल्लेखनीय है कि विवाह का परिणाम घरेलू विवाद है जो प्रत्येक परिवार में पाया जाता है और पति-पत्नी के बीच ऐसे विवाद को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और न यह समझना चाहिए कि यह पति द्वारा पत्नी के प्रति या पत्नी द्वारा पति के प्रति कोई दुर्व्यवहार है ।

10.9 अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य, शिकायत और मृत्युकालिक कथन का संचयी रूप से परिशीलन करने पर अकाट्य रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त ऐसे हमलावर नहीं हैं कि उन्होंने मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाया है । सच्चाई यह है कि पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ करता था किंतु निश्चित रूप से वह मृतका द्वारा आत्महत्या किए जाने का कारण नहीं हो सकता । अभि. सा. 1 के साक्ष्य से भी यह उपदर्शित होता है कि पति-पत्नी के बीच आम तौर पर झगड़ा हुआ करता था । ऐसी स्थिति में, यह बात दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त करने के लिए न्यायालय की समझ से बाहर है कि घटना के दिन मृतका को इतना तंग किया गया कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी । अभियोजन वृत्तांत को सभी पहलुओं से दृष्टिगत करते हुए इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि निचले न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय में कोई भी अवैधता या अनुचितता नहीं है ।

11. उच्चतम न्यायालय ने **शैलेन्द्र राजदेव पासवान** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में निरंतर रूप से अधिकथित किए गए विनिश्चयाधार को दोहराया है कि जब तक दोषमुक्ति के आदेश में स्पष्ट रूप से अवैधता कारित न की गई हो और जब तक ऐसा आदेश पारित न किया गया हो जो युक्तियुक्त और न्यायिक रूप से किसी भी न्यायालय द्वारा पारित न किया जा सके और जब तक दोषमुक्ति के आदेश को अनुचित न ठहरा दिया गया हो तब तक अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषिता की उपधारणा को समुचित बल दिया जाना चाहिए । अत:, अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री, मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार के साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि सेशन न्यायालय द्वारा की गई अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 अर्थात् इस अपील में के प्रत्यर्थियों की दोषमुक्ति उचित और युक्तियुक्त निष्कर्षों पर आधारित है और अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि जिसके आधार पर उक्त निष्कर्षों को रद्द किया जा सके, अत: इस न्यायालय के समक्ष इस अपील को खारिज करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है ।

12. उपरोक्त कारणों के आधार पर इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि इस मामले में के प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त करने संबंधी सेशन न्यायालय द्वारा अभिलिखित आदेश से भिन्न निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, तद्नुसार सहायक सेशन न्यायालय, जिला विरुधुनगर, द्वारा 2014 के सेशन विचारण मामला सं. 23 में अभिलिखित दोषमुक्ति के आदेश की पुष्टि करते हुए यह अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

---

[1] ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 180.

जीतेन्द्र उर्फ कल्ली

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(2017 की दांडिक अपील सं. 5771 और 2015 की दांडिक अपील सं. 5845)

तारीख 12 मई, 2020

न्यायमूर्ति आनंद पाठक

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 307 और 149 [सपठित मध्य प्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 की धारा 11 और 13] – हत्या का प्रयास और विधिविरुद्ध जमाव – डकैतों द्वारा आहत का अभिकथित व्यपहरण – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और रोजनामचे में व्यपहरण की सूचना का उल्लेख न पाया जाना – व्यपहृत व्यक्ति और पुलिस साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभास – व्यपहरण से संबंधित सूचना का उल्लेख न तो रोजनामचे में किया गया है और न ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के खण्ड 3(क) में, इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि पुलिस दल द्वारा पैरोल ड्यूटी के दौरान कितने वाहनों का प्रयोग किया गया था और उनके रजिस्ट्रेशन नम्बर क्या हैं, ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्षकथन संदिग्ध हो जाता है और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) – धारा 25 और 27 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – विधिविरुद्ध जमाव के दौरान 100-200 गोलियां चलाए जाने का अभिकथन – गोलियां चलाए जाने की आवाज किसी भी ग्रामवासी द्वारा न सुनना – किसी भी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा न कराना – हथियारों का मुहरबंद न किया जाना – किसी भी पुलिस कार्मिक को क्षति न पहुंचना – डकैतों के गैंग ने पुलिस कार्मिकों पर लगभग 100-200 गोलियां चलाईं और आस-पास या ग्राम में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने गोला-बारी की आवाज नहीं सुनी और पुलिस द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई और कि हथियारों को मुहरबंद नहीं किया गया जिससे उनके

साथ छेड़छाड़ किए जाने की पूरी संभावना बन जाती है, अत: ऐसी स्थिति में अभियुक्तों की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती ।

अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, अभियोजन पक्षकथन के अनुसार परिवादी/उप निरीक्षक हितेन्द्र सिंह राठौर, पुलिस थाना सरायछोला, जिला मुरैना को तारीख 15 फरवरी, 2009 को अपनी गश्त करते समय यह सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात डकैत राजेन्द्र गुर्जर ने अपने साथियों, अर्थात् समोखन, जीतेन्द्र, सुरेन्द्र, रामदीन, रामसेवक, राणाजीत, कुमार गुर्जर, मच्छल सिंह, करवा और हरवीर आदि के साथ चंबल स्थित नदुआपुरा बीहड़ में किसी एक व्यक्ति का अपहरण किया है और उसे जंजीर से बांधकर रखा हुआ है इस सूचना के प्राप्त होने पर परिवादी पुलिस पैट्रोल दल के अन्य 10 सदस्यों (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार कुल 11 व्यक्ति) घटनास्थल पर पहुंचे और वहां वे अपराधियों को पकड़ने के लिए दो दलों में विभक्त हो गए । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु के अनुसार दल सं. 1 में परिवादी हितेन्द्र सिंह, पी. एस. आई. अनिल भदौरिया, हैड कांस्टेबल सियाराम धाकड़, हैड कांस्टेबल भरत सिंह, कांस्टेबल रामअवतार बोहरे, कांस्टेबल विशंभर सम्मिलित थे जबकि दल सं. 2 में उप निरीक्षक अखिलेश पुरी गोस्वामी की कमान के अधीन पी. एस. आई. नरावी, हैड कांस्टेबल शिवराम, कांस्टेबल कोक सिंह और रामअवतार सिंह सम्मिलित थे । पुलिस दल को दो दलों में विभक्त करने के पश्चात् परिवादी ने दोनों दलों के सदस्यों को संक्षेप में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में बताया जिसमें दल सं. 2 को यह निदेश दिया गया कि वे डकैतों की पूर्वी दिशा की ओर से घेराबंदी करें जबकि दल सं. 1 पश्चिमी दिशा से डकैतों की ओर बढ़ा । उनके पास टीले सर्च-लाइट थी जिसके माध्यम से दल सं. 1 ने एक डकैत को देखा जो कुछ दूरी पर अपने हाथ में राइफल लिए टिब्बे के पीछे खड़ा होकर किसी आने-जाने वाले से अपने दल की सुरक्षा कर रहा था । उसके पश्चात् पुलिस दल ने उसे ललकारा और उसे उसकी पहचान बताने के लिए कहा तथा उससे बीहड़ में उसकी उपस्थिति का कारण भी पूछा । उसके उत्तर में वह अपने मुखिया राजेन्द्र, बंटी, जीतेन्द्र, समोखन आदि का नाम लेते हुए जोर से चिल्लाया कि पुलिस पहुंच गई है और उसने उनसे पुलिस पर गोली चलाने के लिए कहा ।

उसके पश्चात् डकैतों ने अंधाधुंध पुलिस दल पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया जिससे पुलिस कार्मिकों का जीवन खतरे में आ गया । परिवादी ने वायरलेस सैट के माध्यम से दल सं. 2 से संपर्क किया और उन्हें डकैतों की दिशा में आगे बढ़ने का निदेश दिया । उसने डकैतों को भी पुलिस के समक्ष समर्पण करने का निदेश दिया किंतु उसके उत्तर में डकैतों ने पुलिस पर पुन: अंधाधुंध गोलियां चलाईं और वे उनकी दिशा में आगे बढ़ने लगे । हैड कांस्टेबल सियाराम धाकड़ और रामअवतार ने तीन डकैतों को दबोच लिया जो उनकी पकड़ से छूटने की चेष्टा कर रहे थे और उन्होंने स्वयं को बचाने के लिए अपने हाथों में पकड़े कट्टों से दो अन्य पुलिस कार्मिकों पर गोली चलाई किंतु उनमें से किसी को भी गोली नहीं लगी । अन्य डकैत भागने में कामयाब हो गए किंतु ऊपर उल्लिखित तीन व्यक्तियों को पुलिस दल ने काबू कर लिया । पूछताछ करने पर उन्होंने अपने नाम (i) जीतेन्द्र गुर्जर (जिसे उप निरीक्षक हितेन्द्र सिंह राठौर द्वारा पकड़ा गया), (ii) रामसेवक (जिसे हैड कांस्टेबल सियाराम द्वारा पकड़ा गया) और (iii) रामदीन (जिसे कांस्टेबल रामअवतार बोहरे द्वारा पकड़ा गया) के रूप में बताए । जीतेन्द्र गुर्जर के कब्जे से 315 बोर का एक कट्टा, दो बिना चले कारतूसों के साथ अभिगृहीत किया गया, जो प्रदर्श पी/1 के रूप में है । डकैत रामसेवक गुर्जर के कब्जे से 315 बोर का एक कट्टा दो बिना चले कारतूसों के साथ अभिगृहीत किया गया, जो प्रदर्श पी/2 के रूप में है । इसके अतिरिक्त, डकैत रामदीन के कब्जे से 315 बोर का एक कट्टा एक बिना चले कारतूस के साथ अभिगृहीत किया गया, जो प्रदर्श पी/3 के रूप में है । तलाशी के दौरान प्लास्टिक के हत्थे वाला एक कट्टा तथा गेहूं, दाल, चावल, माचिस और ताला तथा चाबी आदि जैसे अन्य प्रावधानों को भी प्रदर्श पी/4 के माध्यम से अभिगृहीत किया गया । घटनास्थल पर ही गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किए गए तथा अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को उसके पश्चात् गिरफ्तार किया गया । जब यह प्रक्रिया जारी थी उस समय कोई व्यक्ति सहायता के लिए चिल्लाया और पुलिस दल ने उस व्यक्ति को ढूंढ़ा और उसे बरामद किया जिसने अपना नाम सुशील राठी बताया जो मुरैना का निवासी था और उसका अपहरण किया गया था वह इस मामले में पीड़ित था । उसे प्रदर्श पी/8 के माध्यम से बरामद किया

गया था और घटनास्थल से वापसी पर प्रदर्श पी/13 के माध्यम से पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । अन्वेषण के दौरान साक्षी सुशील राठी, उप निरीक्षक अखिलेश पुरी गोस्वामी, अनिल सिंह भदौरिया, रोमन सिंह नारावी, हैड कांस्टेबल भरत, कोक सिंह, शिवराम सिंह और कांस्टेबल रामअवतार बोहरे के कथनों को लेखबद्ध किया गया । उसके पश्चात् न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया गया । विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 148, 307 सपठित धारा 149 और एमपीडीवीपीके अधिनियम की धारा 11/13 के अधीन सभी अभियुक्त व्यक्तियों (कुल 12 व्यक्तियों) के विरुद्ध आरोप विरचित किए । इसके अतिरिक्त अभियुक्त जीतेन्द्र सिंह, रामदीन और रामसेवक के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1ख)(क)/27 के अधीन भी आरोप विरचित किए गए । अभियुक्त व्यक्तियों ने अपने दोषी होने से इनकार किया और विचारण की ईप्सा की । विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल छह साक्षियों की परीक्षा की गई और अभियुक्तों ने अपने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दिए गए कथन में इस प्रतिरक्षा का अभिवाक् किया कि वे निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है । विचारण न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् और साथ ही उनके विरोध में दी गई दलीलों पर भी विचार करने के पश्चात् अपीलार्थी जीतेन्द्र गुर्जर, रामदीन और रामसेवक को ऊपर यथा-निर्दिष्ट अपराधों के लिए दोषी पाया जबकि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को ऊपर निर्दिष्ट आरोपों से दोषमुक्त किया गया । इस मामले में सहअभियुक्त सुरेन्द्र और अचल सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था और वे फरार रहे । अत: सुरेन्द्र और अचल सिंह को छोड़कर अन्य 10 अभियुक्तों के संबंध में विचारण का संचालन किया गया । विचारण न्यायालय के इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय में दांडिक अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – किसी भी पुलिस कार्मिक के लिए यह आज्ञापक अध्यपेक्षा है कि वे प्राप्त हुई किसी भी सूचना के संबंध में पुलिस थाने में कोई प्रविष्टि करेंगे और उसे पुलिस थाने के रोजनामचा में लेखबद्ध करेंगे और इसीलिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के प्रारूप के प्ररूप सं. 1 में

एक खंड 3 (क) अंतर्विष्ट किया जाता है जो रोजनामचा सान्हा संख्यांक (रोजनामचा सान्हा के क्रमांक) से संबंधित होता है । इस प्रकार की कोई प्रविष्टि न तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में की गई है और न ही इस बात को उपदर्शित करने के लिए रोजनामचे को प्रस्तुत किया गया है कि जिस समय सूचना प्राप्त हुई थी उस समय पुलिस दल पुलिस थाने में मौजूद था या वह गश्त कर रहा था । अभि. सा. 4 थाना अधिकारी हितेन्द्र सिंह राठौर ने आगे यह स्वीकार किया है कि रवानगी और वापसी से संबंधित रोजनामचे में अनिवार्य रूप से प्रविष्टियों को लेखबद्ध किया जाना होता है किंतु आरोप पत्र के साथ ऐसा कोई रोजनामचा फाइल नहीं किया गया है । इस संबंध में भी संदेह है कि घटनास्थल पर पहुंचने के लिए पुलिस दल द्वारा कितने यानों का उपयोग किया गया । कोई भी साक्षी इस पूरी कार्रवाई में उपयोग किए गए यानों का रजिस्ट्रेशन नम्बर बताने में समर्थ नहीं हो सका था जबकि यह एक सामान्य जानकारी की बात है कि किसी भी पुलिस थाने में गश्त (और अन्य कार्यवाही) के लिए एक या दो ही यान उपलब्ध होते हैं और यह अत्यंत चकित कर देने वाली बात है कि कोई भी अभियोजन साक्षी (पुलिस कार्मिक) यानों का रजिस्ट्रेशन नम्बर बताने में समर्थ नहीं हो सका था । यानों के रजिस्ट्रेशन नम्बर की बात तो दूर है भिन्न-भिन्न साक्षियों द्वारा बताए गए कार्रवाई में प्रयुक्त यानों की संख्या में भी भेद है । रामअवतार (अभि. सा. 1) ने अपने कथन के पैरा 8 में इस तथ्य को निर्दिष्ट किया है कि वह एक चार पहिया यान से घटनास्थल पर पहुंचे थे किंतु उसे उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर याद नहीं है । वहीं उसने अपने कथन के पैरा 16 में यह उल्लेख किया है कि हम लोग दो यानों पर सवार होकर घटनास्थल पर पहुंचे थे जो पुलिस विभाग के शासकीय यान थे । थाना अधिकारी अभि. सा. 4 हितेन्द्र सिंह राठौर ने अपने कथन के पैरा 14 में इस बात को स्वीकार किया है कि इस कार्रवाई के दौरान केवल एक यान का उपयोग किया गया था । सियाराम धाकड़ (अभि. सा. 6) घटना के समय उक्त पुलिस थाने में हैड कांस्टेबल था और उसने अपने कथन के पैरा 8 में यह बात स्वीकार की है कि इस कार्रवाई में एक यान का उपयोग किया गया था किंतु उसे न तो यान का रजिस्ट्रेशन नम्बर याद था और न ही उसके चालक का नाम, अत: इस बात में संदेह है कि पुलिस दल पुलिस थाने से रवाना हुआ था अथवा अपनी गश्त करते समय कार्रवाई में सम्मिलित

हुआ था और यह बात भी संदेह के घेरे में है कि उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचने के लिए एक यान का उपयोग किया था अथवा दो यानों का । वर्तमान मामले में अपहृत व्यक्ति सुशील राठी (अभि. सा. 2) है और उसके द्वारा किए गए कथन के अनुसार उसे तारीख 11 फरवरी, 2009 को अपराह्न लगभग 5.00 से 5.30 बजे के दौरान अपहृत किया गया था और उपरोक्त घटना उसके अपहरण के दिवस से चार दिन पश्चात् तारीख 15 फरवरी, 2009 की रात्रि को घटित हुई थी और इसी दौरान अपहृत व्यक्ति के मोबाइल के माध्यम से अपहरणकर्ताओं ने अपहृत व्यक्ति के भाई के. एल. राठी से बातचीत की थी । इस मामले में इस बातचीत के कोई भी कॉल संबंधी ब्यौरे अन्वेषण के दौरान संबंधित सेवा-प्रदाता से प्राप्त नहीं किए गए थे जिससे आरोपों को अभिनिश्चित किया जा सके और न ही अपहृत व्यक्ति के बड़े भाई के. एल. राठी को न्यायालय में साक्षी के रूप में यह कथन करने के लिए उपस्थित किया गया कि उससे फिरौती की रकम की मांग की गई थी । विशेष रूप से तब जब स्वयं अपहृत व्यक्ति सुशील राठी ने अभियोजन की कहानी का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया है और जिसे तत्पश्चात् अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही साक्षी के रूप में घोषित किया गया है । अपहृत व्यक्ति ने अपीलार्थियों और अन्य सह-अभियुक्तों की शनाख्त नहीं की है । उसने आगे इस बात से भी इनकार किया है कि उसके बड़े भाई से 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी । उसने केवल अपने बड़े भाई से बातचीत होने के तथ्य को स्वीकार किया है और इसलिए फिरौती के आरोप को सिद्ध करने के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य अपहृत व्यक्ति के बड़े भाई का अभिसाक्ष्य हो सकता था किंतु अभियोजन पक्ष द्वारा इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपहृत व्यक्ति स्वयं पुलिस को दिए गए अपने बयान से मुकर गया है और उसने वर्तमान अपीलार्थियों के विरुद्ध अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन भी नहीं किया है । इसलिए वर्तमान अपीलार्थियों के विरुद्ध एमपीडीवीपीके अधिनियम के लागू होने के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी को स्वीकार करना कठिन है । जहां तक एमपीडीवीपीके अधिनियम की धारा 11/13 के अधीन लगाए गए आरोपों का संबंध है, अभियोजन पक्ष सुसंगत संदेह से परे अपने पक्षकथन को साबित करने में असफल रहा है । अत: इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता

कि पुलिस ने वर्तमान अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाने के लिए सुशील राठी (अभि. सा. 2) को अपहृत व्यक्ति बनाकर प्रस्तुत किया और उसका इस प्रकार दुरुपयोग किया जिससे उन्हें अपनी सेवा से संबंधित फायदे प्राप्त हों या उनके कैरियर को बढ़ावा देने वाले पदक प्राप्त हो सकें । हवलदार सियाराम (अभि. सा. 6) ने पैरा 8 में घटना के संबंध में यह कथन किया है कि डकैतों के गैंग ने उन पर गोलियां चलाई थीं और उनकी ओर से लगभग 100-200 गोलियां चलाई गई थीं । जब इतनी बड़ी संख्या में एक-दूसरे पर गोलियां चलाई गईं तो यह विश्वास करना असंभव है कि आस-पास या ग्राम में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार हुई गोला-बारी की कोई आवाज नहीं सुनी और पुलिस द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं की गई है जो कि ऐसे साक्षी के माध्यम से अभियोजन पक्षकथन को सिद्ध करना आवश्यक था । यद्यपि किसी एकल साक्षी के अभिसाक्ष्य या विभागीय साक्षियों के अभिसाक्ष्यों की इस आधार पर अनदेखी नहीं की जा सकती कि वे संख्या में अधिक थे या उनके साक्ष्य की प्रकृति दूषित है किंतु उनके अभिसाक्ष्यों की अत्यंत सावधानी से समीक्षा करनी होगी । एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू, जहां अभियोजन पक्षकथन दूषित प्रतीत होता है, पुलिस प्राधिकारियों द्वारा हथियारों का मुहरबंद करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया है । थाना अधिकारी हितेन्द्र सिंह (अभि. सा. 4) ने पैरा 21 में इस गड़बड़ी को स्वीकार किया है और इस तथ्य से अनभिज्ञता का अभिवाक् किया है कि उन देशी पिस्तौलों को उसकी जानकारी के बिना चार मास तक पुलिस थाने में रखा गया । उसे यह ज्ञात नहीं था कि उन हथियारों को कहां रखा गया । हथियारों को न तो घटनास्थल पर मुहरबंद किया गया और न ही उस समय जब पुलिस दल वापस पुलिस थाने पहुंचा । हथियारों को मुहरबंद न किए जाने के कारण यह संभावना उत्पन्न हो जाती है कि हथियारों के साथ या तो कोई छेड़खानी की गई थी या उन्हें किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर मुहरबंद किया गया था और उनका उपयोग पुलिस द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को अपराध में मिथ्या फंसाने के लिए किया गया था । उच्चतम न्यायालय ने बार-बार अपने निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त से अभिकथित रूप से बरामद किए गए शस्त्रों और गोला-बारूद को यदि पुलंदे में मुहरबंद नहीं किया जाता है तो इस साक्ष्य की अनुपस्थिति में कि अभिग्रहण के

पश्चात् शस्त्र को किस व्यक्ति द्वारा किस आयुध विशेषज्ञ के पास निरीक्षण हेतु भेजा गया था, अभियुक्त व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में संदेह का लाभ लेने के लिए हकदार है । उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि हथियारों को घटनास्थल पर मुहरबंद न किया जाना एक गंभीर दोष है क्योंकि ऐसे मामलों में हथियारों से छेड़छाड़ किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इसलिए विशेषज्ञ की इस प्रभाव की रिपोर्ट कि रिवाल्वर ठीक था और उससे गोली चलाई जा सकती थी, महत्व खो देती है क्योंकि निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि बरामदगी के समय हथियार की दशा कैसी थी और वहीं विशेषज्ञ ने भी यह राय उस समय व्यक्त की है कि उसने हथियार की जांच गोली चलाकर नहीं की थी । वर्तमान मामले में यह दोष संपूर्ण मामले को दूषित करता है क्योंकि अन्वेषण अधिकारी/परिवादी/थाना अधिकारी ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है । साक्षी रामअवतार (अभि. सा. 1) ने पैरा 12 में यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर बरामद किए गए हथियारों पर कोई मुहर नहीं लगाई गई थी । एक अन्य पहलू पर भी विचार किया जाना आवश्यक है कि पुलिस दल के किसी भी सदस्य को कोई क्षति नहीं पहुंची है और जब स्वयं घटना संदिग्ध हो और ऊपर की गई चर्चा के अनुसार पूरे मामले में गंभीर दोष हों तब अभियोजन दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध का आरोप साबित करने में असमर्थ रहता है । अन्यथा भी वर्तमान तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जब घटना संदिग्ध है तो दंड संहिता की धारा 147, 148 और 149 के उपबंध मामले को लागू नहीं होते हैं । विधिविरुद्ध जमाव का अपराध गठित करने के लिए उसमें पांच या अधिक व्यक्ति सम्मिलित होने चाहिए और यहां केवल तीन व्यक्तियों को सिद्धदोष ठहराया गया है और शेष अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है । अत: दंड संहिता की धारा 147 में यथापरिभाषित न तो दंगा हुआ और न ही अपीलार्थियों ने विधिविरुद्ध जमाव किया । इसलिए अभियोजन पक्षकथन में इस पहलू के संबंध में भी कोई गुणता नहीं है । परिवादी थाना अधिकारी हितेन्द्र सिंह (अभि. सा. 4) ने पैरा 8 में यह स्वीकार किया है कि अभिग्रहण या अभिगृहीत की गई मदों (अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी/4 के द्वारा) को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किए गए ताला और चाबी बिल्कुल नए थे

और उन्हें एक बार भी प्रयुक्त नहीं किया गया था, इसलिए यह बात भी संदेह उत्पन्न करती है कि जब पुलिस दल को रात्रि लगभग 9.00 बजे अपनी गश्त करते समय डकैतों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी तो उन्होंने किस प्रकार नया ताला और चाबी उपाप्त किए, इस प्रश्न के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और शायद वे यह स्पष्टीकरण इसलिए नहीं दे सके कि ऐसी किसी घटना को कहानी में, जो कभी घटित नहीं हुई थी या कम से कम उस रीति में तो घटित नहीं हुई थी जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, कोई न कोई दोष आ ही जाता है । जब अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा स्वीकार किए गए साक्ष्यों के इन सभी छोटे-छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक नया आकार प्रदान किया जाता है तो अपीलार्थियों की निर्दोषिता दोपहर के सूर्य की तरह सामने आ जाती है और इस संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता कि अपीलार्थियों को इस अपराध में मिथ्या फंसाया गया था । वस्तुत:, अपहृत व्यक्ति के बड़े भाई डाक्टर के. एल. राठी (अभि. सा. 2) द्वारा न तो तारीख 11 फरवरी, 2009 को या उसके पश्चात् अपने भाई के अपहरण और उसके बदले फिरौती के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज की गई है और न ही अपहृत व्यक्ति ने वर्तमान अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया है । अत: इस मामले में केवल दो ही संभावनाएं प्रतीत होती हैं ; पहली यह कि अपहृत व्यक्ति और उसके कुटुंब के सदस्यों ने असली अपराधियों को फिरौती का संदाय कर दिया था और असली अपराधी फिरौती लेकर फरार हो गए थे और दूसरी संभावना यह है कि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई थी और पुलिस ने अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध या तो अपना कोई पुराना बदला लेने या कोई पुरस्कार, पदक या बिना पारी के प्रोन्नति प्राप्त करने के लिए पूरा मामला मिथ्या रूप से विरचित किया है । इस न्यायालय की सुविचारित राय में अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे अपने पक्षकथन को साबित करने में पूरी तरह असमर्थ रहा है और इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी न केवल संदेह के आधार पर सभी आरोपों से दोषमुक्त किए जाने के हकदार हैं अपितु उनकी दोषमुक्ति स्पष्ट आधार पर होनी चाहिए क्योंकि अभियोजन की पूरी कहानी आरंभ से ही दूषित प्रतीत होती है । (पैरा 17, 18, 23, 25, 27, 29, 30, 31 और 32)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1998] 1998 एस. सी. सी. (क्रि.) 568 :
नंद किशोर बनाम **हरियाणा राज्य** ; 11

[1997] 1997 एस. सी. सी. (क्रि.) 315 =
ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 2417 =
1997 क्रिमिनल ला जर्नल 2978 (एस. सी.) =
1997 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2330 :
साहिब सिंह बनाम **पंजाब राज्य** ; 27

[1995] 1995 एस. सी. सी. (क्रि.) 810 :
कुलदीप सिंह बनाम **पंजाब राज्य** ; 27

[1995] 1995 एस. सी. सी. (क्रि.) 828 :
अमर जीत सिंह बनाम **पंजाब राज्य** । 27

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 5771. (साथ ही 2015 की दांडिक अपील सं. 5845 की भी सुनवाई की गई)

वर्ष 2015 के सेशन विचारण मामला सं. 44 में विद्वान् विशेष सेशन न्यायाधीश, मुरैना द्वारा पारित तारीख 10 नवंबर, 2017 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध अपीलें ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री विनय कुमार और ए. के. जैन

प्रत्यर्थी की ओर से श्री रविन्द्र शर्मा, लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति आनंद पाठक – वर्ष 2015 के सेशन विचारण मामला सं. 44 में विशेष न्यायाधीश, मुरैना द्वारा पारित तारीख 10 नवंबर, 2017 के निर्णय से ही उद्भूत समान तथ्यों वाली वर्ष 2017 की दांडिक अपील सं. 5845 के तथ्यों को सुविधा के लिए यहां उल्लिखित किया गया है ।

2. ये दोनों अपीलें विशेष न्यायाधीश, मुरैना द्वारा वर्ष 2015 के सेशन विचारण मामला सं. 44 में तारीख 10 नवंबर, 2017 को पारित

निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई हैं जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् दंड संहिता कहा गया है) की धारा 148, 307/149 सपठित मध्य प्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (जिसे इसमें इसके पश्चात् एमपीडीवीपीके अधिनियम कहा गया है) की धारा 11/13 और आयुध अधिनियम की धारा 25(1ख)(क)/27 के अनुसार सिद्धदोष ठहराया गया है और क्रमश: दो वर्ष के कठोर कारावास, 1,000/- रुपए के जुर्माने सहित, सात वर्ष के कठोर कारावास, 5,000/- रुपए के जुर्माने सहित तथा तीन वर्ष के कठोर कारावास, 1,000/- रुपए के जुर्माने सहित, व्यतिक्रम अनुबंध के साथ दंडादिष्ट किया गया ।

3. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार परिवादी/उप निरीक्षक हितेन्द्र सिंह राठौर, पुलिस थाना सरायछोला, जिला मुरैना को तारीख 15 फरवरी, 2009 को अपनी गश्त करते समय यह सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात डकैत राजेन्द्र गुर्जर ने अपने साथियों, अर्थात् समोखन, जीतेन्द्र, सुरेन्द्र, रामदीन, रामसेवक, राणाजीत, कुमार गुर्जर, मच्छल सिंह, करवा और हरवीर आदि के साथ चंबल स्थित नदुआपुरा बीहड़ में किसी एक व्यक्ति का अपहरण किया है और उसे जंजीर से बांधकर रखा हुआ है इस सूचना के प्राप्त होने पर परिवादी पुलिस पैट्रोल दल के अन्य 10 सदस्यों (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार कुल 11 व्यक्ति) घटनास्थल पर पहुंचे और वहां वे अपराधियों को पकड़ने के लिए दो दलों में विभक्त हो गए । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु के अनुसार दल सं. 1 में परिवादी हितेन्द्र सिंह, पी. एस. आई. अनिल भदौरिया, हैड कांस्टेबल सियाराम धाकड़, हैड कांस्टेबल भरत सिंह, कांस्टेबल रामअवतार बोहरे, कांस्टेबल विशंभर सम्मिलित थे जबकि दल सं. 2 में उप निरीक्षक अखिलेश पुरी गोस्वामी की कमान के अधीन पी. एस. आई. नरावी, हैड कांस्टेबल शिवराम, कांस्टेबल कोक सिंह और रामअवतार सिंह सम्मिलित थे । पुलिस दल को दो दलों में विभक्त करने के पश्चात् परिवादी ने दोनों दलों के सदस्यों को संक्षेप में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में बताया जिसमें दल सं. 2 को यह निदेश दिया गया कि वे डकैतों की पूर्वी दिशा की ओर से घेराबंदी करें जबकि दल सं. 1 पश्चिमी दिशा से डकैतों की ओर बढ़ा । उनके पास विशेष प्रकार की सर्च-लाइट थी जिसके

माध्यम से दल सं. 1 ने एक डकैत को देखा जो कुछ दूरी पर अपने हाथ में राइफल लिए टीले के पीछे खड़ा होकर किसी आने-जाने वाले से अपने दल की सुरक्षा कर रहा था । उसके पश्चात् पुलिस दल ने उसे ललकारा और उसे उसकी पहचान बताने के लिए कहा तथा उससे बीहड़ में उसकी उपस्थिति का कारण भी पूछा ।

4. उसके उत्तर में वह अपने मुखिया राजेन्द्र, बंटी, जीतेन्द्र, समोखन आदि का नाम लेते हुए जोर से चिल्लाया कि पुलिस पहुंच गई है और उसने उनसे पुलिस पर गोली चलाने के लिए कहा । उसके पश्चात् डकैतों ने अंधाधुंध पुलिस दल पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया जिससे पुलिस कार्मिकों का जीवन खतरे में आ गया । परिवादी ने वायरलेस सैट के माध्यम से दल सं. 2 से संपर्क किया और उन्हें डकैतों की दिशा में आगे बढ़ने का निदेश दिया । उसने डकैतों को भी पुलिस के समक्ष समर्पण करने का निदेश दिया किंतु उसके उत्तर में डकैतों ने पुलिस पर पुन: अंधाधुंध गोलियां चलाईं और वे उनकी दिशा में आगे बढ़ने लगे । हैड कांस्टेबल सियाराम धाकड़ और रामअवतार ने तीन डकैतों को दबोच लिया जो उनकी पकड़ से छूटने की चेष्टा कर रहे थे और उन्होंने स्वयं को बचाने के लिए अपने हाथों में पकड़े कट्टों से दो अन्य पुलिस कार्मिकों पर गोली चलाई किंतु उनमें से किसी को भी गोली नहीं लगी । अन्य डकैत भागने में कामयाब हो गए किंतु ऊपर उल्लिखित तीन व्यक्तियों को पुलिस दल ने काबू कर लिया । पूछताछ करने पर उन्होंने अपने नाम (i) जीतेन्द्र गुर्जर (जिसे उप निरीक्षक हितेन्द्र सिंह राठौर द्वारा पकड़ा गया), (ii) रामसेवक (जिसे हैड कांस्टेबल सियाराम द्वारा पकड़ा गया) और (iii) रामदीन (जिसे कांस्टेबल रामअवतार बोहरे द्वारा पकड़ा गया) के रूप में बताए ।

5. जीतेन्द्र गुर्जर के कब्जे से 315 बोर का एक कट्टा, दो बिना चले कारतूसों के साथ अभिगृहीत किया गया, जो प्रदर्श पी/1 के रूप में है । डकैत रामसेवक गुर्जर के कब्जे से 315 बोर का एक कट्टा दो बिना चले कारतूसों के साथ अभिगृहीत किया गया, जो प्रदर्श पी/2 के रूप में है । इसके अतिरिक्त, डकैत रामदीन के कब्जे से 315 बोर का एक कट्टा एक बिना चले कारतूस के साथ अभिगृहीत किया गया, जो प्रदर्श पी/3 के रूप में है । तलाशी के दौरान प्लास्टिक के हत्थे वाला एक कट्टा तथा गेहूं,

दाल, चावल, माचिस और ताला तथा चाबी आदि जैसे अन्य प्रावधानों को भी प्रदर्श पी/4 के माध्यम से अभिगृहीत किया गया । घटनास्थल पर ही गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किए गए तथा अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को उसके पश्चात् गिरफ्तार किया गया ।

6. जब यह प्रक्रिया जारी थी उस समय कोई व्यक्ति सहायता के लिए चिल्लाया और पुलिस दल ने उस व्यक्ति को ढूंढ़ा और उसे बरामद किया जिसने अपना नाम सुशील राठी बताया जो मुरैना का निवासी था और उसका अपहरण किया गया था वह इस मामले में पीड़ित था । उसे प्रदर्श पी/8 के माध्यम से बरामद किया गया था और घटनास्थल से वापसी पर प्रदर्श पी/13 के माध्यम से पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । अन्वेषण के दौरान साक्षी सुशील राठी, उप निरीक्षक अखिलेश पुरी गोस्वामी, अनिल सिंह भदौरिया, रोमन सिंह नारावी, हैड कांस्टेबल भरत, कोक सिंह, शिवराम सिंह और कांस्टेबल रामअवतार बोहरे के कथनों को लेखबद्ध किया गया । उसके पश्चात् न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया गया ।

7. विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 148, 307 सपठित धारा 149 और एमपीडीवीपीके अधिनियम की धारा 11/13 के अधीन सभी अभियुक्तों (कुल 12 व्यक्तियों) के विरुद्ध आरोप विरचित किए । इसके अतिरिक्त अभियुक्त जीतेन्द्र सिंह, रामदीन और रामसेवक के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1ख)(क)/27 के अधीन भी आरोप विरचित किए गए ।

8. अभियुक्तों ने अपने दोषी होने से इनकार किया और विचारण की ईप्सा की । विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल छह साक्षियों की परीक्षा की गई और अभियुक्तों ने अपने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दिए गए कथन में इस प्रतिरक्षा का अभिवाक् किया कि वे निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है ।

9. विचारण न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् और साथ ही उनके विरोध में दी गई दलीलों पर भी विचार करने के पश्चात् अपीलार्थी जीतेन्द्र गुर्जर, रामदीन और

रामसेवक को ऊपर यथा-निर्दिष्ट अपराधों के लिए दोषी पाया जबकि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को ऊपर निर्दिष्ट आरोपों से दोषमुक्त किया गया । इस मामले में सहअभियुक्त सुरेन्द्र और अचल सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था और वे फरार रहे । अत: सुरेन्द्र और अचल सिंह को छोड़कर अन्य 10 अभियुक्तों के संबंध में विचारण का संचालन किया गया । अभियुक्तों/अपीलार्थियों ने अपनी दोषसिद्धि/दंडादेश के निर्णय के विरुद्ध ये अपीलें फाइल की हैं ।

10. अपीलार्थियों, अर्थात् रामदीन और रामसेवक की ओर से 2017 की दांडिक अपील सं. 5845 में श्री ए. के. जैन, विद्वान् काउंसेल न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तथा श्री विनय कुमार, अधिवक्ता विधिक सहायता विभाग के माध्यम से अभियुक्त जीतेन्द्र सिंह की ओर से न्यायालय में उपस्थित हुए । 2017 की दांडिक अपील सं. 5845 में श्री जैन ने अपने तर्कों को न्यायालय के समक्ष रखा और श्री विनय कुमार ने वर्ष 2017 की दांडिक अपील सं. 5717 में सम्यक्त: उन तर्कों को अनुपूरित किया ।

11. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराकर तथा उन्हें कारावास का दंडादेश देकर त्रुटि की है क्योंकि हथियारों को घटनास्थल पर मुहरबंद नहीं किया गया था और यदि हथियारों को घटनास्थल पर मुहरबंद नहीं किया जाता है तो इससे यह उपधारणा बनती है कि उन्हें उसके पश्चात् किसी समय मुहरबंद किया गया था और अपीलार्थियों को फंसाने के लिए उनसे संबंधित दस्तावेजों को तैयार किया गया था । अभियोजन पक्ष की ओर से यह एक सारवान् लोप है कि हथियारों को वहीं घटनास्थल पर मुहरबंद नहीं किया गया । इससे यह संभावना उत्पन्न होती है कि अपीलार्थियों को फंसाने हेतु किसी पश्चात्वर्ती समय पर हथियारों को साक्ष्य के रूप में जोड़ा गया था । यह और दलील दी गई है कि शस्त्रों के अभिग्रहण से संबंधित कोई अभिलेख साक्ष्य में नहीं आया है और साथ ही साक्ष्य में कहीं भी यह दर्शित नहीं किया गया है कि शस्त्रों को समुचित रूप से मुहरबंद करके मालखाने में जमा किया गया था । विद्वान् काउंसेल ने अपनी दलील के समर्थन में अभि. सा. 1

रामअवतार और अभि. सा. 4 हितेन्द्र सिंह के अभिसाक्ष्य को निर्दिष्ट किया है जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है कि हथियारों को समुचित रूप से मुहरबंद नहीं किया गया था । इस संबंध में विद्वान् काउंसेल ने **नंद किशोर** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया है ।

12. यह भी दलील दी गई है कि घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को अभियुक्तों द्वारा अभिकथित रूप से अंधाधुंध गोली चलाए जाने के बावजूद भी कोई शारीरिक क्षति नहीं पहुंची है । अत: अभियोजन पक्षकथन के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है । इसी प्रकार, अभियोजन इस बात को सिद्ध नहीं कर सका कि अभिगृहीत हथियारों का प्रयोग अपराध करने के लिए किया गया था या नहीं । उन्होंने अभि. सा. 3 शस्त्रकार के अभिसाक्ष्य को अपनी दलील के समर्थन में निर्दिष्ट किया है । अपीलार्थियों ने पहले ही अभिरक्षा में पर्याप्त समय व्यतीत कर लिया है । इसलिए उन्होंने अपीलार्थियों को दोषमुक्त करने का अनुरोध किया क्योंकि उनके अनुसार अभियोजन पक्षकथन गंभीर विलोपनों, विरोधाभासों से ग्रस्त है और स्पष्ट रूप से एक ऐसा मामला है जिसमें पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पुलिस ने अपीलार्थियों को मिथ्या फंसाया है ।

13. दूसरी ओर विद्वान् लोक अभियोजक ने इस अनुरोध का विरोध किया और आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया । उन्होंने शस्त्रकार की रिपोर्ट, जो प्रदर्श पी/15 से पी/17 पर है, के खंड 12 को निर्दिष्ट किया जिसमें यह कथन किया गया है कि उसे हथियार मुहरबंद स्थिति में प्राप्त हुए थे । इसके अतिरिक्त, उन्होंने संपत्ति अभिग्रहण ज्ञापन के खंड 12 का भी संदर्भ दिया जिसमें कट्टों को क्रमश: प्रदर्श पी/1, पी/2 और प्रदर्श पी/3 के द्वारा अभिगृहीत किया गया है और यह दलील दी कि घटनास्थल पर हथियारों को मुहरबंद करने का सामान उपलब्ध नहीं था, अत: जंगल में मुहर लगाना संभव नहीं था । साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन तैयार किए गए थे और उसके पश्चात् हथियारों को पुलिस थाने में मुहरबंद किया गया था । हितेन्द्र सिंह राठौर (अभि. सा. 4) ने

---

[1] 1998 एस. सी. सी. (क्रि.) 568.

न्यायालय के समक्ष किए गए अपने कथन में इसी संभावना के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है और इस संबंध में उसने पूरी स्थिति को स्पष्ट किया है । इसलिए दोनों अपीलों को खारिज किया जाना चाहिए ।

14. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया ।

15. यह एक ऐसा मामला है जिसे एमपीडीवीपीके अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा सुना गया है और इस अधिनियम को इसके अंतर्गत आने वाले जिलों की विनिर्दिष्ट सामाजिक-आर्थिक और विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया है । इन जिलों में स्थित चंबल के बीहड़ों में किसी समय डकैती, चौरी या अपहरण के मामले बहुतायत में होते थे और आपराधिक दुनिया में चंबल के बीहड़ों नाम का डंका बजता था और इन घटनाओं में हत्या और हत्या के प्रयास भी सम्मिलित होते थे । यह लोक-साहित्य और अभिलेखों, दोनों का भाग है और पूर्वकाल में किसी समय ये कड़े उपबंध विरोधी पक्षों को फंसाने के लिए या पुलिस द्वारा अपना बदला लेने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे । इस एमपीडीवीपीके अधिनियम का उपयोग पुलिस कार्मिकों द्वारा स्वेच्छया (सदैव नहीं अपितु अनेक बार) पुरस्कार, पदक और बिना बारी के प्रोन्नति पाने के लिए किया गया है । अत: ऊपर निर्दिष्ट इस कड़वी सच्चाई को इस विशेष अधिनियम, अर्थात् एमपीडीवीपीके अधिनियम की परिधि के अंतर्गत आने वाले मामलों और उनके तथ्यात्मक ब्यौरों पर विचार करते समय ध्यान में रखना होगा ।

16. वर्तमान मामले में रामअवतार बोहरे, पुलिस कांस्टेबल (सेवानिवृत्त) अभि. सा. 1 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ और उसने अपनी मुख्य परीक्षा में इस घटना का वर्णन किया जिसके आरंभ में उसने यह कथन किया कि वह तारीख 15 फरवरी, 2009 को पुलिस थाना सरायछोला में कांस्टेबल के पद पर तैनात था जब उसके थाना अधिकारी हितेन्द्र सिंह राठौर (अभि. सा. 4) को अपने सूचना देने वाले किसी स्रोत से यह सूचना प्राप्त हुई कि नदुआपुरा के चंबल के बीहड़ों में डकैतों की गतिविधियां देखी गई हैं । अपने थाना अधिकारी और मुख्य परीक्षा के पैरा 1 में यथानिर्दिष्ट अन्य पुलिस कार्मिकों के

साथ वह घटनास्थल की ओर गया । इस तथ्य से यह दर्शित होता है कि सूचना प्राप्त होने के समय वह पुलिस थाने में मौजूद था । यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसके कथन को अवश्य ही पुलिस द्वारा लेखबद्ध किया गया होगा क्योंकि विचारण न्यायालय के निर्णय में उसके संबंध में प्रतिनिर्देश किया गया है किंतु उसे साक्ष्यों में प्रदर्श के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है । दूसरी ओर थाना प्रभारी अभि. सा. 4 हितेन्द्र सिंह राठौर ने अपनी शिकायत (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, जो प्रदर्श पी/13 के रूप में है) में इस तथ्य को निर्दिष्ट किया है कि उसे अपने सूचना देने वाले व्यक्ति से इस संबंध में सूचना उस समय प्राप्त हुई थी जब वह अपने क्षेत्र में गश्त कर रहा था । इस साक्षी अर्थात् हितेन्द्र सिंह राठौर (अभि. सा. 4) ने न्यायालय के समक्ष किए गए अपने कथन में भी इस बात को दोहराया है । ये दोनों साक्षी (सुसंगत समय पर) पुलिस विभाग के सदस्य थे और वे दोनों ही इस प्रकार की घटनाओं से सुपरिचित हैं और इसलिए उनसे इस प्रकार का लोप किए जाने की आशा नहीं की जा सकती कि उनके द्वारा इस प्रकार की सूचना प्राप्त किए जाने से संबंधित दो प्रकार के कथन सामने आए । एक अभि. सा. 1 के अनुसार सूचना प्राप्त होने के समय वे पुलिस थाने में मौजूद थे जबकि दूसरे साक्षी अर्थात् अभि. सा. 4 के अनुसार सूचना प्राप्त होने के समय वे गश्त कर रहे थे । अत: इस मामले का आरंभ ही संदेह से होता है ।

17. किसी भी पुलिस कार्मिक के लिए यह आज्ञापक अध्यपेक्षा है कि वे प्राप्त हुई किसी भी सूचना के संबंध में पुलिस थाने में कोई प्रविष्टि करेंगे और उसे पुलिस थाने के रोजनामचा में लेखबद्ध करेंगे और इसीलिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के प्रारूप के प्ररूप सं. 1 में एक खंड 3(क) अंतर्विष्ट किया जाता है जो रोजनामचा सान्हा संख्यांक (रोजनामचा सान्हा के क्रमांक) से संबंधित होता है । इस प्रकार की कोई प्रविष्टि न तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में की गई है और न ही इस बात को उपदर्शित करने के लिए रोजनामचे को प्रस्तुत किया गया है कि जिस समय सूचना प्राप्त हुई थी उस समय पुलिस दल पुलिस थाने में मौजूद था या वह गश्त कर रहा था । अभि. सा. 4 थाना अधिकारी हितेन्द्र सिंह राठौर ने

आगे यह स्वीकार किया है कि रवानगी और वापसी से संबंधित रोजनामचे में अनिवार्य रूप से प्रविष्टियों को लेखबद्ध किया जाना होता है किंतु आरोप पत्र के साथ ऐसा कोई रोजनामचा फाइल नहीं किया गया है ।

18. इस संबंध में भी संदेह है कि घटनास्थल पर पहुंचने के लिए पुलिस दल द्वारा कितने यानों का उपयोग किया गया । कोई भी साक्षी इस पूरी कार्रवाई में उपयोग किए गए यानों का रजिस्ट्रेशन नम्बर बताने में समर्थ नहीं हो सका था जबकि यह एक सामान्य जानकारी की बात है कि किसी भी पुलिस थाने में गश्त और अन्य कार्यवाही के लिए एक या दो ही यान उपलब्ध होते हैं और यह अत्यंत चकित कर देने वाली बात है कि कोई भी अभियोजन साक्षी (पुलिस कार्मिक) यानों का रजिस्ट्रेशन नम्बर बताने में समर्थ नहीं हो सका था । यानों के रजिस्ट्रेशन नम्बर की बात तो दूर है भिन्न-भिन्न साक्षियों द्वारा बताए गए कार्रवाई में प्रयुक्त यानों की संख्या में भी भेद है । रामअवतार (अभि. सा. 1) ने अपने कथन के पैरा 8 में इस तथ्य को निर्दिष्ट किया है कि वह चार पहिया यान से घटनास्थल पर पहुंचे थे किंतु उसे उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर याद नहीं है । वहीं उसने अपने कथन के पैरा 16 में यह उल्लेख किया है कि हम लोग दो यानों पर सवार होकर घटनास्थल पर पहुंचे थे जो पुलिस विभाग के शासकीय यान थे । थाना अधिकारी अभि. सा. 4 हितेन्द्र सिंह राठौर ने अपने कथन के पैरा 14 में इस बात को स्वीकार किया है कि इस कार्रवाई के दौरान केवल एक यान का उपयोग किया गया था । सियाराम धाकड़ (अभि. सा. 6) घटना के समय उक्त पुलिस थाने में हैड कांस्टेबल था और उसने अपने कथन के पैरा 8 में यह बात स्वीकार की है कि इस कार्रवाई में एक यान का उपयोग किया गया था किंतु उसे न तो यान का रजिस्ट्रेशन नम्बर याद था और न ही उसके चालक का नाम, अत: इस बात में संदेह है कि पुलिस दल पुलिस थाने से रवाना हुआ था अथवा अपनी गश्त करते समय कार्रवाई में सम्मिलित हुआ था और यह बात भी संदेह के घेरे में है कि उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचने के लिए एक यान का उपयोग किया था अथवा दो यानों का ।

19. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी/13 की अंतर्वस्तु के अनुसार इस कार्रवाई को आरंभ करने के समय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है किंतु इस कार्रवाई के अगुवा हितेन्द्र सिंह राठौर (अभि. सा. 4) ने न्यायालय में दिए गए अपने कथन में इस तथ्य को निर्दिष्ट किया है कि रात्रि लगभग 9.00 बजे उसे उसके सूचना देने वाले व्यक्ति से डकैतों की गतिविधियों और उनके द्वारा एक व्यक्ति का अपहरण किए जाने, जो जंजीरों से बंधा था, के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी । इसके पश्चात् इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और उसके पश्चात् वे पुलिस थाने वापस आए तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट देर रात्रि 2.00 बजे के आस-पास लेखबद्ध की गई थी किंतु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उसे लिखने का समय देर रात्रि अर्थात् 1.40 निर्दिष्ट किया गया है जिसमें अंक 4 के ऊपर बार-बार लिखा गया है और उसने इस प्रकार ऊपर लिखे जाने के तथ्य को स्वीकार भी किया है । इसके अतिरिक्त पैरा 18 में उसने यह स्वीकार किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट देर रात्रि लगभग 2.00 बजे लिखी गई थी । कांस्टेबल रामअवतार (अभि. सा. 1) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 9 में यह स्वीकार किया है कि वे रात्रि लगभग 11.15 बजे पुलिस थाना सरायछोला से घटनास्थल की ओर रवाना हुए थे और वे 11.30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे थे और कार्रवाई खत्म करने के पश्चात् वे रात्रि लगभग 1.00 बजे पुलिस थाना वापस पहुंचे थे । उसने पैरा 8 में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पुलिस थाना और घटनास्थल के बीच की दूरी लगभग 8.9 किलोमीटर है । वह इस कार्रवाई को अंजाम देने वाले पुलिस दल का सदस्य था और आरंभ से ही वह इस तथ्य पर अडिग रहा कि उन्होंने यह कार्यवाही पुलिस थाने से आरंभ की थी, जो तथ्य थाना अधिकारी हितेन्द्र सिंह राठौर (अभि. सा. 4) द्वारा किए गए कथन से विपरीत है ।

20. दल के एक अन्य सदस्य सियाराम धाकड़ (अभि. सा. 6) ने पैरा 6 में इस तथ्य को निर्दिष्ट किया है कि पुलिस थाने के थाना अधिकारी को रात्रि लगभग 10.00 बजे सूचना प्राप्त हुई थी और वे रात्रि लगभग 11.00 बजे घटनास्थल पर पहुंचे थे । उसने इस तथ्य को अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 9 में आगे भी स्पष्ट किया कि उन्हें बीहड़ में

लगभग 6-7 किलोमीटर की यात्रा की थी जिसमें उन्हें डेढ़ घंटा लगा था और यह यात्रा उन्होंने पैदल की थी क्योंकि उन्होंने अपने सरकारी वाहन नायकपुरा ग्राम में छोड़ने पड़े थे । उसने पैरा 7 में यह तथ्य निर्दिष्ट किया कि घटनास्थल नदुआपुरा ग्राम से लगभग 100-200 फुट दूर था । अपनी प्रतिपरीक्षा (अभियुक्तों में से एक की ओर से ली गई) के पैरा 6 में उसने इस तथ्य को निर्दिष्ट किया कि उसे यह स्मरण नहीं था कि उन्होंने घटनास्थल तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय की थी और उन्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगा था । इस साक्षी का कथन रामअवतार (अभि. सा. 1) और हितेन्द्र सिंह (अभि. सा. 4) द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यात्मक ब्यौरों से मेल नहीं खाता । सभी पुलिस कार्मिकों ने तथ्यों को भिन्न-भिन्न रूप में निर्दिष्ट किया है ।

21. जहां तक उस समूह, जिसने अपहृत व्यक्तियों को बचाने का कार्य किया था, में सम्मिलित सदस्यों की संख्या का प्रश्न है, वह भी संदेहास्पद है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु के अनुसार एक दल हितेन्द्र सिंह (अभि. सा. 4) की कमान के अधीन कार्यवाही कर रहा था जिसके संबंध में यह निर्दिष्ट किया गया है कि उसमें घटनास्थल पर कार्यवाही करने हेतु छह सदस्य सम्मिलित थे । हितेन्द्र सिंह (अभि. सा. 4), पुलिस उप निरीक्षक अनिल सिंह भदोरिया, सियाराम, भरत सिंह, राम-अवतार और विशम्भर सहित दल सं. 1 में कुल छह व्यक्ति सम्मिलित थे और दल सं. 2 उप निरीक्षक अखिलेश पुरी गोस्वामी की कमान के अधीन कार्यवाही कर रहा था जिसमें पुलिस उप निरीक्षक डी. एस. नरावी, हवलदार कोक सिंह, शिवराम और कांस्टेबल रामअवतार सहित कुल पांच व्यक्ति सम्मिलित थे । अत: प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु के अनुसार अपहृत व्यक्तियों को छुड़ाने के लिए दो पुलिस दलों का गठन किया गया था जिनमें कुल 11 सदस्य सम्मिलित थे । रामअवतार (अभि. सा. 1) ने पैरा 16 में इस तथ्य को निर्दिष्ट किया है कि इस कार्यवाही के दौरान पुलिस बल में 5-7 या 8 व्यक्ति सम्मिलित थे । हितेन्द्र सिंह (अभि. सा. 4) ने यह कथन (अपनी मुख्य परीक्षा और साथ ही प्रतिपरीक्षा में भी) किया है कि इस कार्रवाई में 11 सदस्य सम्मिलित हुए थे, जबकि सियाराम धाकड़ (अभि. सा. 6) ने अपने

अभिसाक्ष्य में पैरा 8 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि घटना के समय पुलिस दल में कुल 8 व्यक्ति सम्मिलित थे । यह संख्या से संबंधित विरोधाभास ऊपर निर्दिष्ट किए गए अनेक अन्य लोपों के साथ ध्यान में रखना होगा । अनेक अन्य लोपों और विरोधाभासों को अभी आगे भी निर्दिष्ट किया जाना है ।

22. इस बात का उल्लेख करना दिलचस्प है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में हितेन्द्र सिंह (अभि. सा. 4), जो परिवादी भी है, ने विशम्भर को अपने दल का सदस्य बताया है किंतु न्यायालय के समक्ष किए गए कथन में उसने यह निर्दिष्ट किया है कि विशम्भर दल सं. 2 में सम्मिलित था । ऐसा ही साक्षी सियाराम की दशा में भी है क्योंकि धारा 161 के अधीन पुलिस को दिए गए अपने बयान में जो प्रदर्श डी/1 के रूप में है, उसने विशम्भर को दल सं. 1 का सदस्य बताया है किंतु न्यायालय के समक्ष किए गए अपने कथन में उसने अपनी मुख्य परीक्षा में ही विशम्भर को दल सं. 2 में सम्मिलित बताया है ।

23. वर्तमान मामले में अपहृत व्यक्ति सुशील राठी (अभि. सा. 2) है और उसके द्वारा किए गए कथन के अनुसार उसे तारीख 11 फरवरी, 2009 को अपराह्न लगभग 5.00 से 5.30 बजे के दौरान अपहृत किया गया था और उपरोक्त घटना उसके अपहरण के दिवस से चार दिन पश्चात् तारीख 15 फरवरी, 2009 की रात्रि को घटित हुई थी और इसी दौरान अपहृत व्यक्ति के मोबाइल के माध्यम से अपहरणकर्ताओं ने अपहृत व्यक्ति के भाई के. एल. राठी से बातचीत की थी । इस मामले में इस बातचीत के कोई भी कॉल संबंधी ब्यौरे अन्वेषण के दौरान संबंधित सेवा-प्रदाता से प्राप्त नहीं किए गए थे जिससे आरोपों को अभिनिश्चित किया जा सके और न ही अपहृत व्यक्ति के बड़े भाई के. एल. राठी को न्यायालय में साक्षी के रूप में यह कथन करने के लिए उपस्थित किया गया कि उससे फिरौती की रकम की मांग की गई थी । विशेष रूप से तब जब स्वयं अपहृत व्यक्ति सुशील राठी ने अभियोजन की कहानी का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया है और जिसे तत्पश्चात् अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही साक्षी के रूप में घोषित किया गया है । अपहृत व्यक्ति ने अपीलार्थियों और अन्य सह-अभियुक्तों की शनाख्त

नहीं की है । उसने आगे इस बात से भी इनकार किया है कि उसके बड़े भाई से 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी । उसने केवल अपने बड़े भाई से बातचीत होने के तथ्य को स्वीकार किया है और इसलिए फिरौती के आरोप को सिद्ध करने के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य अपहृत व्यक्ति के बड़े भाई का अभिसाक्ष्य हो सकता था किंतु अभियोजन पक्ष द्वारा इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपहृत व्यक्ति स्वयं पुलिस को दिए गए अपने बयान से मुकर गया है और उसने वर्तमान अपीलार्थियों के विरुद्ध अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन भी नहीं किया है । इसलिए वर्तमान अपीलार्थियों के विरुद्ध एमपीडीवीपीके अधिनियम के लागू होने के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी को स्वीकार करना कठिन है । जहां तक एमपीडीवीपीके अधिनियम की धारा 11/13 के अधीन लगाए गए आरोपों का संबंध है, अभियोजन पक्ष सुसंगत संदेह से परे अपने पक्षकथन को साबित करने में असफल रहा है । अत: इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस ने वर्तमान अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाने के लिए सुशील राठी (अभि. सा. 2) को अपहृत व्यक्ति बनाकर प्रस्तुत किया और उसका इस प्रकार दुरुपयोग किया जिससे उन्हें अपनी सेवा से संबंधित फायदे प्राप्त हों या उनके कैरियर को बढ़ावा देने वाले पदक प्राप्त हो सकें ।

24. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु के अनुसार यह प्रतीत होता है कि थाना अधिकारी को इस बात की जानकारी थी कि राजेन्द्र गुर्जर एक डकैत है और उसका गैंग परिवादी के क्षेत्र में मौजूद था किंतु राजेन्द्र सिंह गुर्जर या अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की पृष्ठभूमि से संबंधित कोई आपराधिक अभिलेख न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं जिनसे यह तथ्य स्थापित हो सके कि राजेन्द्र सिंह गुर्जर एक डकैत था और उसका गैंग जिसमें वर्तमान अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त, सदस्यों के रूप में सम्मिलित थे, परिवादी के क्षेत्र में गतिविधियां कर रहा था । अभियुक्त व्यक्तियों के किसी भी पूर्ववर्ती आपराधिक अभिलेख को न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया है जिससे उनके अपराधी होने के तथ्य को सिद्ध किया जा सके । गैंग के मुखिया, अर्थात् राजेन्द्र सिंह

गुर्जर को गिरफ्तार करने के लिए किए गए किसी भी प्रयास को उपदर्शित नहीं किया गया है और आश्चर्य की बात है कि गैंग के मुखिया राजेन्द्र सिंह गुर्जर के विरुद्ध कोई भी विनिर्दिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है । यह मामले को और भी संदेहास्पद बनाता है ।

25. हवलदार सियाराम (अभि. सा. 6) ने पैरा 8 में घटना के संबंध में यह कथन किया है कि डकैतों के गैंग ने उन पर गोलियां चलाई थीं और उनकी ओर से लगभग 100-200 गोलियां चलाई गई थीं । जब इतनी बड़ी संख्या में एक-दूसरे पर गोलियां चलाई गईं तो यह विश्वास करना असंभव है कि आस-पास या ग्राम में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार हुई गोला-बारी की कोई आवाज नहीं सुनी और पुलिस द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं की गई है जो कि ऐसे साक्षी के माध्यम से अभियोजन पक्षकथन को सिद्ध करना आवश्यक था । यद्यपि किसी एकल साक्षी के अभिसाक्ष्य या विभागीय साक्षियों के अभिसाक्ष्यों की इस आधार पर अनदेखी नहीं की जा सकती कि वे संख्या में अधिक थे या उनके साक्ष्य की प्रकृति दूषित है किंतु उनके अभिसाक्ष्यों की अत्यंत सावधानी से समीक्षा करनी होगी ।

26. इसके अतिरिक्त, इस बात की संभावना काफी कम है कि डकैतों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं और इस गोला-बारी के दौरान उन्होंने 100-200 कारतूस देशी पिस्तौलों से चलाए क्योंकि देशी पिस्तौलों से इतनी अधिक संख्या में कारतूस नहीं चलाए जा सकते और उनका उपयोग केवल कुछ कारतूस चलाने के लिए ही किया जा सकता है । इस अभिकथित भारी गोला-बारी और उसके प्रत्युत्तर में पुलिस दल द्वारा गोलियों के अनेक राउंड चलाए जाने के बावजूद भी घटनास्थल से केवल चार खाली कारतूस, जिन्हें 315 बोर की देशी पिस्तौल से चलाया गया था और तीन ऐसे खाली कारतूस जिन्हें 12 बोर की देशी पिस्तौल से चलाया गया था, ही बरामद हुए और जिन्हें अभिकथित रूप से पुलिस दल द्वारा जब्त किया गया । इन खाली कारतूतों के संबंध में कोई भी अभिग्रहण ज्ञापन अभिलेख पर उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही उन्हें अभिलेख पर प्रदर्शित किया गया है जिससे यह दर्शित किया जा सके कि घटनास्थल से कुछ खाली कारतूस बरामद हुए थे । घटनास्थल

पर हुई भारी गोलाबारी की प्रकृति को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि वहां से बड़ी संख्या में खाली कारतूस बरामद होने चाहिए थे किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ । यह लोप अभियोजन के पक्षकथन को और अधिक संदेहास्पद बनाता है क्योंकि वहां मौजूद पुलिस दल का यह कर्तव्य था कि वे घटनास्थल से खाली कारतूसों को बरामद करते और उनसे संबंधित अभिग्रहण ज्ञापन तैयार करते । ऐसा नहीं किया गया जिससे अभियुक्त के पक्षकथन को और भी बल मिलता है ।

27. एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू, जहां अभियोजन पक्षकथन दूषित प्रतीत होता है, पुलिस प्राधिकारियों द्वारा हथियारों का मुहरबंद करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया है । थाना अधिकारी हितेन्द्र सिंह (अभि. सा. 4) ने पैरा 21 में इस गड़बड़ी को स्वीकार किया है और इस तथ्य से अनभिज्ञता का अभिवाक् किया है कि उन देशी पिस्तौलों को उसकी जानकारी के बिना चार मास तक पुलिस थाने में रखा गया । उसे यह ज्ञात नहीं था कि उन हथियारों को कहां रखा गया । हथियारों को न तो घटनास्थल पर मुहरबंद किया गया और न ही उस समय जब पुलिस दल वापस पुलिस थाने पहुंचा । हथियारों को मुहरबंद न किए जाने के कारण यह संभावना उत्पन्न हो जाती है कि हथियारों के साथ या तो कोई छेड़खानी की गई थी या उन्हें किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर मुहरबंद किया गया था और उनका उपयोग पुलिस द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को अपराध में मिथ्या फंसाने के लिए किया गया था । उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलों, जैसे कि **कुलदीप सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1], **अमर जीत सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[2], **साहिब सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[3] और **नंद किशोर** (उपरोक्त) वाले मामलों में बार-बार अपने निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त से अभिकथित रूप से बरामद किए गए शस्त्रों और गोला-बारूद को यदि पुलंदे में मुहरबंद नहीं किया जाता है तो इस साक्ष्य की अनुपस्थिति में कि अभिग्रहण के पश्चात् शस्त्र को

---

[1] (1995) एस. सी. सी. (क्रि.) 810.

[2] (1995) एस. सी. सी. (क्रि.) 828.

[3] (1997) एस. सी. सी. (क्रि.) 315 = ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 2417 = 1997 क्रिमिनल ला जर्नल 2978 (एस. सी.) = 1997 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2330.

किस व्यक्ति द्वारा किस आयुध विशेषज्ञ के पास निरीक्षण हेतु भेजा गया था, अभियुक्त व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में संदेह का लाभ लेने के लिए हकदार है । उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि हथियारों को घटनास्थल पर मुहरबंद न किया जाना एक गंभीर दोष है क्योंकि ऐसे मामलों में हथियारों से छेड़छाड़ किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इसलिए विशेषज्ञ की इस प्रभाव की रिपोर्ट कि रिवाल्वर ठीक था और उससे गोली चलाई जा सकती थी, महत्व खो देती है क्योंकि निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि बरामदगी के समय हथियार की दशा कैसी थी और वहीं विशेषज्ञ ने भी यह राय उस समय व्यक्त की है कि उसने हथियार की जांच गोली चलाकर नहीं की थी । वर्तमान मामले में यह दोष संपूर्ण मामले को दूषित करता है क्योंकि अन्वेषण अधिकारी/परिवादी/थाना अधिकारी ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है । साक्षी रामअवतार (अभि. सा. 1) ने पैरा 12 में यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर बरामद किए गए हथियारों पर कोई मुहर नहीं लगाई गई थी ।

28. एक अन्य साक्षी सियाराम (अभि. सा. 6) ने भी जो घटना के समय वहां पर उपस्थित था, हथियारों को मुहरबंद किए जाने के संबंध में अपनी प्रतिपरीक्षा में अनभिज्ञता का अभिवाक् किया है । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 12 में उसने यह स्वीकार किया है कि उसके समक्ष मुहर नहीं लगाई गई थी । वस्तुत: हथियारों को एक कपड़े में लपेटकर ले जाया गया था । अत: अभियोजन हथियारों के अभिग्रहण और उन्हें मुहरबंद किए जाने के संबंध में अपना पक्षकथन साबित नहीं कर सका था । इसलिए न केवल आयुध अधिनियम के उपबंधों के संबंध में अभियोजन पक्षकथन सुसंगत संदेह के परे साबित नहीं किया जा सका अपितु उसके अन्य पहलुओं पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा था ।

29. एक अन्य पहलू पर भी विचार किया जाना आवश्यक है कि पुलिस दल के किसी भी सदस्य को कोई क्षति नहीं पहुंची है और जब स्वयं घटना संदिग्ध हो और ऊपर की गई चर्चा के अनुसार पूरे मामले में गंभीर दोष हों तब अभियोजन दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध का आरोप साबित करने में असमर्थ रहता है । अन्यथा भी

वर्तमान तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जब घटना संदिग्ध है तो दंड संहिता की धारा 147, 148 और 149 के उपबंध मामले को लागू नहीं होते हैं । विधिविरुद्ध जमाव का अपराध गठित करने के लिए उसमें पांच या अधिक व्यक्ति सम्मिलित होने चाहिए और यहां केवल तीन व्यक्तियों को सिद्धदोष ठहराया गया है और शेष अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है । अत: दंड संहिता की धारा 147 में यथापरिभाषित न तो दंगा हुआ और न ही अपीलार्थियों ने विधिविरुद्ध जमाव किया । इसलिए अभियोजन पक्षकथन में इस पहलू के संबंध में भी कोई गुणता नहीं है ।

30. परिवादी थाना अधिकारी हितेन्द्र सिंह (अभि. सा. 4) ने पैरा 8 में यह स्वीकार किया है कि अभिग्रहण या अभिगृहीत की गई मदों (अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी/4 के द्वारा) को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किए गए ताला और चाबी बिल्कुल नए थे और उन्हें एक बार भी प्रयुक्त नहीं किया गया था, इसलिए यह बात भी संदेह उत्पन्न करती है कि जब पुलिस दल को रात्रि लगभग 9.00 बजे गश्त करते समय डकैतों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी तो उन्होंने किस प्रकार नया ताला और चाबी उपाप्त किए, इस प्रश्न के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और शायद वे यह स्पष्टीकरण दे भी नहीं सकते थे क्योंकि ऐसी किसी घटना की कहानी में, जो कभी घटित नहीं हुई थी या कम से कम उस रीति में तो घटित नहीं हुई थी जिस रीति में अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, कोई न कोई दोष आ ही जाता है ।

31. जब अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा स्वीकार किए गए साक्ष्यों के इन सभी छोटे-छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक नया आकार प्रदान किया जाता है तो अपीलार्थियों की निर्दोषिता दिन के उजाले की तरह सामने आ जाती है और इस संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता कि अपीलार्थियों को इस अपराध में मिथ्या फंसाया गया था । वस्तुत:, अपहृत व्यक्ति के बड़े भाई डाक्टर के. एल. राठी (अभि. सा. 2) द्वारा न तो तारीख 11 फरवरी, 2009 को या उसके पश्चात् अपने भाई के अपहरण और उसके बदले फिरौती के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज की गई

है और न ही अपहृत व्यक्ति ने वर्तमान अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया है । अत: इस मामले में केवल दो ही संभावनाएं प्रतीत होती हैं ; पहली यह कि अपहृत व्यक्ति और उसके कुटुंब के सदस्यों ने असली अपराधियों को फिरौती का संदाय कर दिया था और असली अपराधी फिरौती लेकर फरार हो गए थे और दूसरी संभावना यह है कि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई थी और पुलिस ने अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध या तो अपना कोई पुराना बदला लेने या कोई पुरस्कार, पदक या बिना पारी के प्रोन्नति प्राप्त करने के लिए पूरा मामला मिथ्या रूप से विरचित किया है ।

32. इस न्यायालय की सुविचारित राय में अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे अपने पक्षकथन को साबित करने में पूरी तरह असमर्थ रहा है और इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी न केवल संदेह के आधार पर सभी आरोपों से दोषमुक्त किए जाने के हकदार हैं अपितु उनकी दोषमुक्ति स्पष्ट आधार पर होनी चाहिए क्योंकि अभियोजन की पूरी कहानी आरंभ से ही दूषित प्रतीत होती है ।

33. इस मामले का एक अन्य दुखद पहलु यह भी है कि एक सह-अभियुक्त समोखन को तारीख 19 अप्रैल, 2009 से 20 अक्तूबर, 2016 तक दोषसिद्ध बनाए रखा गया और वह 7 वर्ष और 6 माह से अधिक समय तक विचारणाधीन कैदी रहा, जो अवधि दंड संहिता की धारा 307 या एमपीडीवीपीके अधिनियम की धारा 11/13 के अधीन अपराध के लिए किसी विचारण न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के कारावास के दंडादेश से भी अधिक है । यह अत्यंत दुखद है, इसलिए इस निर्णय को पूरा करने से पूर्व यह न्यायालय राज्य सरकार, जो न्याय प्रशासन के क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करने का आशय रखता है कि वह ऐसी परिस्थितियों के संबंध में विचार करे और यदि संभव हो तो वह इस संबंध में निम्नलिखित उपाय कर सकती है :–

(i) यदि संभव हो तो विचारणाधीन कैदियों और साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराए गए ऐसे व्यक्तियों,

जिन्होंने अपने कुल कारावास की अवधि (जो उन्हें दोषी पाए जाने पर अधिनिर्णीत की जा सकती थी) का आधे से अधिक समय कारावास में भोगा है और/या ऐसे अभियुक्तों के लिए भी, जिन्हें किन्हीं अपीलों/पुनरीक्षणों/विशेष इजाजत याचिकाओं के दौरान गुणागुण के आधार पर अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के सम्यक् मूल्यांकन के पश्चात् (संदेह का लाभ लिए बिना या किसी साक्षी के पक्षद्रोही होने का लाभ लिए बिना), पुनर्वास की एक योजना तैयार की जाए और पुनर्वास की योजना में उनके ऐसे कौशलों, जिन्हें उन्होंने अपने कारावास के दौरान अर्जित किया है, को बढ़ावा देने या उन्हें किसी प्रकार के नए कौशलों का प्रशिक्षण देने, यदि वे इस प्रकार की इच्छा रखते हैं या उन्हें किसी प्रकार की कोई बंजर भूमि या किसी दूरस्थ स्थान पर भूमि देने की योजना को सम्मिलित किया जा सकता है जिससे वे देश के नियमित नागरिकों के रूप में सामाजिक ताने-बाने के भीतर अपना जीवन पुन: आरंभ कर सकें, का अवसर दिया जाए ।

(ii) राज्य सरकार ऐसे किसी तंत्र को विकसित करने पर भी विचार कर सकेगी जिसमें ऐसे व्यक्तियों की निर्मुक्ति के पश्चात् उन्हें मनोवैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिक-विश्लेषकों और मनोचिकित्सकों, जैसी स्थिति हो, की सेवाओं का लाभ लेते हुए नियमित परामर्श या लाभप्रद सत्र उपलब्ध कराए जाएं जिससे लंबे समय तक कारावास में रहने के कारण उनके मन-मस्तिष्क पर जमी काली परतों को हटाया जा सके और समाज में आई इस यथासंभव क्रान्ति का उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जा सके, यदि वे इसके इच्छुक हों । संक्षिप्त रूप में राज्य की ओर से ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई लाभप्रद योजना तैयार किया जाना अपेक्षित है ।

34. इस न्यायालय की राय में ऐसे विचारणाधीन कैदी या अभियुक्त, जो कारावास में कुछ वर्ष भोगने के पश्चात् निर्मुक्ति प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात् उन्हें दोषमुक्त किया जाता है तो यह बात उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से अत्यधिक विचलित और प्रभावित करती है । कभी-कभी तो उनके परिवार उनका परित्याग कर देते हैं और

साधारण समाज उन्हें अपराधी मानता है और उनकी दोषमुक्ति के पश्चात् भी उनके साथ इसी प्रकार का व्यवहार जारी रहता है जिससे ऐसे अभियुक्त अत्यंत विचलित हो जाते हैं और या तो वे वास्तविक रूप से अपराधी बन जाते हैं या वे गहन अवसाद में चले जाते हैं । इस प्रकार उनका पुनर्वास किया जाना अत्यंत आवश्यक है ।

35. अतः, यह न्यायालय राज्य से और अन्य संबद्ध प्राधिकारियों से यह आशा करता है कि वे इस संबंध में विचार करें और समाज के ऐसे पीड़ित वर्ग और न्याय प्रशासन के हाथों पीड़ित हुए ऐसे मुकदमेबाजों के कल्याण के लिए कोई तंत्र या योजना विकसित करें ।

36. इस आदेश की एक प्रति प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश राज्य, वल्लभ भवन, भोपाल, मुख्य सचिव, विधि और विधायी कार्य, भोपाल और महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश राज्य, जबलपुर को अग्रेषित की जाए और उन्हें यह निर्दिष्ट किया जाए कि वे इस संबंध में समुचित विचार करे ।

37. पारिणामिक रूप से अपीलार्थियों, अर्थात् जीतेन्द्र **उर्फ** कल्ली, रामदीन और रामसेवक द्वारा की गई दोनों अपीलें सफल होती हैं और इस प्रकार उन्हें स्वीकार किया जाता है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अवैधता, अनुचितता और विकृतियों से ग्रसित हैं और इसीलिए उसे अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी पहले ही जमानत पर हैं और इसलिए उनके जमानत बंधपत्रों को उन्मोचित किया जाता है और उन्हें निर्मुक्त किया जाता है ।

38. इस निर्णय की प्रतियां विचारण न्यायालय और साथ ही ऊपर निर्दिष्ट प्राधिकारियों को उनकी जानकारी और आवश्यक अनुपालन हेतु अग्रेषित की जाएं ।

39. अपीलों को मंजूर किया जाता है और इस प्रकार उनका निपटारा किया जाता है ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

पु.

दीपेश तमंग

बनाम

सिक्किम राज्य

(2019 की दांडिक अपील सं. 2)

तारीख 23 मार्च, 2020

मुख्य न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी और न्यायमूर्ति भास्कर राज प्रधान

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) – धारा 5(1), 6 और 3 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – अप्राप्तवय कन्या पर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला – आहत के पिता द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराना – आहत की माता द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध कोई शिकायत न किया जाना – आहत द्वारा अभियुक्त के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए जाने का अभिसाक्ष्य दिया जाना – शारीरिक संबंध का अर्थ स्पष्ट न किया जाना – शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में लैंगिक हमला किए जाने का उल्लेख है किंतु न्यायालय के समक्ष ऐसा अभिसाक्ष्य नहीं दिया गया है और आहत की माता ने भी अभियुक्त के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया है और साथ ही आहत ने भी शारीरिक संबंध का अर्थ स्पष्ट नहीं किया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

इस मामले में 'एक्स' नाम की कन्या (नाम छिपाया गया) के पिता द्वारा तारीख 31 दिसंबर, 2017 को पुलिस थाना तिकजुक के थानाध्यक्ष के समक्ष प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसमें यह कथन किया गया कि उसकी लगभग 15 वर्ष की पुत्री ट्यूशन पढ़ने गई थी जो घर वापस नहीं आई है और वह अभियुक्त के साथ भाग गई है और उन्हें गंगटोक में पाया गया । यह कथन किया गया है कि अन्वेषण के दौरान यह पता चला कि अभियुक्त ने उसकी पुत्री पर कई बार लैंगिक हमला किया है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने पर, रोजनामचे में प्रविष्टि सं. 138 दर्ज कराई गई और इसके पश्चात् ग्यालशिंग पुलिस थाने में

भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 363/376 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन मामला सं. 42/2017 (प्रदर्श-17) अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज कराया गया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् पुलिस ने दंड संहिता की धारा 363/376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जिसके उपरांत विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) के न्यायालय में मामला सं. 01/2018 रजिस्ट्रीकृत किया गया । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन 'एक्स' का कथन विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, पश्चिमी सिक्किम, ग्यालशिंग के समक्ष तारीख 29 जनवरी, 2018 को अभिलिखित किया गया । 'एक्स' और अभियुक्त दोनों की चिकित्सा परीक्षा भी कराई गई । पक्षकारों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376(2)(i) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(1) और धारा 6 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किए गए । जब अभियुक्त को सभी आरोप पढ़कर स्पष्ट किए गए तो उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की । विचारण के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी को आरोपित अपराध का दोषी पाया गया । विचारण न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यद्यपि अपनी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभि. सा. 13 ने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने उसकी पुत्री पर अनेक बार लैंगिक हमला किया है, किंतु यह साक्षी न्यायालय में अपने साक्ष्य के दौरान इस अभिकथन के संबंध में पूर्णतया मौन ही नहीं रहा है अपितु उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी कथन किया है कि उसकी पुत्री ने अभियुक्त के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है । तर्क पूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि अभि. सा. 1 ने उस पर किए गए लैंगिक हमले या प्रवेशन लैंगिक हमले से संबंधित कुछ नहीं कहा है । उसकी माता अभि. सा. 14 ने भी यह कथन नहीं किया है कि अभि. सा. 1 ने उसे यह बताया था कि अभियुक्त ने उस पर कोई लैंगिक हमला किया है या

उसने किसी प्रकार का उसकी पुत्री पर कोई गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला किया है । अभि. सा. 14 ने यह कथन किया है कि उसे अभियुक्त के प्रति कोई शिकायत नहीं है कि जबकि साथ ही उसने यह भी कहा है कि अभियुक्त निर्दोष नहीं है । यह अभिनिर्धारित करना अयुक्तियुक्त नहीं होगा कि एक मां को उस व्यक्ति से निश्चित रूप से शिकायत होगी जिसने उसके अप्राप्तवय बालक पर लैंगिक हमला किया है । यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आहत की माता ने यह क्यों कहा है कि अभियुक्त निर्दोष नहीं है । अभि. सा. 1 के साक्ष्य में प्रवेशन लैंगिक हमले का कोई भी संघटक नहीं है । अभि. सा. 1 का यह साक्ष्य है कि उसने अभियुक्त के साथ 5-6 बार 'शारीरिक संबंध' बनाए थे । 'शारीरिक संबंध' का क्या अर्थ है यह स्पष्ट नहीं किया गया है । 'शारीरिक संबंध' का अर्थ कई प्रकार से लगाया जा सकता है । अनुमान और अटकलों के आधार पर 'शारीरिक संबंध' का अर्थ पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रवेशन लैंगिक हमला नहीं लगाया जा सकता । अभि. सा. 9 ने अपने साक्ष्य में यह अभिकथन किया है कि अभि. सा. 1 ने पूर्व में कई बार किए गए लैंगिक हमले का वर्णन किया है । इस प्रकार, यह प्रतिवाद किया जा सकता है कि अभि. सा. 1 के अप्राप्तवय होने के कारण 'शारीरिक संबंध' का अर्थ पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के अधीन परिभाषित लैंगिक हमले की परिधि में आता है । उपरोक्त बातों से यह पता चलता है कि अभि. सा. 1 ने उस पर किए गए गुरुतर लैंगिक हमले या लैंगिक हमले या अन्य किसी लैंगिक हमला से संबंधित कोई भी अभिकथन नहीं किया है । अभि. सा. 1 ने यह अभिकथन किया है कि प्रदर्श-1 उसका एक सत्य कथन है । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह उपदर्शित होता है कि अभि. सा. 1 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन दिए गए कथन में भी किसी भी प्रकार के लैंगिक हमले से संबंधित अभिकथन नहीं किया है । ऐसी परिस्थितियों में हमारा यह निष्कर्ष है कि अभि. सा. 1 के इस परिसाक्ष्य को स्वीकार करना उचित नहीं होगा कि अभियुक्त ने उसके साथ 'शारीरिक संबंध' बनाए थे । उपरोक्त संदर्भ में अभि. सा. 9 के साक्ष्य के आधार पर लैंगिक हमले के अधीन दोषसिद्धि नहीं की जा सकती । (पैरा 30, 32 और 34)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 2.

2018 के सेशन विचारण मामला सं. 1 में विद्वान् विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) द्वारा तारीख 29 नवंबर, 2018 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और तारीख 30 नवंबर, 2018 को पारित दंडादेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री मनीष कुमार जैन

प्रत्यर्थी की ओर से श्री मुकुन डोलमा तमंग (अपर लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने दिया ।

मु. न्या. गोस्वामी – यह अपील 2018 के सेशन विचारण मामला सं. 1 में विद्वान् विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), पश्चिमी सिक्किम, ग्यालशिंग द्वारा तारीख 29 नवंबर, 2018 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और तारीख 30 नवंबर, 2018 को पारित दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "पॉक्सो अधिनियम" कहा गया है) की धारा 6 के अधीन दंडनीय अपराध से दोषसिद्ध किया गया है और 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000/- रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त 2 मास के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ।

2. 'एक्स' नाम की कन्या (नाम छिपाया गया) के पिता द्वारा तारीख 31 दिसंबर, 2017 को पुलिस थाना तिकजुक के थानाध्यक्ष के समक्ष प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसमें यह कथन किया गया कि उसकी लगभग 15 वर्ष की पुत्री ट्यूशन पढ़ने गई थी जो घर वापस नहीं आई है और वह अभियुक्त के साथ भाग गई है और उन्हें गंगटोक में पाया गया । यह कथन किया गया है कि अन्वेषण के दौरान यह पता चला कि अभियुक्त ने उसकी पुत्री पर कई बार लैंगिक हमला किया है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने पर, रोजनामचे में प्रविष्टि सं. 138 दर्ज कराई गई और इसके पश्चात् ग्यालशिंग पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की

धारा 363/376 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन मामला सं. 42/2017 (प्रदर्श-17) अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज कराया गया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् पुलिस ने दंड संहिता की धारा 363/376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जिसके उपरांत विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) के न्यायालय में मामला सं. 01/2018 रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

3. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन 'एक्स' का कथन विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, पश्चिमी सिक्किम, ग्यालशिंग के समक्ष तारीख 29 जनवरी, 2018 को अभिलिखित किया गया । 'एक्स' और अभियुक्त दोनों की चिकित्सा परीक्षा भी कराई गई ।

4. पक्षकारों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376(2)(i) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(1) और धारा 6 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किए गए । जब अभियुक्त को सभी आरोप पढ़कर स्पष्ट किए गए तो उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की ।

5. अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 16 साक्षियों की परीक्षा कराई किंतु प्रतिरक्षा पक्ष ने किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई । अभियुक्त की परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कराई गई जिसके दौरान उसने सभी आरोपों से इनकार किया । न्यायालय में इस मामले की कार्यवाही बापर्दा की गई ।

6. आहत कन्या के विद्वान् काउंसेल श्री मनीष कुमार जैन ने यह दलील दी है कि आहत की परीक्षा अभि. सा. 1 के रूप में कराई गई है जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथनों (प्रदर्श-1) में अभियुक्त को आलिप्त नहीं किया है लेकिन न्यायालय में अभिसाक्ष्य के दौरान उसने यह कथन किया है कि उसने और अभियुक्त ने 5-6 बार एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, अत: ऐसे साक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता । उसके पिता (अभि. सा. 13) और उसकी माता (अभि. सा. 14) ने भी अभियुक्त को इस आधार पर आलिप्त नहीं किया है कि उसने उनकी पुत्री के साथ किसी प्रकार से मैथुन करके उस पर लैंगिक हमला किया है ।

विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि मामले को किसी भी प्रकार से दृष्टिगत करते हुए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि 'शारीरिक संबंध' का अर्थ पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 के अर्थान्तर्गत गुरुतर लैंगिक हमला है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि अभि. सा. 1 का साक्ष्य विश्वासोत्पादक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यह पूर्णतया इस आधार पर अस्वाभाविक मालूम देता है कि उसे ऐसे शारीरिक संबंध बनाने की तारीख और महीना याद नहीं है जबकि उसने स्पष्ट रूप से अपने प्रेम-प्रसंग विकसित होने की तारीख 5 जुलाई, 2017 बताई है । कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ऐसे शारीरिक संबंध बनाने के संदर्भ में कोई भी महत्वपूर्ण ब्यौरे नहीं दिए गए हैं । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 1 और चिकित्सक (अभि. सा. 9) जिसने आहत की परीक्षा की है तथा अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 16) के साक्ष्य का अवलंब अभियुक्त को दोषसिद्ध करने हेतु लिया है । विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया है कि अभि. सा. 9 के साक्ष्य में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि आहत के साथ मैथुन किया गया है और अभि. सा. 9 का यह कथन कि आहत के साथ अभियुक्त द्वारा 5-6 बार आहत की सम्मति से लैंगिक हमला कारित किया गया है, अवलंबनीय नहीं है क्योंकि अभि. सा. 1 का कथन पूर्णतया अविश्वसनीय है । अभि. सा. 16 के साक्ष्य से भी अभियुक्त का दोष किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभि. सा. 1 के कथन तथा प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 16 द्वारा दिए गए कथन से यह पता चलता है कि लैंगिक हमला किए जाने का कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है, तद्नुसार, उन्होंने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त का दोष संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है, इस प्रकार अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है ।

7. विद्वान् सहायक लोक अभियोजक सुश्री मुकुन डोलमा ने यह दलील दी है कि मात्र अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 9 ने अभि. सा. 1 के साक्ष्य की संपुष्टि की है, अत: आक्षेपित निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है ।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों पर

विचार किया है और साक्ष्य तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है ।

9. विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि अभि. सा. 1, अभि. सा. 9 और अभि. सा. 16 के साक्ष्य के आधार पर विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त ने अभि. सा. 1 पर प्रवेशन द्वारा कई बार लैंगिक हमला किया है ।

10. विद्वान् विचारण न्यायालय ने आहत कन्या से कतिपय प्रश्न पूछे हैं और इस अप्राप्तवय साक्षी द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह महसूस किया कि आहत साक्ष्य देने के लिए सक्षम है । आहत ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि वह कक्षा 10 की परीक्षा में सम्मिलित हुई थी और यह कि अभियुक्त को पहले से जानती थी क्योंकि वह उसके पड़ोसी का वाहन जून, 2017 से चला रहा था । आहत कन्या अभियुक्त को अपने मकान के निकट तारीख 5 जुलाई, 2017 को मिली थी और इसके पश्चात् उन्हें एक-दूसरे से प्रेम हो गया और वे प्राय: मुलाकात करने लगे । उन्होंने ग्यालशिंग जाने के लिए तारीख 30 दिसंबर, 2017 को दाराप नामक स्थान पर मुलाकात करने की योजना बनाई और वे एक ट्रक द्वारा रिम्बी चले गए जिसे अभियुक्त ही चलाकर ले गया था । वे पत्थर लदे ट्रक से ग्यालशिंग वापस आए और इसके पश्चात् अभियुक्त अपने वस्त्र आदि बदलने के लिए अपने घर चला गया जो पेट्रोल पंप के निकट ही था और इस दौरान आहत कन्या पेट्रोल पंप के निकट उसकी प्रतीक्षा कर रही थी । इसके पश्चात्, वे गंगटोक चले गए और अभियुक्त के चाचा (अभि. सा. 6) के घर पहुंचे जो भोजोगढ़ी में स्थित है । चूंकि आहत कन्या के फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी इसलिए उसने अपने फोन से सिम कार्ड निकाल कर अभियुक्त के चाचा के फोन में लगा लिया । आहत कन्या को उसके पिता की ओर से फोन-कॉल प्राप्त हुई जिसमें उसके पिता ने उसके पते-ठिकाने के बारे में मालूम किया और उसने अपने पिता को इस संबंध में सूचना देने के पश्चात् फोन काट दिया । चूंकि अभियुक्त ने आहत कन्या को यह बताया था कि आहत कन्या के माता-पिता उसके लिए चिंतित होंगे, इसलिए अभियुक्त और आहत कन्या दोनों ने ही

पुलिस थाना सदर, गंगटोक जाने का विनिश्चय किया और तद्नुसार आहत कन्या अभियुक्त और अभियुक्त के चाचा और चाची के साथ उसी दिन पुलिस थाने गए जिस दिन वे गंगटोक पहुंचे थे । आहत कन्या के पिता का बड़ा भाई पुलिस थाने में प्रतीक्षा कर रहा था और जब वे आहत कन्या के माता-पिता के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे तब अभियुक्त को चिकित्सा परीक्षा के लिए ले जाया गया । आहत कन्या के माता-पिता के पहुंचने के पश्चात् वे पुलिस थाना तिकजुक गए जहां पुलिस द्वारा आहत कन्या का कथन अभिलिखित किया गया । आहत कन्या ने यह कथन किया है कि अभियुक्त के साथ प्रेम-प्रसंग के दौरान उन दोनों ने लगभग 5-6 बार शारीरिक संबंध बनाए थे किंतु इस बाबत उसे तारीख याद नहीं हैं, यद्यपि ऐसे संबंध वर्ष 2017 में बनाए गए थे । आहत कन्या ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अपना कथन प्रदर्श-1 के रूप में स्वीकार किया है । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी जन्मतिथि 14 नवंबर, 2002 है और उसने अपने जन्म प्रमाणपत्र को प्रदर्श-3 के रूप में साबित किया है ।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि ललिता नाम की एक महिला ने उसे एक बार फोन करके यह बताया था कि उसका (ललिता) विवाह अभियुक्त के साथ पहले ही हो चुका है जिस पर आहत कन्या ने ललिता को यह बताया कि वह अभियुक्त को चाहती है इसलिए वह उसके साथ संबंध बनाए रखना चाहती है । आहत कन्या ने पुन: यह कहा कि वह और अभियुक्त एक-दूसरे के बहुत निकट आ चुके हैं और यह कि उसने यह सब सच्चाई प्रदर्श-1 में व्यक्त की है । आहत कन्या ने यह भी कथन किया कि अभियुक्त तारीख 30 दिसंबर, 2017 को उसे घर वापस जाने के लिए कह रहा था किंतु आहत कन्या ने ही अभियुक्त से कहा कि वह उसे गंगटोक ले जाए । आहत कन्या ने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने उसे कभी धमकी नहीं दी और कभी भी उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसे यह संदेह हुआ था कि अभियुक्त के प्रेम-संबंध अन्य कन्याओं के साथ भी हैं और यह कि वह अन्य किसी कन्या के साथ भी विवाह कर सकता है । इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसके अभियुक्त के साथ किसी प्रकार के लैंगिक संबंध नहीं

थे और यह कि उसके मन में अभियुक्त के प्रति केवल मुग्धता की भावना थी और चूंकि अभियुक्त ने आहत कन्या की इस भावना के अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं की इसलिए उसने अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या अभिकथन किए हैं ।

11. अभि. सा. 2, अभि. सा. 1 की सहेली है और वे एक साथ पढ़ती थीं । अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि तारीख 30 दिसंबर, 2017 को उसने स्कूल के गेट के बाहर अभि. सा. 1 को देखा था और उसने जब अभि. सा. 1 से स्कूल के अन्दर आने को कहा तो इस पर अभि. सा. 1 अर्थात् आहत कन्या ने बताया कि वह किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है । जब अभि. सा. 2 ने अभि. सा. 1 से यह कहा कि यदि वह किसी व्यक्ति के साथ इधर-उधर घूमेगी तो उसके माता-पिता को यह अच्छा नहीं लगेगा, इस पर अभि. सा. 1 ने यह कहा कि वह थोड़ी देर बाद अपनी कक्षा में आ जाएगी । स्कूल में हाजिरी के दौरान अभि. सा. 2 ने अध्यापक (अभि. सा. 3) को यह बताया कि अभि. सा. 1 स्कूल के गेट के बाहर खड़ी हुई है, इस जानकारी के पश्चात् वह अध्यापक आहत कन्या को देखने स्कूल के बाहर गया । अभि. सा. 3 की प्रतिपरीक्षा नहीं कराई गई है ।

12. अभि. सा. 3 वह अध्यापक है जिसे अभि. सा. 2 द्वारा निर्दिष्ट किया गया है और इस साक्षी के साक्ष्य से अभि. सा. 2 के साक्ष्य की संपुष्टि होती है । अभि. सा. 2 की भी प्रतिपरीक्षा नहीं कराई गई है ।

13. अभि. सा. 4 एक महिला है जिसने यह कथन किया है कि अभियुक्त अपने पड़ोसी का वाहन चलाया करता था और एक समय उसने अभियुक्त को एक कमरा किराए पर दिया था किंतु अभियुक्त ने वह कमरा तारीख 8 जुलाई, 2017 को छोड़ दिया था । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा भी नहीं कराई गई है ।

14. अभि. सा. 5 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि अभियुक्त उसका वाहन 24 दिन चलाता था और उस दौरान वह अभि. सा. 4 के किराए के मकान में रहता था । तथापि, इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसे यह निश्चित रूप से मालूम नहीं है कि अभियुक्त अभि. सा. 4 के मकान में किराए पर रहता था या नहीं ।

15. अभि. सा. 6 अभियुक्त का चाचा है जिसके घर अभियुक्त आहत कन्या के साथ गया था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अपराह्न लगभग 9.30 बजे उसे अभियुक्त के पिता की ओर से फोन-कॉल प्राप्त हुई जिन्होंने उससे यह मालूम किया कि क्या अभियुक्त और आहत कन्या उसके घर पर आए हैं । तद्नुसार, अभि. सा. 6 ने अभियुक्त के पिता को बताया कि वे दोनों यहां आए हैं । आहत कन्या के पिता ने भी अभि. सा. 6 को फोन किया था और उससे यह निवेदन किया कि वह अभियुक्त और कन्या को पुलिस थाना सदर, गंगटोक ले जाएं और तद्नुसार अभि. सा. 6 उन्हें पुलिस थाने ले गया ।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि वे उसके मकान में रात में नहीं ठहरे थे और यह कि आहत कन्या ने उसे यह बताया था कि वह अभियुक्त के साथ अपनी इच्छा से आई है । इस साक्षी (अभि. सा. 6) ने इस सुझाव से इनकार किया है कि कन्या के पिता ने उसे (अभि. सा. 6) फोन नहीं किया था और न ही उससे यह निवेदन किया था कि वह अभियुक्त और कन्या को पुलिस थाने ले जाए ।

16. अभि. सा. 7 अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श-4) का साक्षी है और इसी ज्ञापन के अनुसार आहत कन्या का जन्म प्रमाणपत्र अभिगृहीत किया गया है । इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने प्रदर्श-4 पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं ।

17. अभि. सा. 8 अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श-4) का एक अन्य साक्षी है । इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने इस अभिग्रहण ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं ।

18. अभि. सा. 9 जिला अस्पताल, ग्यालशिंग, पश्चिमी सिक्किम में कार्यरत स्त्री-रोग चिकित्सक है । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 31 दिसंबर, 2017 को पूर्वाह्न लगभग 10.00 बजे एक कन्या, जिसकी आयु लगभग 15 वर्ष थी, ग्यालशिंग पुलिस थाने से इस अभिकथन के आधार पर अस्पताल भेजी गई कि अभियुक्त द्वारा उस पर लैंगिक हमला किया गया है । आहत कन्या ने यह कथन किया है कि वह अभियुक्त के साथ तारीख 30 दिसंबर, 2017 को घर से भाग गई थी और उसने यह बताया है कि उसने अभियुक्त के साथ अपनी

सहमति से 5-6 मास के दौरान कई बार लैंगिक संबंध बनाए हैं । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि आहत कन्या की योनिच्छद में कटाव पाए गए हैं जिनकी स्थिति घड़ी में 3, 6 और 9 बजे वाली सूई की स्थिति जैसी है और इससे यह पता चलता है कि इस अंग में पहले कभी क्षति कारित हुई है । प्रयोगशाला की रिपोर्ट से चल या अचल शुक्राणुओं की मौजूदगी उपदर्शित नहीं होती है । इस साक्षी ने अपने द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की शनाख्त प्रदर्श-5 के रूप में की है ।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि किसी बालिका की योनिच्छद में खेल-कूद और शारीरिक कार्यों के परिणामस्वरूप भी कटाव आ सकता है ।

19. अभि. सा. 10 ग्यालशिंग जिला अस्पताल में जिला चिकित्सा अधीक्षक-सह-रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मामले के अन्वेषण अधिकारी की अध्यपेक्षा पर उसने अभि. सा. 1 के जन्म प्रमाणपत्र की प्रमाणिकता के संबंध में पत्र जारी किया था जिसमें अभि. सा. 1 की जन्मतिथि 14 नवंबर, 2002 दर्शायी गई थी और पंजीकरण की तारीख 21 नवंबर, 2002 उल्लिखित की गई थी । इस साक्षी ने अभियुक्त के जन्म प्रमाणपत्र की पुष्टि के संबंध में भी एक पत्र जारी किया जिसमें उसकी जन्मतिथि 24 अगस्त, 1998 और पंजीकरण की तारीख 8 सितंबर, 1998 दर्शायी गई । अभियुक्त की चिकित्सा रिपोर्ट प्रदर्श 19 के रूप में दर्शायी गई है जो डा. सरीजना सुब्बा द्वारा तैयार की गई है ।

20. अभि. सा. 11 उस स्कूल की प्रधानाचार्या हैं जहां अभि. सा. 1 पढ़ती थी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसके समक्ष अध्यपेक्षा प्रस्तुत किए जाने पर उसने स्कूल अभिलेख से पुष्टि करने के पश्चात् पुलिस उप निरीक्षक को यह बताया कि अभि. सा. 1 की जन्मतिथि 14 नवंबर, 2002 है ।

21. अभि. सा. 12 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है जो न्यायिक मजिस्ट्रेट, पश्चिमी सिक्किम, ग्यालशिंग की भारसाधक भी हैं । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभि. सा. 1 का कथन अभिलिखित किया था और

कथन अभिलिखित करने के पूर्व उसने अपना यह समाधान किया कि अभि. सा. 1 स्वेच्छया अपना कथन देना चाहती है ।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि अभि. सा. 1 ने प्रदर्श-1 में लैंगिक हमला कारित किए जाने का कोई भी अभिकथन नहीं किया है ।

22. अभि. सा. 1 के पिता अर्थात् अभि. सा. 13 ने, जो इस मामले में इत्तिलाकर्ता है, यह कथन किया है कि वह ट्यूशन पढ़ने गई थी और वहां से वापस नहीं लौटी थी और इसके पश्चात् उन्होंने उसे मोहल्ले में आस-पास तलाश किया और तब उन्हें यह संदेह हुआ कि अभियुक्त उसकी पुत्री को लेकर गया है और तद्नुसार उसने पुलिस चौकी दाराप में मौखिक रूप से मामला दर्ज कराया । उसी दिन, रात में उन्हें यह पता चला कि अभियुक्त उसकी पुत्री को गंगटोक में स्थित अपने चाचा के घर ले गया है । जैसे ही सदर पुलिस थाना, गंगटोक को अभियुक्त के साथ उसकी पुत्री के बारे में पता चला, वे वहां पहुंचे और उन्हें वापस ग्यालशिंग पुलिस थाने ले आए । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसकी पुत्री का जन्म वर्ष 2002 में हुआ था ।

अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसे यह बात मालूम थी कि उसकी पुत्री अभियुक्त से प्रेम करती है और यह कि उसकी पुत्री ने अभियुक्त के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है । इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि अभियुक्त के पिता द्वारा इस संबंध में सूचना दी गई थी कि उसकी पुत्री और अभियुक्त गंगटोक में हैं ।

23. आहत की माता अर्थात् अभि. सा. 14 ने यह कथन किया है कि जब आहत ट्यूशन से वापस नहीं आई तब उन्होंने उसे घर के आस-पास तलाश किया और इसके पश्चात् उन्हें यह संदेह हुआ कि अभियुक्त उनकी पुत्री को लेकर गया है और तद्नुसार मामले की रिपोर्ट पुलिस चौकी दाराप में की गई । उसी दिन रात्रि में उन्हें यह पता चला कि अभियुक्त उनकी पुत्री को गंगटोक में स्थित अपने चाचा के घर ले गया है । पुलिस थाना सदर, गंगटोक को उसकी पुत्री और अभियुक्त के बारे में पता चला और तद्नुसार वे पुलिस थाना सदर, गंगटोक गए और अपनी पुत्री को पुलिस थाना ग्यालशिंग ले आए । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि आहत का जन्म वर्ष 2002 में हुआ था ।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि घटना के पूर्व एक बार मालूम करने पर अभि. सा. 1 ने अभियुक्त के साथ कोई भी संबंध रखने की बात से इनकार किया था । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त को इस घटना के पूर्व एक अन्य लड़की के साथ देखा गया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसे अभियुक्त से कोई भी शिकायत नहीं है ।

24. अभि. सा. 15 सुसंगत समय के दौरान पुलिस थाना ग्यालशिंग का भारसाधक अधिकारी था । इस साक्षी ने आहत के पिता द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-17) के संबंध में कथन किया है । इस साक्षी ने यह बताया है कि अभि. सा. 13 आहत और अभियुक्त को लेकर पुलिस थाने आया था ।

25. अभि. सा. 16 इस मामले की अन्वेषण अधिकारी है । इस साक्षी ने अन्वेषण के दौरान की गई अनेक कार्यवाहियों के संबंध में अभिसाक्ष्य दिया है । उसने यह कथन किया है कि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षियों के कथन अभिलिखित किए हैं । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि आहत कन्या टिपर में बैठकर ग्यालशिंग बाजार के लिए रवाना हुई थी जिसे अभियुक्त चला रहा था और वह उसे पर्यटन वाहन द्वारा बिना किसी को बताए गंगटोक ले गया था और वह अभि. सा. 6 के घर पर ठहरा । कड़ी तलाशी के पश्चात्, प्रात:काल अभियुक्त और आहत का पता चला और उन्हें पुलिस थाना ग्यालशिंग में पेश किया गया । इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अन्वेषण के दौरान यह पता चला कि दिन के लगभग 12.00 बजे शिकायतकर्ता (आहत कन्या का पिता) ने अभियुक्त को टिपर (रजिस्ट्रेशन सं. एस के 02डी/0238) चलाते हुए देखा था जो दाराप बाजार की ओर जा रहा था और उसे यह संदेह हुआ कि अभियुक्त उसकी पुत्री से मिलने जा रहा है । जब अभियुक्त दाराप में ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था, तब यह अफवाह फैली थी कि अभियुक्त और आहत के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा है । चूंकि शिकायतकर्ता ने आहत के ट्यूशन-अध्यापक से अपनी पुत्री के बारे में मालूम किया था और अपराह्न लगभग 4.30 बजे उसे यह पता चला कि उसकी पुत्री ट्यूशन पढ़ने नहीं गई है । तद्नुसार, संपूर्ण परिवार आहत को ढूंढने लगा । अन्वेषण

अधिकारी ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त आहत को अपने कमरे पर भी बुलाया करता था जो अभियुक्त ने अभि. सा. 4 से किराए पर ले रखा था और आहत अभियुक्त के आशय से अवगत नहीं थी और वह उसके कमरे पर आया करती थी जहां अभियुक्त पर लैंगिक हमला किया करता था । यह भी कथन किया गया है कि जब आहत को यह पता चला कि उसके माता-पिता उसे तलाश कर रहे हैं तब वह अभियुक्त के साथ पुलिस थाना सदर गई और वहां से उन्हें वापस ग्यालशिंग लाया गया । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि आहत का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया गया और आहत की चिकित्सा रिपोर्ट से यह पता चलता है कि उस पर पूर्व में कई बार लैंगिक हमला किया गया है ।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि आहत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन दिए गए अपने कथन में यह उल्लेख किया है कि जब वह और अभियुक्त गंगटोक पहुंचे ही थे, तब उन्हें अपराह्न 10.30 बजे एक फोन-कॉल प्राप्त हुई कि उसके माता-पिता उसे ढूंढ रहे हैं और इसके पश्चात् उन दोनों को अभियुक्त के चाचा (अभि. सा. 6) द्वारा पुलिस थाना सदर, गंगटोक लाया गया । इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि आहत और अभियुक्त के बीच कोई भी लैंगिक संबंध नहीं था और उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि अभियुक्त ने अपने किराए के कमरे में उस पर लैंगिक हमला नहीं किया ।

26. अभि. सा. 1, सुसंगत समय के दौरान लगभग 5 वर्ष की एक अप्राप्तवय कन्या थी और इस तथ्य पर श्री जैन द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है । सुसंगत समय के दौरान, अभियुक्त की आयु लगभग 19 वर्ष थी । इससे यह प्रतीत होता है कि अभि. सा. 1 ने ही अभियुक्त से उसे गंगटोक ले जाने को कहा था, यद्यपि अभियुक्त उसे तारीख 30 दिसंबर, 2017 को घर वापस भेजना चाहता था । अभि. सा. 1 अर्थात् आहत कन्या के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके मन में अभियुक्त के प्रति सहानुभूति थी । यद्यपि अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 16) ने अपने अभिसाक्ष्य के दौरान एक प्रक्रम पर यह कथन किया है कि आहत कन्या और अभियुक्त को गंभीर रूप से ढूंढने के पश्चात्

अगले दिन प्रात:काल उनका पता चल पाया, अगले प्रक्रम पर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि यह पता चलने पर कि आहत के माता-पिता उसे तलाश कर रहे हैं, आहत कन्या और अभियुक्त पुलिस थाना सदर, गंगटोक स्वयं गए थे । अभि. सा. 6 ने यह कथन किया है कि अभियुक्त के पिता और आहत के पिता ने उसे बुलाया था और वह अभियुक्त और आहत को पुलिस थाना सदर आहत के पिता के अनुरोध पर ले गए थे । यद्यपि अभि. सा. 13 और अभि. सा. 14 ने यह कथन किया है कि उन्हें यह पता चला था कि अभियुक्त उसकी पुत्री को गंगटोक में अभि. सा. 6 के घर ले गया था, उन्होंने यह नहीं बताया है कि उन्हें इस संबंध में जानकारी कहां से प्राप्त हुई थी । अभि. सा. 13 के अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह इस बात से अवगत था कि अभियुक्त और उसकी पुत्री के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा है ।

27. अभियुक्त और आहत कन्या का गंगटोक में आना इस मामले के प्रयोजनार्थ अधिक सुसंगत नहीं है ।

28. अपीलार्थी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन अर्थात् इस आधार पर दोषसिद्ध किया गया कि उसने एक से अधिक बार या निरंतर आहत पर प्रवेशन लैंगिक हमला किया है । प्रवेशन लैंगिक हमला निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :-

> "3. **प्रवेशन लैंगिक हमला** – कोई व्यक्ति, "प्रवेशन लैंगिक हमला" करता है, यह कहा जाता है, यदि वह –
>
> (क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या अन्य किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है ; या
>
> (ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है ; या
>
> (ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या शरीर

के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है ; या

(घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है ।"

29. लैंगिक हमले की परिभाषा का उल्लेख करना समुचित होगा जो इस अधिनियम की धारा 7 में निम्न प्रकार दी गई है :-

"धारा 7. **लैंगिक हमला** - जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अन्तर्ग्रस्त होता है, लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है ।"

30. यद्यपि अपनी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभि. सा. 13 ने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने उसकी पुत्री पर अनेक बार लैंगिक हमला किया है, किंतु यह साक्षी न्यायालय में अपने साक्ष्य के दौरान इस अभिकथन के संबंध में पूर्णतया मौन ही नहीं रहा है अपितु उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी कथन किया है कि उसकी पुत्री ने अभियुक्त के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है । तर्क पूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि अभि. सा. 1 ने उस पर किए गए लैंगिक हमले या प्रवेशन लैंगिक हमले से संबंधित कुछ नहीं कहा है । उसकी माता अभि. सा. 14 ने भी यह कथन नहीं किया है कि अभि. सा. 1 ने उसे यह बताया था कि अभियुक्त ने उस पर कोई लैंगिक हमला किया है या उसने किसी प्रकार का उसकी पुत्री पर कोई गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला किया है । अभि. सा. 14 ने यह कथन किया है कि उसे अभियुक्त के प्रति कोई शिकायत नहीं है कि जबकि साथ ही उसने यह भी कहा है कि अभियुक्त निर्दोष नहीं है । यह अभिनिर्धारित करना अयुक्तियुक्त नहीं होगा कि एक मां को उस व्यक्ति से निश्चित रूप से शिकायत होगी जिसने उसके अप्राप्तवय बालक पर लैंगिक हमला किया है । यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आहत की माता ने यह क्यों कहा है कि अभियुक्त निर्दोष नहीं है ।

31. अभि. सा. 16 ने अपने साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि उसे यह किससे पता चला था कि अभियुक्त अभि. सा. 1 को अपने किराए के कमरे पर बुलाया करता था और उस पर लैंगिक हमला किया करता था । इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से किसी भी साक्षी के अभिसाक्ष्य में कोई उल्लेख नहीं है । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा से यह प्रतीत होता है कि अभि. सा. 1 ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन मात्र यह कथन किया था कि जब वह और अभियुक्त गंगटोक पहुंचे थे तब अपराह्न 10.30 बजे एक फोन-कॉल प्राप्त हुई थी कि उसके माता-पिता अभि. सा. 1 को तलाश कर रहे हैं और इसके पश्चात् अभियुक्त के चाचा (अभि. सा. 6) द्वारा उन दोनों को पुलिस थाना सदर लाया गया । अभि. सा. 16 के साक्ष्य से किसी भी प्रकार से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अभियुक्त अभिकथित अपराध का दोषी है ।

32. अभि. सा. 1 के साक्ष्य में प्रवेशन लैंगिक हमले का कोई भी संघटक नहीं है । अभि. सा. 1 का यह साक्ष्य है कि उसने अभियुक्त के साथ 5-6 बार 'शारीरिक संबंध' बनाए थे । 'शारीरिक संबंध' का क्या अर्थ है यह स्पष्ट नहीं किया गया है । 'शारीरिक संबंध' का अर्थ कई प्रकार से लगाया जा सकता है । अनुमान और अटकलों के आधार पर 'शारीरिक संबंध' का अर्थ पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रवेशन लैंगिक हमला नहीं लगाया जा सकता । अभि. सा. 9 ने अपने साक्ष्य में यह अभिकथन किया है कि अभि. सा. 1 ने पूर्व में कई बार किए गए लैंगिक हमले का वर्णन किया है । इस प्रकार, यह प्रतिवाद किया जा सकता है कि अभि. सा. 1 के अप्राप्तवय होने के कारण 'शारीरिक संबंध' का अर्थ पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के अधीन परिभाषित लैंगिक हमले की परिधि में आता है ।

33. अभि. सा. 1 ने तारीख 29 जनवरी, 2018 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित अपने कथन (प्रदर्श-1) में निम्न प्रकार उल्लेख किया है :–

"तारीख 30 दिसंबर, 2017 को मैं और मेरे मित्र दीपेश ने

दाराप में मिलना तय किया था । मुलाकात के पश्चात् हम गीजिंग आ गए । समय अधिक हो गया था इसलिए हम गंगटोक की ओर रवाना हो गए जहां हम अभियुक्त के काका के घर ठहरे । मेरी माता ने मुझे फोन किया और मुझसे मेरा पता मालूम किया । इसके पश्चात् दीपेश ने मुझे बताया कि मेरी माता बहुत चिंतित थी इसलिए हम पुलिस थाना सदर चले गए और वहां से हमें गीजिंग लाया गया ।"

34. उपरोक्त बातों से यह पता चलता है कि अभि. सा. 1 ने उस पर किए गए गुरुतर लैंगिक हमले या लैंगिक हमले या अन्य किसी लैंगिक हमला से संबंधित कोई भी अभिकथन नहीं किया है । अभि. सा. 1 ने यह अभिकथन किया है कि प्रदर्श-1 उसका एक सत्य कथन है । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह उपदर्शित होता है कि अभि. सा. 1 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन दिए गए कथन में भी किसी भी प्रकार के लैंगिक हमले से संबंधित अभिकथन नहीं किया है । ऐसी परिस्थितियों में हमारा यह निष्कर्ष है कि अभि. सा. 1 के इस परिसाक्ष्य को स्वीकार करना उचित नहीं होगा कि अभियुक्त ने उसके साथ 'शारीरिक संबंध' बनाए थे । उपरोक्त संदर्भ में अभि. सा. 9 के साक्ष्य के आधार पर लैंगिक हमले के अधीन दोषसिद्धि नहीं की जा सकती ।

35. उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए, हमारी यह राय है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त का दोष संदेह के परे सिद्ध करने में असफल रहा है । तद्नुसार, आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है और अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए छोड़ा जाता है ।

36. निचले न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

संसद् के अधिनियम

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961

(1961 का अधिनियम संख्यांक 27)[1]

[20 मई, 1961]

मोटर परिवहन कर्मकारों के कल्याण का उपबन्ध करने और उनकी काम की परिस्थितियों का विनियमन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना – (1) यह अधिनियम मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार [2]*** सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह 1962 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् की न होने वाली उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी :

---

[1] 1963 के विनियम सं. 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा दादरा और नागर हवेली पर; 1963 के विनियम सं. 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा पांडिचेरी पर और 1963 के विनियम सं. 11 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर, इस अधिनियम का विस्तार किया गया ।

[2] 1970 के अधिनियम सं. 51 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1-9-1971 से) "जम्मू-कश्मीर राज्य को छोडकर" शब्दों का लोप किया गया ।

[1][परन्तु यह जम्मू-कश्मीर राज्य में केन्द्रीय श्रम विधि (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 1970 (1970 का 51) के प्रारम्भ पर प्रवृत्त होगा।]

(4) यह पांच या अधिक मोटर परिवहन कर्मकारों को नियोजित करने वाले हर मोटर परिवहन उपक्रम को लागू होता है :

परन्तु राज्य सरकार, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम दो मास की सूचना देने के पश्चात् शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों को पांच से कम मोटर परिवहन कर्मकारों को नियोजित करने वाले किसी भी मोटर परिवहन उपक्रम को लागू कर सकेगी ।

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "कुमार" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपना [2][चौदहवां] वर्ष पूरा कर लिया है, किन्तु अपना अठारहवां वर्ष पूरा नहीं किया है;

(ख) "वयस्थ" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपना अठारहवां वर्ष पूरा कर लिया है;

(ग) "बालक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपना [2][चौदहवां] वर्ष पूरा नहीं किया है;

(घ) "दिन" से मध्यरात्रि को आरम्भ होने वाली चौबीस घंटों की कालावधि अभिप्रेत है :

परन्तु जहां कि मोटर परिवहन कर्मकार का कर्तव्य-काल

---

[1] 1970 के अधिनियम सं. 51 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1-9-1971 से) जोड़ा गया ।

[2] 1986 के अधिनियम सं. 61 की धारा 26 द्वारा "पंद्रहवां" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

मध्यरात्रि से पहले आरम्भ होता है किन्तु मध्यरात्रि के पश्चात् तक चलता है वहां उसके लिए आगामी दिन उस समय से जब ऐसा कर्तव्य-काल समाप्त होता है, आरम्भ होने वाली चौबीस घंटों की कालावधि समझा जाएगा और मध्यरात्रि के पश्चात् जितने घंटे उसने काम किया है उनकी गणना पूर्व दिन में की जाएगी;

(ङ) "नियोजक" से किसी मोटर परिवहन उपक्रम के सम्बन्ध में वह व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसका मोटर परिवहन उपक्रम के कार्यकलाप पर अन्तिम नियंत्रण है, और जहां कि उक्त कार्यकलाप किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह प्रबन्धक, प्रबन्ध-निदेशक, प्रबन्ध-अभिकर्ता या किसी भी अन्य नाम से पुकारा जाए, न्यस्त किए गए हों, वहां ऐसा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) "काम के घंटे" से वह समय अभिप्रेत है, जिसके दौरान मोटर परिवहन कर्मकार की सेवाएं, नियोजक या उसकी सेवाओं का दावा करने के हकदार किसी अन्य व्यक्ति के आज्ञाधीन हों, और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं :–

(i) परिवहन यान के चालन-काल के दौरान किए गए काम में बिताया गया समय,

(ii) समनुषंगी काम में बिताया गया समय, तथा

(iii) मार्गान्तों पर पंद्रह मिनट से कम की हाजिरी मात्र की कालावधियां ।

स्पष्टीकरण – इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए –

(1) "चालन-काल" से कार्य-दिवस के संबंध में वह समय अभिप्रेत है जो उस क्षण से लेकर जब कार्य-दिवस के आरम्भ में परिवहन यान काम करना आरम्भ करता है उस क्षण तक का है जब परिवहन यान कार्य-दिवस के अन्त में काम करना बन्द करता है और उसमें से ऐसा समय अपवर्जित है जिसके दौरान परिवहन

यान का चलना उस कालावधि के लिए रुका रहता है जो ऐसी अवधि से अधिक हो जो विहित की जाए और जिस कालावधि के दौरान वे व्यक्ति, जो यान चलाते हैं या उस परिवहन यान के संसंग में कोई अन्य काम करते हैं, अपना समय अपनी इच्छानुसार व्यतीत करने को स्वतंत्र रहते हैं या समनुषंगी काम में लगे रहते हैं ;

(2) "समनुषंगी काम" से परिवहन यान, उसके यात्रियों या उसके भार के संसंग में ऐसा काम अभिप्रेत है, जो परिवहन यान के चालन-काल के बाहर किया जाता है और जिसके अन्तर्गत विशिष्टतः निम्नलिखित आते हैं –

(i) लेखाओं के, नगदी जमा कराने, रजिस्टरों पर हस्ताक्षर करने के, सेवा-पत्र सौंपने के और टिकटों की जांच के संसंग में काम और इसी प्रकार का अन्य काम;

(ii) परिवहन यान को अपने हाथ में लेना और गराज में रखना;

(iii) उस स्थान से, जहां व्यक्ति काम पर आने के हस्ताक्षर करता है, उस स्थान तक यात्रा करना जहां वह परिवहन यान अपने हाथ में लेता है और उस स्थान से, जहां वह परिवहन यान को छोड़ता है, उस स्थान तक यात्रा करना जहां वह काम पर से चले जाने के हस्ताक्षर करता है;

(iv) परिवहन यान के अनुरक्षण और मरम्मत के संसंग में काम; तथा

(v) परिवहन यान पर लदाई और उससे उतराई;

(3) "हाजिरी मात्र की कालावधि" से वह कालावधि अभिप्रेत है जिसके दौरान कोई व्यक्ति अपने पदस्थान पर केवल इसलिए रहता है कि सम्भावित बुलावों का अनुपालन करे या कर्तव्य सूची में नियत किए गए समय पर कार्य पुनः प्रारम्भ करे;

(छ) "मोटर परिवहन उपक्रम" से वह मोटर परिवहन उपक्रम अभिप्रेत है, जो सड़क द्वारा यात्रियों या माल, या दोनों का भाड़े या इनाम के लिए वहन करने में लगा हुआ है और इसके अन्तर्गत प्राइवेट वाहक आता है;

(ज) "मोटर परिवहन कर्मकार" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी परिवहन यान पर वृत्तिक हैसियत में काम करने के लिए या ऐसे परिवहन यान के आगमन, प्रस्थान और उस पर लदाई या उससे उतराई के संसंग में कर्तव्य करने के लिए, चाहे मजदूरी पर या मजदूरी के बिना, सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से, मोटर परिवहन उपक्रम में नियोजित है और इसके अन्तर्गत ड्राइवर, कन्डक्टर, क्लीनर, स्टेशन कर्मचारिवृन्द, लाइनजांच कर्मचारिवृन्द बुकिंग क्लर्क, रोकड़ क्लर्क, डिपो क्लर्क, टाइमकीपर, चौकीदार या परिचर आता है, किन्तु धारा 8 को छोड़कर इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आते –

(i) ऐसा कोई व्यक्ति जो कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) में यथापरिभाषित कारखाने में नियोजित है;

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति जिसे दुकानों या वाणिज्यिक स्थापनों में नियोजित व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्ध लागू होते हैं;

(झ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ञ) "अर्हित चिकित्सा-व्यवसायी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय चिकित्सा उपाधि अधिनियम, 1916 (1916 का 7) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट या उस अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित या भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956

का 102) की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त प्रमाणपत्र रखता है और किसी प्रान्तीय या राज्य चिकित्सा परिषद् अधिनियम के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र रखने वाला व्यक्ति इसके अन्तर्गत आता है;

(ट) "विस्तृति" से किसी दिन कर्तव्य-काल के प्रारम्भ और उसी दिन के कर्तव्य-काल के पर्यवसान के बीच की कालावधि अभिप्रेत है;

(ठ) "मजदूरी" का वही अर्थ है जो मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 2 के खण्ड (vi) में उसे समनुदिष्ट है;

(ड) "सप्ताह" से शनिवार की मध्य रात्रि और उससे ठीक अगले शनिवार की मध्य रात्रि के बीच की कालावधि अभिप्रेत है;

(ढ) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और मोटर यान अधिनियम, 1939* (1939 का 4) में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उन्हें क्रमशः समनुदिष्ट हैं ।

अध्याय 2

मोटर परिवहन उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण

3. मोटर परिवहन उपक्रम का रजिस्ट्रीकरण – (1) ऐसे मोटर परिवहन उपक्रम का जिसे यह अधिनियम लागू होता हो, हर नियोजक उपक्रम को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराएगा ।

(2) मोटर परिवहन उपक्रम के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, नियोजक द्वारा विहित प्राधिकारी से ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर किया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

---

* अब देखिए मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) ।

(3) जहां कि मोटर परिवहन उपक्रम इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाए वहां नियोजक को एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जिसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाएं ।

अध्याय 3

निरीक्षक कर्मचारिवृन्द

4. मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक – (1) राज्य सरकार, सम्यक् रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को, राज्य के लिए मुख्य निरीक्षक और सम्यक् रूप से अर्हित उतने व्यक्तियों को, जितने वह ठीक समझे, मुख्य निरीक्षक के अधीनस्थ निरीक्षक, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकेगी ।

(2) मुख्य निरीक्षक वे स्थानीय सीमाएं घोषित कर सकेगा जिनके भीतर निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदिष्ट की जाएं, निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग स्वयं कर सकेगा ।

(3) मुख्य निरीक्षक और सभी निरीक्षक भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्दर लोक सेवक समझे जाएंगे ।

5. निरीक्षकों की शक्तियां – (1) ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जिन्हें राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिरोपित करे, मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक –

(क) ऐसी परीक्षा और जांच कर सकेगा जो वह यह अभिनिश्चित करने के लिए ठीक समझे, कि क्या इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का अनुपालन किसी मोटर परिवहन उपक्रम के बारे में किया जा रहा है, और उस प्रयोजन के लिए परिवहन यान के ड्राइवर से अपेक्षा कर सकेगा कि वह परिवहन यान को रोक ले और उतनी देर तक खड़ा रखे जितनी देर उसका खड़ा रखा जाना युक्तियुक्त रूप में आवश्यक हो;

(ख) ऐसी सहायता के साथ, यदि कोई हो, जो वह ठीक समझे, किसी परिसर में, जिसकी बाबत वह यह विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह किसी मोटर परिवहन उपक्रम के उपयोग या अधिभोग में है, इस अधिनियम के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के प्रयोजन से, युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकेगा, उसका निरीक्षण कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा;

(ग) किसी मोटर परिवहन उपक्रम में नियोजित किसी मोटर परिवहन कर्मकार की परीक्षा कर सकेगा या इस अधिनियम के अनुसरण में रखे गए किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज के पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा और उसी स्थल पर या अन्यथा किसी व्यक्ति के ऐसे कथन ले सकेगा, जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे;

(घ) ऐसे रजिस्टरों या दस्तावेजों या उनके ऐसे प्रभागों को अभिगृहीत कर सकेगा या उनकी प्रतिलिपि ले सकेगा जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन के किसी ऐसे अपराध के बारे में सुसंगत समझे जिसकी बाबत वह यह विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह नियोजक द्वारा किया गया है;

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो विहित की जाए :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने या कोई ऐसा कथन करने के लिए विवश न किया जाएगा, जिसकी प्रवृत्ति उसे अपराध में फंसाने की हो ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के उपबन्ध, इस धारा के अधीन की किसी तलाशी या अभिग्रहण को यथाशक्य ऐसे लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा 98 के अधीन निकाले गए वारंट के प्राधिकार के अधीन की तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं ।

6. निरीक्षकों को दी जाने वाली सुविधाएं – हर नियोजक, मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन प्रवेश, निरीक्षण, परीक्षा या जांच करने के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाएं देगा ।

7. प्रमाणकर्ता सर्जन – (1) राज्य सरकार अर्हित चिकित्सा-व्यवसायियों को ऐसी स्थानीय सीमाओं के अन्दर या ऐसे मोटर परिवहन उपक्रमों या मोटर परिवहन उपक्रमों के वर्ग के लिए, जिन्हें वह उन्हें क्रमशः समनुदिष्ट करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रमाणकर्ता सर्जन नियुक्त कर सकेगी ।

(2) प्रमाणकर्ता सर्जन उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो निम्नलिखित के सम्बन्ध में विहित किए जाएं :–

(क) मोटर परिवहन कर्मकारों की परीक्षा और प्रमाणन;

(ख) जहां कि किसी मोटर परिवहन उपक्रम में कुमार किसी ऐसे काम में, जिससे उनके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचना संभाव्य हो, मोटर परिवहन कर्मकारों के रूप में नियोजित किए जाते हैं, या किए जाने हैं वहां ऐसे चिकित्सीय पर्यवेक्षण का प्रयोग जो विहित किया जाए ।

अध्याय 4

कल्याण और स्वास्थ्य

8. कैन्टीन – (1) राज्य सरकार यह अपेक्षा करने वाले नियम बना सकेगी कि हर स्थान में, जिसमें मामूली तौर पर यह होता है कि मोटर परिवहन उपक्रम में नियोजित सौ या अधिक मोटर परिवहन कर्मकार हर दिन के दौरान कर्तव्य के सिलसिले में वहां पर आते हैं मोटर परिवहन कर्मकारों के उपयोग के लिए एक या अधिक कैन्टीन नियोजक द्वारा उपबन्धित की जाएंगी और बनाए रखी जाएंगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित का उपबन्ध कर सकेंगे –

(क) वह तारीख जिस तक कैन्टीन का उपबन्ध कर दिया जाएगा;

(ख) उन कैन्टीनों की संख्या जो उपबंधित की जाएंगी, और कैन्टीनों के सन्निर्माण, उनमें की जगह, फर्नीचर और अन्य उपस्कर के बारे में स्तरमान;

(ग) वे खाद्य पदार्थ जो वहां परोसे जा सकेंगे और वे प्रभार जो उनके लिए, लिए जा सकेंगे;

(घ) कैन्टीन के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन और कैन्टीन के प्रबन्ध में मोटर परिवहन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व ।

(3) राज्य सरकार, उपधारा (2) के खण्ड (ग) के संबंध में नियम बनाने की शक्ति मुख्य निरीक्षक को, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें वह अधिरोपित करे, प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

9. आराम कमरे – (1) हर ऐसे स्थान में, जहां मोटर परिवहन उपक्रम में नियोजित मोटर परिवहन कर्मकारों से रात्रि में रुकने की अपेक्षा की जाती हो, उन मोटर परिवहन कर्मकारों के उपयोग के लिए उतने आराम कमरे या ऐसी अन्य यथोचित्त आनुकल्पिक जगह, जो विहित की जाए, नियोजक द्वारा उपबन्धित की जाएगी और बनाए रखी जाएंगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन उपबन्धित किए जाने वाले आराम कमरे या आनुकल्पिक जगह पर्याप्त रूप से प्रकाशयुक्त और संवातित होंगी तथा साफ और सुखद दशा में बनाए रखी जाएंगी ।

(3) राज्य सरकार इस धारा के अधीन उपबन्धित किए जाने वाले आराम कमरे या आनुकल्पिक जगह के सन्निर्माण और उनमें की जगह, फर्नीचर और अन्य उपस्कर के बारे में स्तरमान विहित कर सकेगी ।

10. वर्दियां – (1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मोटर परिवहन उपक्रम के नियोजक से यह अपेक्षा करने वाले नियम बना सकेगी कि वह उस उपक्रम में नियोजित ड्राइवरों, कंडक्टरों

और लाइन-जांच कर्मचारिवृन्द की वर्षा या ठंड से संरक्षा के लिए इतनी संख्या में और इस प्रकार की वर्दियों, बरसातियों अथवा ऐसी ही अन्य सुख-सुविधाओं का, जो नियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं, उपबन्ध करें ।

(2) ड्राइवरों, कंडक्टरों और लाइन-जांच कर्मचारिवृन्द को, उपधारा (1) के अधीन उपबन्धित वर्दियों की धुलाई का भत्ता नियोजक द्वारा ऐसी दरों से दिया जाएगा, जो कि विहित की जाएं :

परन्तु ऐसा कोई भी भत्ता ऐसे नियोजक द्वारा देय न होगा जिसने वर्दियों की धुलाई का स्वयं अपने खर्च पर यथायोग्य इंतजाम किया है ।

11. चिकित्सीय सुविधाएं – नियोजक द्वारा मोटर परिवहन कर्मकारों के लिए आसानी से उपलभ्य ऐसी चिकित्सीय सुविधाएं, ऐसे संचालन केन्द्रों और विराम स्टेशनों पर, जैसे राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, उपबन्धित की जाएंगी और बनाए रखी जाएंगी ।

12. प्राथमिक उपचार सुविधाएं – (1) विहित अन्तर्वस्तुओं से सज्जित प्राथमिक उपचार बक्स, नियोजक द्वारा हर परिवहन यान में इस प्रकार उपबन्धित किया जाएगा और बनाए रखा जाएगा कि काम के सब घंटों में उस तक आसानी से पहुंच हो सके ।

(2) प्राथमिक उपचार बक्स में विहित अन्तर्वस्तुओं के सिवाय और कुछ नहीं रखा जाएगा ।

(3) प्राथमिक उपचार बक्स को परिवहन यान के ड्राइवर या कंडक्टर के भार-साधन में रखा जाएगा, जिसे उसका प्रयोग करने में प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाएंगी ।

अध्याय 5

नियोजन के घंटे और उस पर निर्बन्धन

13. वयस्थ मोटर परिवहन कर्मकारों के लिए काम के घंटे – किसी भी वयस्थ मोटर परिवहन कर्मकार से एक दिन में आठ घंटे और एक

सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक काम न तो अपेक्षित किया जाएगा, न उसे करने दिया जाएगा :

परन्तु जहां कि कोई ऐसा मोटर परिवहन कर्मकार ऐसे लंबी दूरी के मार्गों पर, या ऐसे त्यौहारों के या अन्य अवसरों पर, जो विहित रीति से और विहित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किए जाएं, किसी मोटर परिवहन सेवा को चलाने में लगा हो, वहां नियोजक, ऐसे प्राधिकारी के अनुमोदन से, एक दिन में आठ घंटे से या एक सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक काम ऐसे मोटर परिवहन कर्मकार से अपेक्षित कर सकेगा या उसे करने दे सकेगा, किन्तु किसी भी दशा में वह, यथास्थिति, एक दिन में दस घंटे से और एक सप्ताह में चौवन घंटे से अधिक न होगा :

परन्तु यह भी कि मोटर परिवहन सेवा के ठप्प या अस्तव्यस्त हो जाने की, या यातायात को बाधा पहुंचने की, या किसी देवकृत की दशा में नियोजक, ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, एक दिन में आठ घंटे से अधिक और एक सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक काम किसी ऐसे मोटर परिवहन कर्मकार से अपेक्षित कर सकेगा या उसे करने दे सकेगा ।

14. मोटर परिवहन कर्मकारों के रूप में नियोजित कुमारों के लिए काम के घंटे – किसी कुमार को किसी मोटर परिवहन उपक्रम में :–

(क) एक दिन में छह घंटे से अधिक, जिसमें आधे घंटे का विश्राम-अन्तराल सम्मिलित है;

(ख) 10 बजे अपराह्न और 6 बजे पूर्वाह्न के बीच,

मोटर परिवहन कर्मकार के रूप में काम करने के लिए न तो नियोजित किया जाएगा और न अपेक्षित किया जाएगा ।

15. दैनिक विश्राम अन्तराल – (1) वयस्थ मोटर परिवहन कर्मकारों के सम्बन्ध में हर एक दिन काम के घंटे ऐसे नियत किए जाएंगे कि काम की कोई भी कालावधि पांच घंटे से अधिक की न हो और ऐसा कोई

भी मोटर परिवहन कर्मकार, कम से कम आधे घंटे का विश्राम-अन्तराल ले चुकने के पूर्व, पांच घंटे से अधिक काम न करे :

परन्तु इस उपधारा के उपबन्ध, जहां तक कि वे विश्राम-अन्तराल के सम्बन्ध में हैं, उस मोटर परिवहन कर्मकार को लागू नहीं होंगे जिससे उस दिन छह घंटे से अधिक काम करने की अपेक्षा न की जाए ।

(2) हर एक दिन के काम के घंटे इस प्रकार नियत किए जाएंगे कि मोटर परिवहन कर्मकार को, धारा 13 के द्वितीय परन्तुक में निर्दिष्ट किसी दशा में के सिवाय, किसी भी दिन कर्तव्य-काल के पर्यवसान और अगले दिन कर्तव्य-काल के प्रारंभ के बीच कम से कम नौ लगातार घंटों की विश्राम-कालावधि अनुज्ञात हो जाए ।

16. विस्तृति – (1) वयस्थ मोटर परिवहन कर्मकार के काम के घंटे, धारा 13 के द्वितीय परन्तुक में निर्दिष्ट दशा के सिवाय, ऐसे व्यवस्थित किए जाएंगे कि उनकी विस्तृति धारा 15 के अधीन विश्राम-अन्तराल सहित किसी दिन बारह घंटे से अधिक न हो ।

(2) कुमार मोटर परिवहन कर्मकार के काम के घंटे ऐसे व्यवस्थित किए जाएंगे कि उनकी विस्तृति धारा 14 के अधीन विश्राम-अन्तराल सहित किसी भी दिन नौ घंटे से अधिक न हो ।

17. विभाजित कर्तव्य काल – इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि मोटर परिवहन कर्मकार के काम के घंटे किसी भी दिन दो से अधिक खंडों में विभाजित नहीं किए जाएंगे ।

18. काम के घंटों की सूचना – (1) ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, काम के घंटों की ऐसी सूचना हर एक नियोजक द्वारा संप्रदर्शित की जाएगी और सही रखी जाएगी, जिसमें हर दिन के लिए वे घंटे स्पष्ट तौर पर दर्शित किए गए हों जिनके दौरान मोटर परिवहन कर्मकारों से काम करने की अपेक्षा की जा सकती है ।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि इस प्रकार संप्रदर्शित काम के घंटों की सूचना के अनुसार से अन्यथा काम न तो किसी भी ऐसे मोटर परिवहन कर्मकार से अपेक्षित किया जाएगा, न उसे करने दिया जाएगा ।

19. साप्ताहिक विश्राम – (1) राज्य सरकार सात दिन की हर कालावधि में एक विश्राम दिन का, जो सभी मोटर परिवहन कर्मकारों को अनुज्ञात होगा, उपबन्ध करने वाले नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियोजक, मोटर परिवहन सेवा की किसी भी अस्तव्यस्तता का निवारण करने के लिए, किसी मोटर परिवहन कर्मकार से किसी भी विश्राम दिन को, जो अवकाश दिन न हो, काम करने की अपेक्षा कर सकेगा, किन्तु ऐसे कि मोटर परिवहन कर्मकार, बीच में एक पूरे दिन के अवकाश के बिना, लगातार दस दिन से अधिक काम न करे ।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे मोटर परिवहन कर्मकार को लागू नहीं होगी जिसके नियोजन की कुल कालावधि छुट्टी पर बिताए गए दिन को सम्मिलित करते हुए, छह दिन से कम है ।

20. प्रतिकरात्मक विश्राम दिन – जहां कि नियोजक को धारा 19 के प्रवर्तन से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अनुदत्त छूट के परिणामस्वरूप, कोई मोटर परिवहन कर्मकार उन विश्राम-दिनों में से, किसी से, जिनका वह उस धारा के अधीन हकदार हो, वंचित हो जाए, वहां मोटर परिवहन कर्मकार को उस मास के भीतर जिसमें उसे वे विश्राम-दिन अनुज्ञेय हैं, या उस मास के अव्यवहित पश्चात्वर्ती दो मास के भीतर उतने प्रतिकरात्मक विश्राम-दिन अनुज्ञात किए जाएंगे जितने विश्राम-दिनों की हानि इस प्रकार हुई है ।

अध्याय 6

अल्पवय व्यक्तियों का नियोजन

21. बालकों के नियोजन का प्रतिषेध – किसी भी बालक से किसी

मोटर परिवहन उपक्रम में किसी भी हैसियत में काम न तो अपेक्षित किया जाएगा, न उसे करने दिया जाएगा ।

22. मोटर परिवहन कर्मकारों के रूप में नियोजित कुमारों द्वारा टोकन अपने पास रखा जाना – किसी भी कुमार से किसी मोटर परिवहन उपक्रम में मोटर परिवहन कर्मकार के रूप में काम तब के सिवाय न तो अपेक्षित किया जाएगा, न उसे करने दिया जाएगा, जबकि –

(क) उसके बारे में धारा 23 के अधीन अनुदत्त योग्यता-प्रमाणपत्र नियोजक की अभिरक्षा में हो ; तथा

(ख) ऐसे कुमार के पास उस समय जब वह काम में लगा हो, ऐसे प्रमाणपत्र के प्रति निर्देश करने वाला टोकन हो ।

23. योग्यता-प्रमाणपत्र – (1) प्रमाणपत्र सर्जन, किसी कुमार अथवा उसके माता-पिता या संरक्षक के ऐसे आवेदन पर, जिसके साथ नियंत्रक द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित इस बात का दस्तावेज हो कि यदि ऐसा व्यक्ति उस काम के लिए योग्य प्रमाणित हुआ हो तो वह मोटर परिवहन उपक्रम में मोटर परिवहन कर्मकार के रूप में नियोजित किया जाएगा, अथवा काम करने का आशय रखने वाले कुमार के प्रति निर्देश से नियोजक के या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन पर, ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करेगा और मोटर परिवहन कर्मकार के रूप में काम करने की उनकी योग्यता अभिनिश्चित करेगा ।

(2) इस धारा के अधीन अनुदत्त योग्यता-प्रमाणपत्र अपनी तारीख से बारह मास की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा, किन्तु नवीकृत किया जा सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन प्रमाणपत्र के लिए संदेय फीस नियोजक द्वारा संदत्त की जाएगी और कुमार, उसके माता-पिता या संरक्षक से वसूलीय नहीं होगी ।

24. चिकित्सीय परीक्षा की अपेक्षा करने की शक्ति – जहां कि

निरीक्षक की यह राय हो कि किसी मोटर परिवहन उपक्रम में योग्यता-प्रमाणपत्र के बिना काम करने वाला मोटर परिवहन कर्मकार कुमार है वहां वह नियोजक पर यह अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील कर सकेगा कि ऐसे कुमार मोटर परिवहन कर्मकार की परीक्षा किसी प्रमाणकर्ता सर्जन द्वारा की जाए, और यदि निरीक्षक ऐसा निदेश दे तो ऐसे कुमार मोटर परिवहन कर्मकार को किसी मोटर परिवहन उपक्रम में तब तक न तो नियोजित किया जाएगा और न काम करने दिया जाएगा जब तक इस प्रकार उसकी परीक्षा न हो गई हो और धारा 23 के अधीन उसे योग्यता-प्रमाणपत्र अनुदत्त न कर दिया गया हो ।

अध्याय 7

मजदूरी और छुट्टी

25. 1936 के अधिनियम 4 का मोटर परिवहन कर्मकारों को मजदूरी के संदाय पर लागू होना – तत्समय यथा प्रवृत्त मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) जैसे वह किसी औद्योगिक स्थापना में संदेय मजदूरी को लागू होता है, वैसे ही मोटर परिवहन उपक्रम में, नियोजित मोटर परिवहन कर्मकारों को इस प्रकार लागू होगा मानो उक्त अधिनियम का विस्तार, उसकी धारा 1 की उपधारा (5) के अधीन, राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा, ऐसे मोटर परिवहन कर्मकारों की मजदूरी के संदाय पर कर दिया गया हो, और मानो परिवहन उपक्रम उक्त अधिनियम के अर्थ के अन्दर औद्योगिक स्थापन हो ।

26. अतिकाल के लिए अतिरिक्त मजदूरी – (1) जहां कि कोई वयस्क मोटर परिवहन कर्मकार धारा 13 के प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट किसी दशा में किसी भी दिन आठ घंटे से अधिक काम करे या जहां कि धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन उससे किसी विश्राम-दिन को काम करने की अपेक्षा की जाए वहां, वह, यथास्थिति, अतिकालिक काम या विश्राम-दिन को किए गए काम के लिए अपनी मजदूरी की मामूली दर से दुगुनी दर से मजदूरी का हकदार होगा ।

(2) जहां कि कोई वयस्क मोटर परिवहन कर्मकार, धारा 13 के द्वितीय परन्तुक में निर्दिष्ट किसी दशा में किसी भी दिन आठ घंटे से अधिक काम करे वहां वह अतिकालिक काम करने के लिए ऐसी दरों से मजदूरी का हकदार होगा जो विहित की जाएं ।

(3) जहां कि किसी कुमार मोटर परिवहन कर्मकार, से किसी विश्राम-दिन को काम करने की अपेक्षा धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन की जाए, वहां वह विश्राम-दिन को किए गए काम के लिए अपनी मजदूरी की मामूली दर से दुगुनी दर से मजदूरी पाने का हकदार होगा ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, मोटर परिवहन कर्मकार के संबंध में "मजदूरी की मामूली दर" से महंगाई भत्ता सहित उसकी आधारिक मजदूरी अभिप्रेत है ।

27. मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी – (1) ऐसे अवकाश दिनों पर, जो विहित किए जाएं, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हर मोटर परिवहन कर्मकार को, जिसने किसी कलैण्डर वर्ष के दौरान किसी मोटर परिवहन उपक्रम में दो सौ चालीस या अधिक दिनों की कालावधि तक काम किया हो, निम्नलिखित दर से संगणित संख्या के दिनों की मजदूरी सहित छुट्टी पश्चात्वर्ती कलैण्डर वर्ष के दौरान अनुज्ञात की जाएगी :

(क) यदि वह वयस्क हो तो पूर्ववर्ती कलैण्डर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए काम के हर बीस दिन पर एक दिन ; तथा

(ख) यदि वह कुमार हो तो पूर्ववर्ती कलैण्डर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए काम के हर पन्द्रह दिन पर एक दिन ।

(2) वह मोटर परिवहन कर्मकार जिसकी सेवा जनवरी के प्रथम दिन को प्रारम्भ न होकर अन्यथा प्रारम्भ होती हो, यथास्थिति, उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में अधिकथित दर से मजदूरी सहित छुट्टी का हकदार होगा, यदि उसने कलैण्डर वर्ष के अवशिष्ट भाग के दिनों की कुल संख्या के दो-तिहाई दिन काम किया हो ।

(3) यदि कोई मोटर परिवहन कर्मकार वर्ष के दौरान सेवा से

उन्मोचित या पदच्युत कर दिया जाए, तो वह उपधारा (1) में अधिकथित दर से मजदूरी सहित छुट्टी का हकदार होगा, भले ही उसने उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उस पूरी कालावधि भर काम न किया हो जिससे वह उपार्जित छुट्टी का हकदार होता ।

(4) इस धारा के अधीन छुट्टी की संगणना करने में आधे दिन या इससे अधिक की छुट्टी के भिन्न को पूरे एक दिन की छुट्टी माना जाएगा और आधे दिन से कम का भिन्न छोड़ दिया जाएगा ।

(5) यदि कोई मोटर परिवहन कर्मकार, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपने को अनुज्ञात संपूर्ण छुट्टी किसी एक कलैण्डर वर्ष में न ले, तो उसके द्वारा न ली गई छुट्टी उस छुट्टी में जोड़ दी जाएगी जो उसे अगले कलैण्डर वर्ष के लिए अनुज्ञेय हो :

परन्तु छुट्टी के दिनों की कुल संख्या जो अगले वर्ष को अग्रनीत की जा सकेगी वयस्क की दशा में तीस से और कुमार की दशा में चालीस से अधिक न होगी ।

(6) इस धारा में, "कलैण्डर वर्ष" से जनवरी के पहले दिन को प्रारम्भ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, छुट्टी के अन्तर्गत साप्ताहिक अवकाश दिन या त्यौहार के या ऐसे ही अन्य अवसरों के अवकाश दिन नहीं आएंगे, चाहे वे छुट्टी की कालावधि के दौरान या उसके किसी छोर पर पड़ते हों ।

28. छुट्टी की कालावधि के दौरान मजदूरी – (1) उस छुट्टी के लिए, जो मोटर परिवहन कर्मकार को धारा 27 के अधीन अनुज्ञात हो, उसे संदाय ऐसी दर से किया जाएगा, जो उसकी छुट्टी के अव्यवहित पूर्ववर्ती मास के उन दिनों की बाबत, जिनमें उसने काम किया, कुल पूर्णकालिक मजदूरी के उस दैनिक औसत के बराबर हो, जो उस मजदूरी में से किसी अतिकालिक उपार्जन और बोनस को, यदि कोई हो, अपवर्जित करके, किन्तु उसमें महंगाई भत्ते को और कर्मकार को उन दिनों के लिए, जिनमें उसने

काम किया, नियोजक द्वारा खाद्यान्नों के रियायती प्रदाय से प्रोद्भावी फायदे के, यदि कोई हो, नकद समतुल्य को सम्मिलित करके आए ।

(2) उस मोटर परिवहन कर्मकार को, जिसे चार दिन से अन्यून की छुट्टी धारा 27 के अधीन अनुज्ञात हुई हो, नियोजक से इस निमित्त उसके आवेदन करने पर, उसकी छुट्टी की कालावधि के लिए उसे वह रकम, जो उसे संदेय मजदूरी के लगभग समतुल्य हो, उसकी छुट्टी आरम्भ होने से पहले अग्रिम के रूप में संदत्त की जाएगी और इस प्रकार संदत्त रकम छुट्टी की पूर्वोक्त कालावधि के लिए उसे देय मजदूरी के विरुद्ध समायोजित की जाएगी ।

(3) यदि मोटर परिवहन कर्मकार को वह छुट्टी, जिसका वह धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन हकदार हो, अनुदत्त न की जाए, तो उसके बजाय उसे उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दरों से मजदूरी संदत्त की जाएगी ।

अध्याय 8

शास्तियां और प्रक्रिया

29. बाधा डालना – (1) जो कोई किसी निरीक्षक के उसके इस अधिनियम के अधीन के कर्तव्यों के अधीन निर्वहन में बाधा डालेगा, या किसी मोटर परिवहन उपक्रम के संबंध में इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्राधिकृत कोई निरीक्षण, परीक्षा या जांच करने के लिए निरीक्षक को युक्तियुक्त सुविधा देने से इनकार करेगा या देने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई इस अधिनियम के अनुसरण में रखे गए किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को निरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर पेश करने से जानबूझकर इनकार करेगा, या किसी ऐसे निरीक्षक के, जो इस अधिनियम के अधीन के अपने कर्तव्यों के अनुसरण में कार्य कर रहा है,

समक्ष उपसंजात होने से, या उसके द्वारा परीक्षा की जाने से किसी व्यक्ति को निवारित करेगा या निवारित करने का प्रयत्न करेगा या कोई ऐसी बात करेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उससे उसका इस प्रकार निवारित होना संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

30. योग्यता के मिथ्या प्रमाणपत्र का उपयोग – जो कोई धारा 23 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को अनुदत्त किसी योग्यता प्रमाणपत्र का, अपने को उस धारा के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र के रूप में जानते हुए उपयोग करेगा या उपयोग करने का प्रयत्न करेगा, अथवा ऐसा योग्यता प्रमाणपत्र अपने को अनुदत्त किए जाने पर जानते हुए उसका अन्य व्यक्ति को उपयोग करने देगा, या करने का प्रयत्न करने देगा, वह कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

31. मोटर परिवहन कर्मकारों के नियोजन के बारे में उपबंधों का उल्लंघन – जो कोई, उसके सिवाय जैसा कि इस अधिनियम द्वारा या के अधीन अन्यथा अनुज्ञात है, इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किसी ऐसे उपबंध का उल्लंघन करेगा जो मोटर परिवहन उपक्रम में व्यक्तियों के नियोजन को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करता हो, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा, और चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो हर ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् चालू रहे, पचहत्तर रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

32. अन्य अपराध – जो कोई किसी ऐसे निदेश की, जो ऐसा निदेश देने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त किए गए किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्वक दिया गया हो, जानबूझकर अवज्ञा

करेगा या इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों में से किसी का, जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन अन्यत्र कोई शास्ति उपबंधित न हो, उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

33. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् वर्धित शास्ति – यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो चुका हो, पुन: उसी उपबंध का उल्लंघन अंतर्वलित करने वाले किसी अपराध का दोषी होगा तो वह पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा :

परन्तु जिस अपराध के लिए दंड दिया जा रहा हो, उसके किए जाने से दो वर्ष से अधिक पूर्व की गई दोषसिद्धि का इस धारा के प्रयोजनार्थ संज्ञान नहीं किया जाएगा ।

34. कंपनियों द्वारा अपराध – (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी है तो कंपनी और हर ऐसा व्यक्ति भी जो अपराध किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का भारसाधक और उस कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने के दायित्व के अधीन होंगे :

परन्तु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दंड के दायित्व के अधीन न करेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या ऐसे अपराध का किया जाना निवारित करने के लिए उसने सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी

निदेशक, प्रबंधक या प्रबंध-अभिकर्ता या अन्य किसी आफिसर की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या वह उसकी ओर से हुई किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसे निदेशक, प्रबंधक, प्रबंध-अभिकर्ता या अन्य आफिसर भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने के दायित्व के अधीन होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए –

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का कोई अन्य संगम आता है ; तथा

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

35. अपराधों का संज्ञान – कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन के किसी अपराध का संज्ञान, निरीक्षक द्वारा, या उसकी लिखित पूर्व मंजूरी से, किए गए परिवाद पर करने के सिवाय न करेगा और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण न करेगा ।

36. अभियोजनों की परिसीमा – कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब के सिवाय न करेगा, जबकि उसका परिवाद उस तारीख से, जब अभिकथित अपराध का किया जाना निरीक्षक के ज्ञान में आया, तीन मास के अंदर किया गया हो :

परन्तु जहां कि अपराध निरीक्षक द्वारा किए गए लिखित आदेश की अवज्ञा करने का हो वहां उसका परिवाद उस तारीख से, छह मास के अंदर किया जा सकेगा, जब उस अपराध का किया जाना अभिकथित हो ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

37. इस अधिनियम से असंगत विधियों और करारों का प्रभाव – (1) इस अधिनियम के उपबंध, किसी भी अन्य विधि में या इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् किए गए किसी भी अधिनिर्णय, करार या सेवा की संविदा के निबंधनों में उनसे असंगत किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, प्रभावी होंगे :

परन्तु जहां कि किसी ऐसे अधिनिर्णय, करार या सेवा की संविदा के अधीन अन्यथा, कोई मोटर परिवहन कर्मकार किसी विषय के बारे में ऐसी प्रसुविधाओं का हकदार हो जो उसको उनसे अधिक अनुकूल हों जिनका वह इस अधिनियम के अधीन हकदार होगा वहां मोटर परिवहन कर्मकार, उस विषय के बारे में उन अधिक अनुकूल प्रसुविधाओं का हकदार इस बात के होते हुए भी बना रहेगा कि वह अन्य विषयों के बारे में इस अधिनियम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करता है ।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह, किसी मोटर परिवहन कर्मकार को नियोजन से किसी विषय के बारे में ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार अनुदत्त करने के लिए, जो उसके लिए उनसे अधिक अनुकूल हों जिनका वह इस अधिनियम के अधीन हकदार होगा, प्रवारित करती है ।

38. छूट – (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात उस परिवहन यान को या उसके संबंध में लागू नहीं होगी, जो –

(i) रुग्ण या क्षत व्यक्तियों के परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता है ;

(ii) भारत की रक्षा या किसी राज्य की सुरक्षा या लोक-व्यवस्था बनाए रखने से संसक्त किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य

सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, यदि कोई हों, अध्यधीन, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध –

(i) उन मोटर परिवहन कर्मकारों को, जो राज्य सरकार की राय में, किसी मोटर परिवहन उपक्रम में पर्यवेक्षण या प्रबंध के पद धारण किए हुए हैं ;

(ii) किसी अंशकालिक मोटर परिवहन कर्मकार को; तथा

(iii) नियोजकों के किसी वर्ग को,

लागू नहीं होंगे :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश निकालने के पूर्व राज्य सरकार उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगी ।

39. निदेश देने की शक्तियां – केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार की उस राज्य में इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों का निष्पादन करने के संबंध में निदेश दे सकेगी ।

40. नियम बनाने की शक्ति – (1) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, [1][राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,] बना सकेगी :

परन्तु साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 23 के अधीन विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख उस तारीख से छह सप्ताह से कम की न होगी जिसको प्रस्थापित नियमों का प्रारूप प्रकाशित किया गया था ।

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित का उपबंध कर सकेंगे –

---

[1] 1986 के अधिनियम सं. 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) अंत:-स्थापित ।

(क) मोटर परिवहन उपक्रम के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप, वह समय जिसके भीतर और वह प्राधिकारी जिससे ऐसा आवेदन किया जा सकेगा ;

(ख) मोटर परिवहन उपक्रम के बारे में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अनुदान और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय फीसें ;

(ग) मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक के बारे में अपेक्षित अर्हताएं ;

(घ) वे शक्तियां जिनका निरीक्षकों द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा, और वह रीति जिससे ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा ;

(ङ) चिकित्सीय पर्यवेक्षण, जो प्रमाणकर्ता सर्जनों द्वारा किया जा सकेगा ;

(च) मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक के किसी आदेश से अपीलें और वह प्ररूप जिसमें, वह समय जिसके भीतर और वे प्राधिकारी जिन्हें ऐसी अपीलें की जा सकेंगी ;

(छ) वह समय, जिसके भीतर उपबंधित की जाने और बनाए रखी जाने के लिए इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित सुविधाओं का इस प्रकार उपबंध किया जा सकेगा ;

(ज) चिकित्सीय सुविधाएं, जिनको मोटर परिवहन कर्मकारों के लिए उपबंध किया जाना चाहिए ;

(झ) उस उपस्कर का प्रकार जिसको उपबंध प्राथमिक उपचार बक्सों में किया जाना चाहिए ;

(ञ) वह रीति जिससे लम्बी दूरी के मार्ग, त्यौहार के और अन्य अवसर विहित प्राधिकारी द्वारा, अधिसूचित किए जाएंगे ;

(ट) वे शर्तें और निर्बन्धन जिनके अध्यधीन धारा 13 के द्वितीय परन्तुक में निर्दिष्ट किसी दशा में एक दिन में आठ घंटे से अधिक या एक सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक काम किसी

मोटर परिवहन कर्मकार से अपेक्षित किया जा सकेगा या उसे करने दिया जा सकेगा ;

(ठ) वह प्ररूप और वह रीति जिसमें काम की कालावधि की सूचनाएं संप्रदर्शित की जाएंगी और बनाए रखी जाएंगी ;

(ड) धारा 13 के द्वितीय परन्तुक में निर्दिष्ट किसी दशा में मोटर परिवहन कर्मकार द्वारा किए गए अतिकालिक काम के बारे में अतिरिक्त मजदूरी की दरें ;

(ढ) वे रजिस्टर जो नियोजकों द्वारा रखे जाने चाहिएं और वे कभी-कभी भेजे जाने वाली या कालिक विवरणियां जिनकी अपेक्षा राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए की जाए ; तथा

(ण) कोई अन्य बात, जो विहित की जानी है या की जाए ।

[1][(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।]

---

[1] 1986 के अधिनियम सं. 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) अंत:-स्थापित ।

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	290.00
4.	मानव अधिकार – डा. शिवदत्त शर्मा – 2006	340	120	60.00
5.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान (सिंधी भाषा में)	1998	कीमत रु. 45/-
4. बहुभाषी संविधान शब्दावली	1986	कीमत रु. 12/-

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

Cover-IV

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/ product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in